हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मई, 1975

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 6 मई, 1975

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2) 1
(क) बहिर्गमन	(2) 20
(ख) बहिर्गमन	(2) 25

अध्यक्ष द्वारा घोशणा– (2) 26

कार्य–मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन (2) 26

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव (2) 28

मेज पर रखे गए कागज पत्र (2) 28

(1) हरियाणा वित्त–निगम का वार्शिक प्रतिवेदन (2) 29

(2) अनुसूचिज जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (2) 32

(2) लोक लेखा समिति का वर्श 1974–75 का आठवां प्रतिवेदन (2) 47

बहिर्गमन (2) 67

लोक लेखा समिति का वर्श 1974–75 का आठवां प्रतिवेदन (पुनरारम्भ) (2) 68

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 6 मई, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभी हाल, विधान भवन,

सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष

(चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

Mr. Speaker: Question Hour.

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Purchase and sale of raw material by the Haryana State Small Industries and Export Corporation Ltd., Chandigarh.

***1322. Chaudhari Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total value of the raw material of different kinds purchased by the Haryana State Small Industries & Export Corporation Ltd. Chandigarh, during the years 1973-74 and 1974-75, seprately; and

(b) the total value of the raw material sold by the said Corporation during the years referred to in

part (a) above, togetherwith the value of the raw material in hand to spearately?

Industries Minster (Sh. Harpal Singh):

(a) Total value of the raw materials purchased—

i. during the year 1973-74 (1st July, 1973 to 30th June, 1974) Rs. 5,83,50,766.87 P.

ii. during the period from 1st July, 1974 to 31st March, 1975 Rs. 4,87,91,100.47 P.

(b) Total value of the raw materials sold—

i. during the year 1973-74 (1st July, 1973 to 30th June, 1974) Rs. 6,80,41,790.39 P.

ii. during the period from 1st July, 1974 to 31st March, 1975 Rs. 90,66,453.00 P.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि इस कारपोरे ान के द्वारा जितना माल खरीद किया गया, वह हरियाणा की जरूरत के मुताबिक पूरा है या कम है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह जो मैटीरियल प्रोक्योंर किया जाता है, यह डिमांड के मुताबिक प्रोक्योर किया जाता है। जितना मैटीरियल इंडस्ट्रियलिस्टस बुक करवाते है, उसके मुताबिक ही प्रोक्योंर किया जाता है। लास्ट यीयर हमने डिमांड से बहुत कम रा–मैटीरियल लिया क्योंकि मार्किट मे कुछ स्मम्प था।

Chaudhri Mehar Chand: May I know from the Industies Minister the kind of raw material solf in the rural areas and the value of such material?

श्री हरपाल सिंहः इसके बारे मे मो कोई अंदाजा नही लगया जा सकता कि रूरल एरिया मे कौन सी इंडस्ट्री को गया। इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए।

चौधरी दलसिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा मे इस कारपोरे ान के कुल कितने डिपों है और वे किस किस जगह पर है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हमने हरियाणा मे 13 डिपों खोले हुए है। अम्बाला, यमुना–नगर, करनाल, पानीपत, गुडगांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, रोहतक, भिवानी, हिसार और इस साल दो नये डिपों कुरूक्षेत्र और जीन्द मे खोले है। इस तरह से आपके यहां भी डिपों खुल गया है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मिनिस्टर साहब यह बातने की कृपा करेंगे कि पिछले साल मे जितने भी रो–मैटीरियल की उद्योगों को आव यकता थी वह उनको सभी किस्म का पूरा मिला है ? उनको सामन के बारे मे कोई दिक्कत तो नही आई ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, ऐसा होता है कि कई दफा जो माल जिस स्पैसिफिके ान का इंडस्ट्रियलिस्टस बुक करते है, वह सब को पूर नही मिल पाता क्योंकि प्रोडयूसर्ज से ही पहले से कम आता है। कई दफा यह भी होता है कि एक ही रेट का और एक ही किस्म का माल आ जाता है, इसलिए भी दिक्कत होती हैं। जैसी–जैसी उनकी डिमान्ड होती है और जैसी–जैसी उनकी स्पैसिफिके ान होती है, उनको टर्न–आई–टर्न उसी तरह से मिलता रहता है। किसी को अरली मिल जाता है तो किसी को थोड़ा लेट मिल जाता है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जिन फर्म्ज को कच्चा माल मिला है, उनकी प्रोडक ान, जितना माल मिला है, उसके हिसाब से हुई है ?

श्री हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इसके बारे मे क्या कहा जा सकता है क्योंकि पिछले साल पावर भाौर्टेज थी और पावर भाौर्टेज की वजह से इंडस्ट्रीज पूरे तौर पर चल नही सकीं। इसलिये जितना रा–मैटीरियल उन्होने बुक कराया था, वह उतना उठा ही नही पाये।

श्री अमर सिंहः क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसी चीज भी उनके नोटिस मे आई है कि रा–मैटीरियल लिया गया हो और उसको यूटिलाईज न किया गया हो?

श्री हरपाल सिंहः ऐसी कोई बात हमारे नोटिस मे नही है।

चौधरी राम लाल वधवाः मिनिस्टर साहब ने बतलाया है कि माल कम सप्लाई किया गया। क्या यह बात ठीक नही है कि माल लोगो ने ही कम उठाया है क्योंकि कारपोरे ान के रेटस से बाजार के रेटस कम है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह दुरूस्त है। कई एक आईटम्ज का बाजार मे रेट कारपोरे ान के रेट से कम है। उसका कारण यह हे कि पिछले दिनां प्रोडक ान बहुत ज्यादा हो गई। हमारे प्लांटस थे, उनमे प्रोडक ान बढ़ी है। पहले मार्किट मे मैटीरियल की कमी की वजह से रेटस ज्यादा थे लेकिन ज्यादा प्रोडक ान होने पर उन्हे रेट डाउन करने पड़े। कारपोरे ान को जिस रेट पर वह माल मिला है, उस पर हमे केवल कमी ान ही मिलता है। उनकी सेल हमारी मर्जी से नही होती। नौर्मली तो जिस रेट पर माल आता है, हम उस पर कमी ान चार्ज करते है और फिर लोगो को दिया जाता है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, अभी वजीर साहब ने बजाया है कि कुद फर्म्ज ने माल नही उठाया । लेकिन जिन फर्मों ने माल उठाया है, क्या उन्होने वह मैटीरियल पूरा प्रोडक ान के काम मे लिया है? अगर लिया है तो इस तरह की पूरी कफगर्ज कसरकार के पास है या नही?

श्री हरपाल सिंहः जब मार्किट मे सलम्प हो तो हमें उसकी प्रोडक ान देखने की भी जरूरत नही है। जब हमारे रेटस से कम पर मार्किट मे ही उनको कोई चीज अवेलेबल होती हो तो हम उसका क्या–क्या चैक करते फिरें कि उन्होंने माल यूटिलाईज किया है या नही।

श्री गौरी भांकरः क्या वजीर साहब के नोटिस मे है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जिस स्पैसिफिके ान के मुताबिक मैटीरियल मिलना चाहिए, नही देते और दूसरी किस्म का दे देते है जो कि उसका जाया जाता है ? इसलिये क्या वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस स्पैसिफिके ान का मैटीरियल मांगा जाए वही उनको दिया जाए?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हमारी यही कोि ा ा होती है कि जिस जिस स्पैसिफिके ान का माल इंडस्ट्रियलिस्टस बुक करवाते है, वही माल मंगवाया जाए, उससे बाहर न आये। लेकिन इसकी भीर ग्रुपिंग होती है। इसकी भी एक रेंज बनी हुई है जैसे 7 एम. या 15 एम.। एक रेंज के हिसाब से माल बुक होता

है और जो माल within that range आ जाता है, वह हम आलाट कर देते है। अगर कोई यह स्पैसिफिके ान नोट करवा दे कि उसे एक ही किस्म का माल चाहिए तो फिर उनको वही दिया जाता हैं अगर कुछ देर वह मान नही आता तो उनको वेट करना पड़ता है।

श्री अमर सिंहः क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि 1973–74, 1974–75 और 1975–76 का कितना रा–मैटीरियल कारपोरे ान मे पड़ा हुआ है?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, यह तो अभी मैंने पहले बता दिया ाि कि 90,66,453 रूपये की वैल्यू का स्टाक अभी इसके पास पड़ा हुआ है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मिनिस्टर साहब, ने बताया कि कई बार कारपोरे ान का भाव महंगा होता है और खुले बाजार का भाव सस्ता होता है। इसके क्या कारण है? क्या सरकार ने इसके कारण जानने की कोि ा ा की है? अगर की है तो उन्हे पूरा करने के लिए क्या काय्रवही की जा रही है?

श्री हरपाल सिंहः साल 1974 के आखिर मे ऐसा recession आया है जिसके कारण से मार्किट मे कुछ सलम्प आने की वजह से रेटस कम हो गये है। उससे पहले ऐसे होता था कि जो रा–मैटीरियल हमारी कारपोरे ान के पास प्रोक्योंर किया होता था, उसके दाम हमे ाा ही मार्किट से कम थे। वह जो 1974 के आखिर मे recession आया इसके कई कारण थे। एक तो यह था

कि तो प्लांटस प्रोडक ान मे है, उनमे ज्यादा प्रोडक ान स्टील की होती हैं इस वजह से उसकी सप्लाई बढ़ गई। दूसरी बात यह हुई कि बैंकों ने क्रैडिट स्क्वीज कर दिया जिसकी वजह से जिन लोगों के पास स्टाक था, वह रख नही सके क्योंकि फिर पैसा नही मिलता था। तीसरी बात यह हुई कि इंडस्ट्रीज जितनी चलनी चाहिये थी, उनको जितना रा–मैटीरियल कन्जयूम करना चाहिए था, वह पावर भाौर्टेज की वजह से चल नही सकी। इस तरह से माल का फ्लड आ गया। इसलिए मार्किट डाउन चली गई।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि यह बात दुरूस्त है कि कारपोरे ान जो माल देती है, उसके साथ ही जो डिफैक्टिव माल पड़ा है, वही भी देती है? वह यह कण्डी ान लगाते है कि इतना डिफैक्टिव माल उठाना पड़ेगा, क्या इस कारण से भी माल नी उठा ? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि लोगों को इस बात के लिये मजबूर न किया जाए कि वे लाजमी तौर पर डिफैक्टिव माल उठाएं ?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ऐसा है कि कई दफा डिफैक्टिव माल आ जाता है तो उसमे हमे ऐसा करना पड़ता है कि कई ऐसे आईटम्ज है जिनमे प्रीमियम है। हम यह कोि ाश करते है कि जिसको हम अच्छा माल दे, प्रीमियम वाले के साथ अगर थोड़ा सा डिफैक्टिव माल भी चला जाए तो नुक्सान नही होता। कुछ मुनाफा कम हो जाता है, लास मे नही जाता।

Telephone Facilities in Police Posts

***1339. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether telephone facility exists in the police posts No. 5, N.I.T. Faridabad and Mujesar at Faridabad; and

(b) if the reply to part (a) above is in the negative, the time by which the said facility is likely to be provided?

Home Minister (Sh. K.L. Poswal):

(a) No.

(b) Proposal for providing telephone in policie post No. 5, N.I.T., Faridabad is under the active consideration of Government. No police post is sanctioned at Mujesar, though a posse of police is temporatily sationed there, and as such, it is not proposed to instal a separate telephone there.

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, आज जब कि साईस का जमाना है, जुर्म के केसिज की तादाद ज्यादा बढ़ रही है, एक प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए जरूरी है कि हर पुलिस स्टे ान पर, हर पुलिस चौकी पर मोटर साइकिल हो और टेलीफोन हो। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना कंरूगा कि पुलिस पोस्ट नंबर 5 एन. आई. टी. मे बहुत जल्दी टेलीफोन लगवा दें।

श्री के.एल. पोसवालः स्पीकर साहब, जितने भी पुलिस स्टे ान है वहा पर टेलीफोन लगे है। यह पुलिस पोस्ट है। यहां भी हम जल्दी ही टेलीफोन लगवाने जा रहे है। मुजेसर तो पुलिस पोस्ट भी नही है वहां पर तो चार–पांच सिपाही लोकल क्राईम्ज को देखने के लिए रखे हुए है। (व्यवधान)

Arrangements for Cleaning the Buses

***1345. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Develpment be pleased to state—

(a) whether there are any arrangements for cleaning the buses of Haryana Roadways;

(b) whether arrangements have also been made by the Governments to have the window-panes and the sents of the Haryana Roadways buses cleaned;

(c) if so, the persons responsible for the said work; and

(d) the authority who checks about the cleanliness of the window-panes, etc. and the action which is taken in cases the same are not found cleaned?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(a) जी हां।

(b) जी हां।

(c) इस कार्य के लिए क्लीनर्ज/वाि ांग बुआएज तथा स्वीपर्ज लगाये गये है।

(d) बसों की सफाई बारे निरीक्षण वर्कस मैनेजरो/सर्विस स्टे ान इंचार्ज द्वारा किया जाता हैं बस की सफाई न करने के कारण दोशी कर्मचारी के विरूद्ध आव यक अनु ाासनिक कार्यवाही की जाती है।

चौधरी दलसिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कभी किसी बस की सफाई चैक की है कि होती है या नही?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, कई बार देखा भी है और जब बस बस–स्टेंड से चलती है तो साफ होकर चलती हैं चोधरी साहब ने रास्ते मे बस को देख होगा लोग रास्ते मे मूंगफली के छिलके वगैरह डाल देते है।

श्री गुलाब सिंह जैनः स्पीकर साहब, जब बस बस–स्टेंड से चलती है तो अड्डा इंचार्ज बस की सफाई नही करवाता। मैं महीने मे कम से कम पांच–साल दिन बस मे सफर करता हूं लेकिन मैंने आमतौर पर देखा है कि बस गन्दी रहती है।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, आइंदा सफाई का इससे भी ज्यादा प्रबंध करेगे और मैं आनरेबल मैंबर्ज चाहे वे अपोजी ान के है या ट्रैजरी बैंचिज के है, उनसे अनुरोध करूंगा कि जब कभी वे बस को बस–स्टेंउ से साफ चलता हुआ ने देखे तो उसकी चिट्ठी एस.टी.सी. को फौरन लिख दे।

चौधरी राम लाल वधवाः जो बसें दूसरे डिपों की होती है और जब वे रास्ते मे किसी दूसरे डिपों पर आती है तो उस डिपों वाले उसकी सफाई नही करते और बस गन्दी रहती है। क्या महोदय इसकी तरफ कुछ ध्यान देंगे?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नही है। जितने भी बड़े बस–स्टेंड है उनमे सफाई के लिए स्टाफ रखा जाता है और जो बस अड्डे का इंचार्ज होता है वह सारी देखभाल करता है लेकिन फिर भी जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि अगर कोई ऐसी चीज किसी के नोटिस मे आती है तो उसे लिखकर भेज दे।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, पब्लिक हैल्थ वाले बसों की सफाई हर दूसरे–तीसरे महीने देखते थे क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्याअग भी बसें उनके द्वारा देखी जाती है?

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): पब्लिक हैल्थ वाले तो नही देखते। एम.बी.आई. द्वारा उनका इंस्पैक ान होता है और एग्जामिन करते है। वीकली स्प्रे हर बस का किया जाता है। आज ही मैंने एम.टी.सी. को बुलाकर कहा है कि हफ्ते मे दो दफा बस वा ा होनी चाहिए और लम्बे रूट पर जैसे कि दिल्ली से चण्डीगढ़ बस आती है तो रास्ते मे करनाल या अम्बाला जैसे बड़े स्टे ान है

और बस मे कोई पैसेन्जर उल्टी वगैरह कर देता है तो वहां पर उसकी सफाई की जाए।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, सफाई की आम ि ाकायत हे कि सफाई ठीक नही होती और दूसरी यह कि बस के साथ स्पयर टायर नही होता जिससे कि रास्ते मे बस खड़ी हो जाती है और फालतू स्टैपनी न होने के कारण सवारियों को बहुत परे ाानी होती है। क्या मंत्री महोदय यह आदे ा जारी करेंगे कि हर बस के साथ एक स्टैपनी होनी चाहिए?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, वैसे तो इस सप्लीमैंट्री का इससे कोई ताल्लुक नही है लेकिन इस बात की पहले कोि ा ा की जाती है कि जितने टायर अवेलेबल हो सकते हो वे बस के साथ हो। कोि ा ा यही होती है कि बस के साथ स्टैपनी हो।

श्रीमती चन्द्रावतीः अभी मिनिस्टर साहब, ने बताया है कि वीकली सफाई होती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनकी इंस्ट्रक ान्ज इम्प्लीमैंट भी होती है, वे इस चीज को देखते है?

कर्नल महा सिंहः जी हां। देख जाता है। हर बस को हफ्ते मे एक दफा पानी से साफ किया जाता है। कई स्टे ान्ज ऐसे है जहां पर पानी की कमी है जैसे रिवाड़ी, भिवानी और

जींद। वहां पर कोि ाश की जा री है कि वहां ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाया जाए।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने वि वास दिलाया है। कि आगे के लिए और सफाई करेंगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्श बसों मे सफाई न होने के कारण किन्ही लोगों को कोई सजा दी गई और अगर दी गई तो वे कितने आदमी है ?

कर्नल महा सिंहः स्पीकर साहब, इस सप्लीमैंट्री का सवाल से कोई ताल्लुक नही है अगर आनरेबल मैंबर यह इन्फर्मे ान चाहते है तो अलग से नोटिस चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा चीफ मिनिस्टर महोदय ने आ वासन दिया है वह पूरा होगा और इसके साथ ही हम लोगों का भी फर्ज है कि हम लोगों को समझाएं, एजुकेट करें कि मूंगफली के छिलके बसों मे न डाले। दूसरे मुल्कों मे जैसे पब्लिक को एजुकेट किया जाता है उसी तरह से हम भी लोगो को समझाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा मे कितने डिपों और सब–डिपों है और कितने आदमी सफाई करने के लिए डिपों और सब डिपोज पर रखे हुए है?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः हरियाणा मे 10 डिपों है और 19 सब–डिपों है और 471 आदमी सफाई के लिये रखे गए है।

Grants from the Social Welfare Funds

*1334. Chaudhri mehar Chand: Will the Minister for Social welfare be pleased to state the district wise total amount of grants given to Harijans from the Social Welfare Funds during the period 1st November, 1966 to 31st March, 1975?

समाज कल्याण मंत्री (चौधरी भजन लाल): अनुसूचित जातियां, तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा 1–11–66 से 31–3–75 तक जो अनुदान जिलावार दिये गए है उनका ब्यौरा इस प्रकार हैः–

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल रा ि ा (रूपये लाखो मे)
1	अम्बाला	10.29
2	कुरूक्षेत्र	3.33
3	करनाल	11.53
4	रोहतक	11.23

5	सोनीपत	2.61
6	गुड़गांव	10.67
7	महेन्द्रगढ़	5.81
8	हिसार	18.22
9	भिवानी	3.40
10	जींद	5.22
जोड़		82.31

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1973–74 और 1974–75 मे जिलेवार ग्रान्टस की क्या पोजी ान है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, प्र न मे 1966 से 1975 तक जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक की पोजी ान पूछी गई है और वही आंकड़े मैंने दिए है। वे है 82 लाख 31 हजार।

चौधरी पीर चंदः क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि किस किस काम के लिये कर्जा दिया गया है। और ग्रान्ट दी गई है व एक आदमी को कितना ज्यादा कर्जा दिया गया है और दूसरे को कितना कम दिया गया है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह सवाल ग्रान्टस के बारे मे है, लोन्ज के बारे मे नही है।

चौधरी मेहर चंदः क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगे कि जो ग्रान्ट पर्टिकुलर साल 31 मार्च, 1975 तक के अन्दर दी गई है उस मे हिसार जिले की कांस्टीचूएन्सी वाइज पोजी ान है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिलावार पूछा था, वह हमने बतला दियां अगर आनरेबल मैंबर हल्का–वाइज पूछना चाहते है तो इसके लिये अलग से नोटिस दें, हम बता देंगे।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 1974–75 मे हिसार डिस्ट्रिक्ट मे और भिवानी डिस्ट्रिक्ट मे हरिजनों को अलग अलग हाउस ग्रान्ट कितनी कितनी दी गई है?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ग्रांट की जो एलोके ान होती है वह हरिजनों की आबादी को देखकरकी जाती है। 1974–75 मे हरिजनों को 5 लाख रूपया हाउस ग्रांट के लिए दिया गया है। इस की ऐलोकें ान हरिजनों की आबादी को देखकर की जाती है।

श्री गौरी भांकरः अध्यक्ष महोदय, क्या वजीर साहब यह बतलाएंगे कि किसी जिले को कम ग्रान्ट दी गई है और किसी को ज्यादा दी गई है, इसके क्या कारण है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया कि हम फण्डज की एलोके ान आबादी के हिसाब से करते हैं जिस जिले मे हरिजनों की आबादी कम होती है उस जिले को कम ग्रान्ट दी जाती है और जिस जिले मे ज्यादा आबादी होती है, वहां पर ज्यादा दी जाती है।

चौधरी दलसिंहः क्या वजीर साहब के नोटिस मे यह बात है कि एक ही कुनबे के दो दो आदमियों को यह ग्रान्ट दी जाती है ? क्या इस बात की इन्क्वायरी करवाई जाएगी?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सरकार क नोटिस मे ऐसी कोई बात नही है। अगर आनरेबल मैंबर इस किस्त का कोई केस सरकार के नोटिस मे लाएंगे तो हम अव य जांच करवाएंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करने मे किसी प्रकार की ढील नही करेगे।

चौधरी फूल चंद (मुलाना)ः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करंगे कि जो ग्रान्टस दी जाती है वह इंडिविजुअल पर्पज के लिये दी जाती है या कि चौपालें वगैरह बनाने के सांझे काम के लिये दी जाती है? क्या इंडिविजुअल को छोड़कर सांझे कामों के लिये ग्रांट देने का सरकार प्रबंध करेगी ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय,यह ग्रान्टस इंडिविजुअलज के लिये भी है और सांझे काम के लिये भी है। जब से हरियाणा बना है ये उस वक्त की है जिसके सारे आंकड़े मैंने अभी बतलाएं है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन ग्रांटस के लिए कुल कितने एप्लीके ानज आई है और उन पर कितनो को ग्रांटस दी गई है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसमे कोई भाक नही कि एप्लीके ानज बहुत कम होती है क्योंकि फंडज कम होते है। इसलिए सभी लोगों को हम यह ग्रांट दे नही पाते।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 1 नवम्बर 1966 से 31 मार्च, 1975 तक जो इंडिविजुअल ग्रान्टस दी गई है 82 लाख 31 हजार रूपये की इस मे से जनरल इंट्रैस्ट के लिये कितनी ग्रान्ट दी गई है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अलग अलग नही पूछा गया था, सारी ग्रान्ट का पूछा था। जब से हरियाणा बना है उस वक्त से सारे आंकड़े हमने बता दिये है। इस वक्त हमारे पास अलग से फिगर्ज नही है। इसके लिये मैंबर साहिबान को नोटिस देना चाहिये, हम जवाब दें देंगे।

चौधरी पीर चंदः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक फैमिली को मकान बनाने के लिये कितना रूपया दिया जाता है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एक के लिये दो हजार रूपया देते है। पहले 900 देते थे।

श्री अमर सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1974–75 मे हरिजनों के लिये कितनी ग्रान्ट मुकरर्र की गई है और सक कितनी इंडिविजुअल के लिये अलाट की गई है और जनरल के लिये कितनी कई है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह अलग अलग स्कीमे है। जिस तरह से लड़कियों के होस्टल के लिये 30 हजार रूपया दिया गया है। मकानों के लिए 5 लाख रूपया और हरिजनों को खेत मे मकान बनाने के लिए 70 हजार रूपया दिया गया है, सूरों के लिये 84 हजार रूपया, पीने के पानी के लिये 4 लाख रूपया और चौपालों वगैरह के लिए 5 लाख 30 हजार रूपया रखा गया है।

चौधरी फूल चंद (मुलाना)ः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पीने के पानी की ग्रान्ट को क्यों बंद कर दिया गया है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की ग्रान्ट बंद की गई है अलबता उस स्कीम मे 4 लाख के करीब

रूपया था, यह रूपया हमेने अब पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को ट्रांसफर कर दिया हैं चूंकि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के पास काफी बजट होता है, इसलिये वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रान्टस देने मे समर्थ है और इससे लोगों को और ज्यादा सुविधांए उपलब्ध होंगी।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 30 लाख रूपया लड़कियों के होस्टल के लिये दिया गया है, उस पैसे से लड़कियों का होस्टल कहां पर बनाया गया है और उस में इस वक्त कितनी लड़कियां रहती है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने रिवाड़ी मे तीस हजार रूपया दिया है। अब इस साम सरकार जहां पर मुनासिब समझेगी वहां पर होस्टल बनाने के लिए ग्रांट दी जाएगी।

चौधरी जगजीत सिंह टिक्काः अभी अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि 4 लाख रूपया पब्लिक हैल्थ वालों को ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या सरकार की ओर से साथ मे उन्हे यह इंस्ट्रक ान्ज भी दी गई है कि सब से पहले हरिजन बस्तियों की तरफ ध्यान दिया जाए और उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदाद की जाए?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह तो पहले ही सरकार ने फैसला कर रखा है कि पीने का पानी पहले हरिजन बस्तियों मे दिया जाएगा और ऐसा किया भी जा रहा है।

चौधरी मेहर चन्दः क्यामिनिस्टर साहब बताएंगे कि जो इंडिविजुअल ग्रान्टस दी जाती है वेकितने आबजैक्टस के लिये दी जाती है और उनका क्रइटीरिया क्या है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसके अलग अलग आबजैक्टस है। हरिजनों को मकान बनाने के लिये, अपने खेत मे कुआं वगैरह लगाने के लिये, सूअर पालने के लिये ग्रान्टस दी जाती है और इन के लिये अलग अलग हैडज है जिनके अन्डर ये ग्रांटस दी जाती है।

श्री के.एन. गुलाटीः अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि रिवाड़ी मे लड़कियां के होस्टल के लिये 30 हजार रूपया दिया गया है। क्या इस तरह सरकार फरीदाबाद मे भी कोई ग्रान्ट देकर होस्टल वगैरह बनाने का विचार रखती है?

Mr. Speaker: Not a supplementary to this question please.

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि रिवाड़ी मे लड़कियों के होस्टल के लिये 30 हजार दिया गया है। मेरा सवाल यह था कि क्या उस पैसे से कोई

बनाया गया है, उस मे कितने कमरे बनाये गये है। और कहां पर बनाया गया है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां कोलेज होता है वहां ही होस्टल होता है और जो होस्टल के लिये ग्रांट दी गई है वह होस्टल मे जो कमी है उसके लिये दी है और यह ग्रान्ट हमने पिछले साल दी है ताकि होस्टल मे कमरों की कमी को दूर किया जाए।

चौधरी फूल चंद (मुलाना): अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि पीने के पानी की स्कीम को पब्लिक हैल्थ वालो के पास कनवर्ट कर दिया है। मेरा कहने का मतलब यह था कि गांव मे सभी जगहों पर पब्लिक हैल्थ वालो की स्कीमज नही है। क्या इस बात को ध्यान मे रखते हुए यह काम सो ाल वैलफेयर डिपार्ठमैंट की मारफत करवाने की कृपा करेंगे क्योंकि कई जगहों पर लोगों को कुओं वगैरह और दूसरी तरह की स्कीमज की आव यकता पड़ती है जोकि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट नही कर सकता?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह काम वैलफेयर डिपार्टमैंट की तरफ से ही होता था और हमने यह महसूस किया कि इस काम के लिये यह पैसा बहुत कम है, इस से हरिजनों को हर प्रकार की सुविधाएं नही उपलब्ध हो सकती, तो हमने ट्रायल के तौर पर यह कार्य भाुरू किया है। अगर हमें कोई

दिक्कत महसूस हुई तो हम फिर इस बात पर दोबादा विचार करेंगे।

राम अभय सिंहः मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि 30 हजार रूपया एक होस्टल के लिए दिया गया है। उस होस्टल का क्या नाम है?

चौधरी भजन लालः इस वक्त नाम मेरे पास नही है।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरे गांव कुलेरी मे हरिजनों को जमीन खरीदने के लिये जो 60 हजार रूपये की रा ि ा नि ि चत की गई थी, वह सरकार का सारा पेसा लैप्स हो गया है, और उसका कुछ पता नही चल रहा, क्या सरकारइस बात की इन्क्वायरी करवाने के लिये तैयार है?

Mr. Speaker: This supplementary does not arise out of this question.

चौधरी मेहर चंदः स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इंडिविजुअल ग्रान्टस अलाट करने की अथॉरिटी किस के पास है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि कुछ ग्रांटस जिला स्तर पर डी.सी. की अध्यक्षता मे एक कमेटी बनी हुई है उसमे कुछ नान–आफी ाल मैंबर होते है और एम.एल.एज. भी होते है वे तय करते है। कुछ स्कीमे ऐसी है जिन को चंडीगढ़ मे

सैक्रेरियट लेबल पर और डायरैक्टोरेट लेबल पर तय किया जाता है।

Industrial Disputes

***1323. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of industrial disputes referred to the industrial Tribunal Haryana and the Labor Court Haryan during the years 1972-73, 1973-74 and 1974-75, separately; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above disposed of in favour of the employees and against the employees during the years referred to in part (a) above separately?

Development Minister (Col. Maha Singh): Statement containing the information is laid on the table of the House.

Statement

(a)	1972-73		286
	1973-74		288
	1974-75		327

(b) No. of cases disposed of—

	In fabour of employees	against the employees
1972-73	8	16
1973-74	20	30
1974-75	14	62

चौधरी राम लाल वधवा: वजीर साहब ने जो सवाल का जवाब दिया है उस मे सिर्फ एम्पलाईज के बारे मे ही बताया है और एम्पलायर्ज के बारे मे नही बताया है कि उन के हक मे कितने केस हुये, लेकिन मैंने यह पूछा है एम्पालाईज के हक मे कितने और इम्पलायर्ज के हक मे कितने हुये है।

कर्नल महा सिंह: हर डिस्प्यूट मे दोनो ही एम्पलाईज और एम्पलायर्ज इनवाल्व होते है।

चौधरी राम लाल वधवा: मैने यह पूछा है कि एम्पलाईज के हक मे कितने और एम्पलायर्ज के हक मे कितने केस हुये है?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब जो इन्होंने सवाल किया है वह पढ़ देता हूं:

"(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above disposed of in favour of the employees and against the employees during the years....."

तो जो कुद इन्होंने अपने सवाल मे पूछा है उसका जवाब आ गया है। इन्हो अपने सवाल मे for and agianst the emloyees कितने केस हुए है उसके बारे मे पूछा था, उसका जवाब दे दिया गया है।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, 1972–73 मे 286 केस रेफर हुये और 24 डिसपोज आफ हुये, 1973–74 मे 288 रैफर हुए और डिसपोज आफ हुये 50 और 1974–75 मे 327 केस रैफर हुए और डिसपोज आफ हुये 761। क्या वजीर साहब बतायेंगे कि वे यह महसूस नही करते कि यह डिसपोजल बहुत कम है और यह इसलिये कम है कि इंडिस्ट्रियल ट्रिब्यूलन और लेबर कोर्ट मे एक ही आदमी काम करता है? कया वह इस बात पर विचार करेंगे कि लेबर कोर्ट अलहिदा तौर पर बनाई जाये?

चौधरी बंसी लाल: विचार करने की बात नहीं अब बहुत जल्दी कोर्ट बनाने जा रहे है।

कर्नल महा सिंह: इसके अलावा बहुत से केसिज ऐसे है जो म्यूचूअली सैटल हो गये है क्योंकि बहुत सारे केसिज हम

कनसिलिये ान के लिये रैफर कर देते है ताकि एम्पलाईज परे ाान न हों और बहुत सारे केस ऐसे होते है जिनके बारे मे कोर्ट समझती है कि कोई केस नही बनता है और वह ड्राप हो जाते है।

श्री के.एन. गुलाटीः लेबर कोर्ट तो फैसला दे देती है लेकिन उस फैसले को इम्पलीमैंट कराने के लिये सिविल कोर्ट और जुडीि ायल कोर्ट मे जाना पड़ता है जिससे दिक्कत होती है। क्या इस बात पर विचार किया जायेगा कि लेबर कोर्ट को ही अपने फैसले को इम्पलीमैंट कराने का कम्पीटैंट बना दिया जाये ताकि सिविल और जुडीि ायल कोर्ट मे न जाना पड़े?

कर्नल महा सिंहः यह फैसला जो है वह केन्द्रीय सरकार के कानून के मुताबिक होता है और हरियाण सरकार का उससे कोई ताल्लुक नही है।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इन सवालों मे कितने ऐसे केस है जो कनसिलिये ान के जरिये सैटल कर दिये गये है?

कर्नल महा सिंहः इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये, आंकड़े इकट्ठे करके बता देंगे।

श्री के.एन. गुलाटीः क्या मंत्री महोदय और चीफ मिनिस्टर साहब सैंटर से मिल कर यह पावर लेबर कोर्ट को

दिलाने की कुपा करेंगे ताकि वह अपने फैसले इम्पलीमैंट करवा सकें?

Mr. Speaker: The reply has already come.

Telephone Facility in the Civil Supply Office, Faridabad

***1340. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Excise & Taxation be pleased to state—

(a) whether telphone facility exists in the Civil Supply Offiice, Faridabad; and

(b) if the reply to part (a) above is in the regative, the time by which the said facility is likely to be provided?

Excise & Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) No.

(b) State Government has sanctioned a temporary telephone for Distt. Food & Supplies Officer, Faridabad for wheat procurement Government of India have lready been requested for the immediated installation of this temporary telephone.

Houses for Harijans and Low Income Groups of Vilalges

***1346. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to states—

(a) whether the Government propose to undertake any programme of constructing houses for Harijans and other villagers falling in the category of Low Income Group during the Financial year 1975-76; and

(b) If so, the details of the said programme?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):

(क) नही। फिर भी आवास बोर्ड नगरों मे बनाये गये मकानो का 10 प्रति ात भाग इच्छुक हरिजनों के लिये अलाटमैंट मे आरक्षित रखता है।

(ख) जैसा ऊपर।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि गांव मे गरीब हरिजनों के लिये और गरीब कम आमदनी वाले लागों के लिये ऐसी योजना क्यो नही बना रहे है और ऐसी योजना गांव के लोगों के लिये न बनाने के क्या कारण है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि नगरों मे हाउसिंग कालोनीज बनाने के लिये गवर्नमैंट आफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है ''हाउसिंग एंड अर्बन डिवैल्पमैंट कारपोरे ान'' वह पैसा देती है और उस पैसे से नगरों मे हाउसिंग कालोनीज बनाई जाती है। देहात मे ऐसी कालोनीज

बनाने के लिये कोई ऐसी फाइनैं ाल इन्स्टीच्यू ान नही है तो इस काम के लिये धन दे। इस लिये गांवों के लिये कोई ऐसी स्कीम नही बनाई जाती। हां हरियाणा मे राजस्व विभाग की तरफ से ऐसे गरीब लोगों को, जिनके पास रहने के लिये जगह नही है, मकान नही है, फ्री प्लाट दिये जा रहे है और इस बारे मे अगर आप जानना चाहते है तो राजस्व मंत्री जी से पूछ सकते है और वह आपको बता सकते है। इसके अलावा भाहरों और देहात मे कम आय वाले और मध्यम आय वाले लोगों को घर बनाने के लिये लोन दिये जाते है। इसके अतिरिक्त और कोई योजना नही जिससे गांव मे मकाना बनाये जा सकें।

चौधरी चांद रामः हरिजनों के लिये 10 प्रति ात रिजर्वे ान रखी गई है लेकिन मै जानना चाहता हूं कि उनके लिये वही प्रति ात इस मद मे क्यों नही रखी गई है जो कि सर्विसिज मे है?

श्री बनारसी दास गुप्तः अलाटमैंट के बारे मे जितने नियम है वे फाइनैंस करने वाली बाडी की तरफ से बनाये हुये है। हम कोि ा ा करेंगे कि हरिजनों के लिये ज्यादा रिजर्वे ान कराई जाये।

श्री जगजीत सिंह टिक्काः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जो हाउसिंग कालोनीज बन रही है क्यो ऐसी कालोनीज

सब–डिवीजनल हैड–क्वार्टर्ज पर भी, जैसे नारायणगढ़ है, बनाने की कृपा करेगे?

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो जितने इंडस्ट्रियल टाऊनज है उन मे बना रहे है और उसके अलावा जिला हैड–क्वार्टर्ज पर भी काम भ्रारू कर दिया है। अभी सब–डिवीजनल लैवल पर बनाने के लिये धन उपलब्ध नही है।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हाउसिंग के बारे मे कोई योजना कुरूक्षेत्र मे है, ओर अगर है तो कब तक मुकम्मल हो जायेगी?

श्री बनारसी दास गुप्तः कुरूक्षेत्र मे योजना है। जमीन एक्वायर की जा रही है। जमीन का जल्दी ही पोजै ान लिया जा रहा है और उसके बाद निर्माण का कार्य भ्रारू हो जायेगा।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि देहात मे मुफ्त प्लाट देने के लिए गवर्नमैंट ने एक स्कीम चालू की है। मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमैंट वे प्लाट फ्री देगी या खरीद कर दे रही है या मुफ्त जमीन पंचायतों से लेकर दे रही है?

Revenue Minster (Pandit Chiranji Lal Sharma): Mr. Speaker, sir, the Government took a decision to give 100 sq. yards of land per family for home-steads to those who do not own houses. Lands vesting in the Panchayats under section 2(g) of the Village Common Lands Act are being given

to the Harijans because under Rule 10 of the said Act, the Panchayats are competent to give lands to landless people. Where such landd sbso;sn;r nu rcvjsmhr/

चौधरी ि ाव राम वर्मा: मंत्री महोदय ने कह कि सरकार भाहरों में केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार मकान बनाती हैं क्या प्रांतीय सरकार गांवों के लिए कोई योजना बनायेगी ताकि कम आमदनी वाले लोगां को मकान मिल सकें ?

श्री बनारसी दास गुप्त: फिलहाल ऐसी कोई योजना नही है।

चौधरी दलसिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हाउसिंग बोर्ड की जो कालानीज बन रही है उन मे अलाटमैंट क्या क्राइटीरिया क्या है?

श्री बनारसी दास गुप्त: लाटरी निकाल कर अलाटमैंअ की जाती है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 1968 से लेकर 1974 तक कितने मकान हरिजनों को दिए जा चुके है जिन को अलाटमैंट हो चुकी है और कब्जे दिए जा चुके है?

श्री बनारसी दास गुप्त: फरीदाबाद मे नये 500 हाउसिंज बना कर तैयार किए है। उन के लिए 11 हरिजनों ने एप्लाई किया था और उन 11 से 11 को मकान दे दिए गए है।

चौधरी चांद रामः रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने 100 मुरब्बा गज का प्लाट हरिजनो की जरूरत के लिए काफी समझा हैं जो अर्बन एरियाज के हरिजन है उन को क्यों नही ये प्लाट दिए जाते ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः वहां मकान सब के पास है, होमलैस कोई नही है। गुजस्ता 20–25 साल से कंसौलिडे ान हुई और हर गांव मे, हर लैंडलैस हरिजन प्रोप्राइटर को 5 मरला जमीन जो कि 150 गज होती थी, दी गई। उसके बाद आबादी बढ़ी। आबादी बढ़ने से गवर्नमैंट ने एहसास किया कि इन लोगों के लिए ऐसे मकानों की सहूलियत होनी चाहिए जिससे वे सुख की सांस ले सकें। जो फैमिली बढ़ी है, जिस झींवर के, हरिजन के मां बाप है और चार लड़के है और वे चारों भाादी भाुदा हो गए है उन के लिए 100 या 150 गज का मकान नाकाफी है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है `जो यह देखेगी कि कम से कम एक फैमिली को सौ गज का मकान जरूर होना चाहिए। उस जमीन के अलावा जो पहले दी गई थी, जिस व्यक्ति के चारों लड़के भाादी भाुदा हो चुके है, उन को पर–फैमिली सौ सौ गज का मकान होना चाहिए। इस आधार पर हमने तमाम जिलो के रैवेन्यू आफिसर्ज, पटवारियों और कानूनगोंओं की मीटिंग बुलाई और रैवेन्यु आफिसर की डयूटी लगाई कि खुद इन्फर्मे ान कुलैक्ट करें, खुद हरिजन कालोनी मे `जाकर इंफर्मे ान कुलैक्ट करे, पंचायतो मे जाने की या इधर उधर जाने की जरूरत न पड़े।

रैवेन्यू आफिसर, तहसीलदार, नायब–तहसीलदार, नायब तहसीलदार (रिकवरी) लाई माई जितने भी है वे खुद जाकर गांव गांव मे एक एक घर देखें कि उनकी रिक्वायरमैंटस क्या है। उनकी रिक्वायरमैंट के मुताबिक यह फैसल लिया गया है और आंकड़े इकट्ठे किए गए है, उस हिसाब से प्लाट दिए गए है।

श्री अमर सिंहः क्या महोदय ने फरमाया कि आंकड़े कि लिए गए है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अब तक कितने हरिजन ऐसे है जिन के पास प्लाट नही है और सरकार ने उनको प्लाट देने का फैसला किया है? क्या रैवेन्यु मिनिस्टर साहब इसके लिए कोई टाईम–बाउंड प्रोग्राम रखेंगे कि दो महीने, तीन महीने, या चार महीने के अन्दर सब को प्लाट या मकान दे दिए जाएंगे?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः 31 मई तक 8 जिलों के बारे मे कह सकता हूं कि प्लाट दे दिए जाएंगे। मैं 3 तारीख को भिवानी गया था और 8 को हिसार जा रहा हूं। 31 मई तक 8 जिलों मे प्लाट अलाट करके उन को कबजे दे दिए जाएंगे।

श्री ओम प्रका ा गर्गः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वे कौन से 8 जिले होंगे जिन मे प्लाट दिए जायेंगे ? क्या ये प्लाट भौडयूल्ड कास्टस को दिए जायेंगे या बैकवर्ड क्लासिज को भी दिए जायेंगे।

पंडित चिरंजी लाल भार्माः हमारी स्टेट मे 10 जिले है। भिवानी–हिसार को छोड़कर, जिन मे 31 मई की बजाये 15 जून

या 20 जून तक प्लाट अलाट होंगे, बाकी 8 जिलों को तो अपको पता है। हरिजन लोगों की झींवर भी है, खाती भी है जिन को मकान की तंगी है और फैमिली बड़ी हो चुकी है, उनको दिए जायेंगे।

चौधरी रिजक रामः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जहां वे देहात मे 31 मई तक प्लाट देना चाहते है वहां भाहरों मे प्लाट देने की स्कीम इस लिए लागू नही करना चाहते क्योंकि पंचायतों की जमीन है नही और सरकार कुछ खर्च नही करना चाहती?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः गवर्नमैंट आफ इंडिया की एक आल–ओवर यूनिफार्म पालिसी है, हम उस पालिसी के आधार पर इसको इम्पलीमैंट करना चाहते है। भाहरों के बारे मे जब निर्णय लिया जाएगा उस वक्त विचार करेंगे।

चौधरी चांद रामः जो ये गवर्नमैंट आफ इंडिया की डायरैक ान की बात करते है वह अक्तुबर, 1973 की डायरैक ान है जो गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जारी की थी कि हरिजनों को प्लाट दिए जाएंगे.....?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः 1973 की डायरैक ान का तो मुझे पता नही.....

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): चौधरी चांद राम जी का कहना ठी है कि यह पुरानी हिदायत थी और वह काम हमने सो ाल वैलफेयर डिपार्टमैंट के अधिकारी जब पटवारी के पास,

एम.डी.ओ. और तहसीलदार वगैरह के पास जाते थे तो इंफर्मेशन कुलैक्ट नही कर पाते थे। यह सोच कर रैवेन्यु डिपार्टमैंट के जिम्मे लगा दिया है क्योंकि उनकी डायरैक्ट एप्रोच है। इस काम को जल्दी से जल्दी, जैसा कि रैवेन्यु मिनिस्टर ने बताया है, पूरा कर दिया जाएगा।

चौधरी रिजक रामः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अब तक जो प्लाटस के लिए जमीन हासिल की गई है उस पर क्या सरकार ने खर्च किया है या पंचायतों से मुफ्त ली है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः इसमे खच्र करने का सवाल ही पैदा नही होता। जो लैंड पंचायतो मे वैस्ट होती है वह गांव मे 36 बरादरी की है और पंचायतें उसकी मालिक है। पंचायत को अंडर रूल 10 लैंडलैंस को देने का अधिकार है और ये जमीने लैंडलैस को अलाट की जाएगी, पंचायतें बाकायदा रैजाल्यूशन पास कर देगी और उनका कागजात मे अमलदरामद कर दिया जाएगा।

चौधरी अब्दुर रजाक खांः 1970 से घनेला मे कुछ बुनियादें मुकम्मल हुई पड़ी हैं सरकार कब तक इस काम को पूरा करवायेगी ?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः हाउसिसंग बोर्ड की तरफ से घनेला की कोई स्कीम नही चल रही ।

चौधरी चांद रामः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ऐसी हिदायतें है कि 150 से 200 गज के प्लाटस पर गवर्नमैंट आफ इंडिया, स्टेट गवर्नमैंअ को ग्रांट या सबसिटी देगी, अगर स्टेट गवर्नमैंट प्लाट देगी?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः जहां तक मुझे इलम है, ऐसी कोई हिदायत नही है, अगर थी तो गवर्नमैंट आफ इंडिया ने बन्द कर दी है।

श्री जगजीत सिंग टिक्काः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो लैंडलैंस को होम साईट देनी है उसमे बैकवर्ड क्लासिज और हरिजनों के अलावा और आदमी भी है जो इस कैटेगरी मे फाल करते है? क्या दूसरे लोगो को भी देंगे या नही?

पंडित चिरंजी लाल भार्माः जी नही। स्पीकर साहब, बहुत पुरानी चीज चली आ रही है और यह आपति होती है बेचारे हरिजनों को, गरीबों को देहात मे जमीन मोल भी नही मिलती। लैंड वाले अपनी जमीन बेचना तौहीन समझते है। गवर्नमैंट की यह प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जिन को जमीन हनी मिलती उनके लिए we are forced to purchase. इसलिए यह फैसला किया गया है।

Chilling Centre

***1335. Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for Finance be pleased to state the District wise total number of chilling centres established in the State during the period from 1st November, 1966 to 31st March, 1975 togetherwith the

total number of such centres located in urban and rural areas separately?

State Minister for Home & Health (Smt. Sharda Rani):

District	No. of Chilling Centres established		
	Rural	Urban	Total
Jind	4	--	4
Hissar	2	--	2
Bhiwani	1	--	1
Rohtak	1	1	2
Gurgaon	2	--	2
Ambala	1	--	1
Total	11	--	12

Chaudhri Mehar Chand: May I know if in order to provide livelibood to poor sections of the society there is any proposal under the considertion of the Government of establishing chilling centres of milk for manufacture of ghee in areas which are for away from the milk plants?

श्रीमती भारदा रानीः जनाब स्पीकर साहब, चिलिंग सैंटर जो है ये मिल्क प्लांट को फीड करने के लिए खोल रहे है और

नये–नये चिलिंग प्लांट वे भी अभी खुलते जा रहे है लेकिन जो मौजूदा चिलिंग प्लांटस है वे हमारे मिल्क प्लांटस को फीड कर रहे है। अभी यह गवर्नमैंट के अन्डर–कंसिड्रै ान है कि नये चिलिंग प्लांटस और मिल्क प्लांटस भी खोले जायें लेकिन कहां पर खोले जायेगें यह अभी कुछ नही कहा जा सकता। जहां पर ज्यादा दूध सप्लाई होने की सम्भावना होगी वहां पर ही खोले जायेंगे।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

(i) बहिर्गमन

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, आपकी इजाजत हो तो कुछ अर्ज कर दूं। मेरी एक ब्रीच आफ प्रिविलेज मो ान थीं उसके बारे मे मुझे जवाब मिल गया है।

श्री अध्यक्षः आर्ड प्लीज, आर्डर प्लीज।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, प्रिविलेज मो ान का जवाब मिल गया है।

श्री अध्यक्षः जवाब मिल गया?

चौधरी चांद रामः जी हां, जवाब मिल गया है। उसी जवाब के बारे मे सबमि ान करनी थी।

Mr. Speaker: When the motion is not in order.....

चौधरी चांद रामः आपने जो जवाब लिखा है, मैं उसी के बारे मे अर्ज करना चाहता हूं। मेरी सबमि ान यह है कि इस के जवाब मे एक तो यह लिखा है कि इसलिए इजाजत नही दी जाती कि चीफ मिनिस्टर के बारे मे जो प्रिविलेज मो ान दी है उसके पूरे डाकुमैंटस साथ नही लगे हुए है। स्पीकर साहब, इसमे दूसरे पेज पर हिन्दुस्तान टाईम्ज अखबार की कापी लगी हुई है।

Mr. Speaker: Order please. No such comments. As the motion is not accoumpanied by the document, the motion is not in order and I have refused the consent because it does not make out a prima facie case of breach of privilege.

चौधरी चांद रामः दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं.....विघ्न.....पहली बात तो मैंने डाकुमैंट के बारे मे अर्ज की.....विघ्न.....स्पीकर साहब, कापी आफ दी न्यूज पेपर ही तो होगी न जी। .....भाोर.....

Mr. Speaker: Order please. No discussion.

चौधरी चांद रामः और क्या होगा जी। Copy of the newspaper is there.

Mr. Speaker: Please see rule 262 of the Rules of Preocedure and Conduct of Business. It must be accompanied by the document and not the copy which is not even authenticated.

चौधरी चांद रामः वह तो रैफरेन्स के लिए होगी। उसमे तो रैफरेन्स दिया हुआ है।

Mr. Speaker: Order please. No discussion on it. Please read the Rule first.

चौधरी चांद रामः मेरे पास वे रूल है। मैंने यह लिखा है कि मेरे पास डाकुमैंट है, अब डाकुमैंटस रैफरेंस ही है चीफ मिनिस्टर स्पीच का।

Mr. Speaker: Order Please. No, I do not allow discussion on it. When the rule is so clear, every privilege motion must be accompanied by the document.

चौधरी चांद रामः तो इसलिये तो मैं जिक्र कर रहा हूं।. .....विघ्न फिर दूसरी बात यह है–

Mr. Speaker: No discussion on the motion.

चौधरी चांद रामः डिस्क ान नही, स्पीकर साहब, मैं अपासे सबमि ान कर रहा हूं।

Mr. Speaker: When the motion is out of order, how can the question be raised in the House?

चौधरी चांद रामः आउट आफ आर्डर तो आपने इसलिए कहा कि एक तो डाकुमैंट नही है। तो हम आपके साम प्लीड तो कर सकते है, आपके सामने दरखास्त तो कर सकते है..... विघ्न.....

Mr. Speaker: Order please. When the motion is out of order I have declared it out of order and I have refused my

consent to it, then how can the question be raised in the House?

Chaudhri Chand Ram: Sir, you have declared it out of order because it does not, according to you, fulfil certain conditions.

Mr. Speaker: You may come is my Chamber and discuss it thee with me and not in the House.

Chaudhri Chand Ram: This is the last day of the Session.

Mr. Speaker: Order please. You have received the reply. You shold have come before raising this point here.

Chaudhri Chand Ram: Sir, it was received by me at 2.30 P.M. It has just been given to me while I was sitting her. How can I discuss it with you?

Mr. Speaker: Order please. Please take you seat.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैं सबमि ान तो यही कर रहा हूं। आप मैंबर्ज के कास्टोडियन है, आप हाउस के कस्टोडियन है। आप मेरी बात सुन ले। आपका जो हुक्म होगा यह सिर माथे पर होगा। हम उसकी पालना करेंगे।

Mr. Speaker: If I allow my ruling to be discussed on the floor of the House.....

चौधरी चांद रामः जनाब, यह हमे ाा होता रहा है। अगर आप सुनेंगे तो यह हमे ाा होता रहा ह। आप अपने

डिसीजन को री–कंसिडर भी कर सकते है। क्योंकि आपने एक डाकुमैंट के लिए कहा कि डाकुमैंट नही है। हमने उसके बारे मे अर्ज किया कि डाकुमैंट उसके साथ है।

Mr. Speaker: Order please. No, I do not want o listen the reason. It cannot be discussed in the House.

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय, मै आपकी इस बात का व्यवस्था चाहता हूं कि जब अध्यक्ष महोदय की ओर से निर्णय लिया गया और उसके बारे मे रूल भी बड़ा स्पश्ट है, उसमे बतलाया गया है कि बिना सपोडिंग डाकुमैंट के कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज मो ान नही बनती है, तो क्या आप इस पर डिस्क ान अलाऊ करते है?

Mr. Speaker: No discussion please.

चौधरी रिजक राम: On a point of order, Sir, जनाबे आली अभी आपने फरमाया कि प्रिविलेज मो ान के साथ सपोटिंग डाकुमैंट जरूरी है। अगर सपोटिंग डाकुमैंट जरूर चाहिए तो जहां ओरल स्टेटमैंट हो और अखबार की कापी साथ हो तो और डाकुमैंट क्या दिये जा सकते है ? क्या स्पीकर साहब, इस पर आप क्लैरिफाई करेंगे ?

Mr. Speaker: The issue of the newspaper in which it appreas that must be accompanied.

Chaudhri Chand Ram: Sir, copy has been given.

Mr. Speaker: No, it is not there.

चौधरी देवी लालः On a point of order, Sir, स्पीकर साहब, हमने हरियाणा विधान सभा की लाइब्रेरी मे 15 तरीख का अखबार तला ा किया परन्तु वहां अखबर मिसिंग है। फिर हमने पंजाब विधान सभा की लाइब्रेरी मे अखबार तला ा किया और उसका रैफरैंस इसमे दिया है जिसमे क्लीयर कहा है कि चीफ मिनिस्टर.....व्यवधान.....

Mr. Speaker: Order please. No discussion I will not allow discussion. It is not my fault that you have failed to trace the newspaper. It is not my fault. Please take your seat.

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, यह आपका फाल्ट नही है। लेकिन उसमे रैफरेंस है। मैं यह कह रहा हूं कि अभी हाई कोर्ट मे यह केस चल रहा है। स्पीकर साहब, चौधरी हरद्वारी लाल आने ही वाले है। (हंसी)

Mr. Speaker: I do not allow the discusison.

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, चौधरी साहब के वकील को आ लेने दो फिर इस प्वांयट को उठा लेना। (हंसी)

Mr. Speaker: No discussion please.

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, यहां पर कहना यह है कि जब उसका रैफरेंस है और यहां इतनी गड़बड़ है, यहां पर 15

तरीख का हिन्दुस्तान टाईम्स अखबार नही है और सारे अखबार मौजुद है, हम पंजाब की लाइब्रेरी मे गये.....(विघ्न).....
.

श्री अध्यक्षः अखबार सिर्फ लाइब्रेरी मे नही, हरेक घर मे, हरेक दफ्तर मे सारे अखबार मौजूद होते है। कहीं से ले सकते है The motion is out of order. I will not allow the issue to be raised.

चौधरी देवी लालः हां मैं फरवरी के महीने की 15 तारीख की बात कर रहा हूं।

Mr. Speaker: The motion is out of rder. I will not allow it to be raised.

चौधरी देवी लालः आखिर हाउस की जिम्मेवारी है। अगर आप ही अलाऊ नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

श्री बनारसी दास गुप्तः स्पीकर साहब, on a point of order, Sir, मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि जैसे सो–काल्ड स्टेटमैंट का रैफरेन्स दिया जाता है ब्रीच आफ प्रिविलज के लिए और जिस मैंबर के खिलाफ बतलाते है क्या वह स्टेटमैंट, अगर दी गई है तो वह मैंबर उस वक्त इस हाउस के सदस्य थे? अगर हाउस के सदस्य नही थे तो ब्रीच आफ प्रिविलज कैसे बन गई?

Mr. Speaker: Order please. I have ruled it out of order. No discussion on it.

चौधरी रिजक रामः On a point of order, Sir, अभी गुप्ता जी ने जो फरमाया कि वे मैंबर उस वक्त नही थे इसलिए ब्रीच आफ प्रिविलेज नही बन सकतां तो क्या मैं, स्पीकर साहब, यह दरियाफत कर सकता हूं कि जो वर्ड प्रिविलेज मो ान मे दिये है कि अगर वे इलैक्टिड भी हो गये है तो वे चौधरी हरद्वारी लाल की तरह निकाल दिये जायेंगे, would it not constitute breach of privilege?

Mr. Speaker: Order please, I ahve already ruled. How can you ask me togive my ruling over and over again?

Chaudhri Rizaq Ram: How can a Minister ask questions from you, Sir? And uyou snub Members from the Opposition like this.

Mr. Speaker: No, I have already.....

Chaudhri Rizaq Ram: When you allow members from the Treasury benches, why don't you snub them?

Mr. Speaker: I have not allowed him. I have not allowed the Minsiter even to rais this point. I have already decided that this matter is out of order and I withhold my consent. Therefore, it cannot be raised on the floor of the House.

Chaudhri Rizaq Ram: That is correct, Sir. But anyway it is an important matter and members can make their submissions to the Speaker to revise his order. There is nothing final in the order or decisionof the Speaker. When it is an important matter relating to the irivileges of the Members,

it can be raised and submissions can be made. This has been the practice.

Mr. Speaker: According to the Rules it cannot be raised.

Chaudhri Rizaq Ram: No, Sir, according to theRules it can be raised.

Mr. Speaker: You firs see the rules.

Chaudhri Rizaq Ram: We have seen the Rules. The Speaker's orders do not have such a finility that no ruling given by the Speaker can be discussed in the House. There is no such finality.

श्री के.एन. गुलाटीः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, क्या आप अपने इस डिसीजन को रिवाईज करने के लिये तैया है ? ऐसा अगर आनरेबल चीफ मिनिस्टश्र ने कहा हो ''अगर मैंबर इलैक्ट भी हो जायेगा तो हरद्वारी लाल की तरह से निकाल देंगे'' और फिर भी आप प्रिविलेज मो ान एडमिट नही करते तो हम प्रोटैक्ट के तौर पर बाक–आउट करते है।

(इस समय श्री गणपत राय, चौधरी दल सिंह, चौधरी पीर चंद, चौधरी हरस्वरूप बूरा, महन्त श्रयो नाथ, चौधरी चांद राम, चौधरी देवी लाल, चौधरी ि ाव राम वर्मा और चौधरी रिजक राम हाउस से बाहर चले गये।)

चौधरी राम लाल वधवाः * * * * *

* * * * * * * * * * *

*

Mr. Speaker: Yo are speaking without my permission and nothing will from part of the proceedings.

(ii) बहिर्गमन

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि साइने डाई का मो ान आया हुआ है।

Mr. Speaker: When the motion will come you will have the right to speak.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, फिर मैं भी वाक–आउट करता हूं।

(इस समय चौधरी राम लाल वधवा वाक–आउट कर गए)

---

*अध्यक्ष महोदय के आदे ाानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

Mr. Speaker: I have to inform the House that in pursuance of Rule 224 of the rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, the Sixth Report of the Committee on Government Assurances for the yea r1974-75, was presented to me by the Chairman of the Committee on Government Assurances as this could not be

presented to the House before the expirey of the term of the offce of the Committee for the year 1974-75 due to the adjournment of the House sine-die on the 17th January, 1975.

In pursuance of the aforesaid rule, I had ordered the printing of the Sixth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1974-75.

Now, I lay a copy of this report on the Table of the Hosue.

कार्य–मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I repot the time table fixed by the Business Advisosry Committee in regard to various business, viz.,

"the Committee ment in the Chamber of the Speaker on Monday, the 5th May, 1975, at 5.00 p.m.

The Committee after some discussion, recommended that the business on the 6th May, 1975, be transacted at 2.00 P.M. as follows-

1. Questions Hour.
2. First Repot of the Business Advisory Committee.
3. Motion under Rule 16 regarding djournement of th Sabha Sine-die.

4. Papers to be laid on the Table of the House. (Two Notifications of the languages Department dated the 12th December, 1974 and 27th january, 1975).

5. Discussion on Reports.

6. Discussion on the Annual Report of the Haryana Financial Corporation for the year 1973-74. (Time allotted on hour).

7. Discussion on the Second Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. (Time allotted on hour).

8. Discussion on the Eghth Report of the Public Accounts Committee for the year 1974-75. (Time allotted on hour).

Discussion on the Report of the Public Accounts Committee has been recommended as a special case and it would not form precedemnt for future.

Time limit for speeches to be fixed according to the strength of the party and the duration of the speech of a member will not exceed more than 10 minutes."

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisosry Committee.

Mr. Speaker: Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisosry Committee.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि जो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमे आज साइने–डाई का मो ान भी आ गया है और अभी वह मो ान भी आ गया है कि हाउस आज साइने–डाई एडजर्न करने की आव यकता दिखाई नही देती। तीन इम्पौर्टेंट रिपोर्टस आज के एजण्डे पर आ गई है। एक ही रिपोर्ट जो यह पब्लिक उकाउन्टस कमेटी की है, यह इतनी इम्पोटैंट है कि इसकी अपनी एक बैकग्राउण्ड है जो सारे सदन को पता है। इसमे केवल हरियाणा ही इन्ट्रैस्टिड नही है बल्कि सारे दे ा के लोग इसके अन्दर इन्ट्रैस्टिड है। कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल की रिपोर्ट आयी। उसको पी.ए.सी. के पास भेजा गया। उस पर डिस्क ान के लिये सिर्फ दो घण्टे का समय फिक्स किया गया है। दो घण्टे के अन्दर तो उसके एक चैप्टर के आधे सफे पर भी डिस्क ान नही हो सकती। 235 सफों की तो एक रिपोर्ट है और 223 सफों की एक दूसरी रिपोर्ट है और इसके साथ ही भौड्यूल्ड कास्ट कमेटी जो दो साल से काम कर रही है और जिसकी इतनी इम्पोटैंट रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी डिस्क ान के लिए समय चाहिए। फिर, स्पीकर साहब, मैंने दो काल अटैं ान नोटिस अभी दिये। आपने हुकम फरमाया था.....(व्यवधान)

Mr. Speaker: No. Order please. Nothing about the Call Attention motion.

चौधरी राम लाल वधवाः क्योंकि आज अखिरी दिन है इसलिये स्पीकर साहब, मैं एक सबमि ान कर रहा हूं.....

Mr. Speaker: No, you cannot.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि.....

Mr. Speaker: Item on the agenda is the Report of the Business Advisory Committee.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि यह जो बिलनैस आज के लिये रखा गया है इसके अन्दर एक और मो ान भी मैंने दी हुई थी जोकि एडमिट हो चुकी है और सरकुलेट भी हो चुकी है। इसी रिपोर्ट के बारे मे ही मैंने एक मो ानदिया हुआ है जो एडमिटिड हैं वह बिलनैस एडवाइजरी कमेटी के नोटिस मे नही आयी। जनाब, उसको एउमिट कर चुके है.....।

Mr. Speaker: Order please. That has not been admitted.

चौधरी राम लाल वधवाः जनाब, मेरा विचार है एडमिटिड है। मैं नोटिस दे चुका हूं कि प्रोक्योरमैंट पालिसी का मो ान जो है, वह उढमिट कर लिया जाए और उसका नोटिस सरकुलेट हो चुका है। जो इनहोंने भेजा है, वह सरकुलेट होकर

मेरे पास आ गया है। इसलिये, स्पीकर साहब, उसके लिये भी टाईम अलाट होना चाहिए। मेरी प्रार्थना यह भी है कि दो रिपोर्ट आज ले ली जायें और यह पब्लिक अकाउंटस कमेटी वाली जो रिपोर्ट है, इस पर कल सारा दिन लगाया जाये ताकि इस पर ठीक ढंग से डिस्क ान हो सके। इसलिये में इस मो ान का विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि साइने डाई की मो ान Adopt न की जाये।

Mr. Speaker: That motion has not been admitted and it is rejected Please send a copy of the notive which you are citing.

चौधरी राम लाल वधवा: जनाब, वह मैं देखकर बता दूंगा। मेरा ख्याल है (व्यवधान).....बहरहाल नोटिस मैंने दिया हुआ है।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): आप इनसे वह मंगवा लें। अगर इनकी बात गलत हुई तो फिर हम भी ब्रीच आफ प्रिविलेज का मो ान देंगे। We will bring motion for the breach of privilege that he has given wrong information to the House.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, as far as I remember, वह मुझे मिला है। मुझे हाउस को मिस लीड करने की क्या जरूरत है? .....(व्यवधान) इसमे मिस लीड करने की क्या बात है? मैंने उसके बारे मे नोटिस दिया हुआ है.....और वह

डिस्क ान होना चाहिए। इसलिए मैं इस मो ान का विरोध करता हूं।

Mr. Speaker: Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move—

That theAssembly at its rising this day shall stand adjourned *Sine-die*.

Mr. Speaker: Motion moved—

That theAssembly at its rising this day shall stand adjourned *Sine-die*.

Mr. Speaker: Question is—

That theAssembly at its rising this day shall stand adjourned *Sine-die*.

मेज पर रखे गए कागज–पत्र

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Sir, I beg to lay on the tbale on the House a copy each of the

following notifications as required under section 7 of the Haryana Official Language Act, 1969—

(i.) Education and Languages Department notification No 9674-Edu-LG-74/38571, dated the 12th December, 1974; and

(ii.) Education and Languages Department notification No 10000-Edu.1(3)-LG-74/3949, dated the 27th December, 1975; and

प्रतिवेदनों पर चर्चा

(i) हरियाणा वित्त–निगम का वार्शिक प्रतिवेदन

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): sir, I beg to move—

That the Annual Report of the Haryana Financial Corporation on the year 1973-74 be discussed.

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, मैं एक बात आपके थ्रू सबमिट करूंगा। यह बात पहले हो गयी थी कि टाईम की पाबन्दी होगी accordint to the strength of the party उसके ऊपर मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि उस पर स्टिक किया जाये। जिस पार्टी की जितनी स्ट्रैंथ है, उसी हिसाब से टाईम बांट कर दिया जाये।

चौधरी चांद रामः चीफ मिनिस्टर साहब ने बात तो ठीक कही है लेकिन अर्ज यह है कि कई एक बातें क्रिटीसिजम के तौर पर यह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम के तौर पर अपोजी ान ही कहेगी.. .....

चौधरी बंसी लालः मैंने उसमें ''न'' करी थी। ..... (व्यवधान).....मैंने कहा था कि मैं इससे सहमत नही हूं।

Mr. Speaker. Order please. It was suggested in the last session by Chaudhri Chand Ram. You suggested in the last session that time whould be given according to the strength of the party and I agreed. Now it is the Report of the

Business Advisory Committee and this is a part of the Report and it has been adopted by the House. Now this hasx become the order of the House.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैं यह मानता हूं कि पार्टी के हिसाब से समय मिलना चाहिए लेकिन उसमे यह बात थी कि गवर्नमैंट के बीच और अपोजी ान पार्टीज के बीच एक डिवीजन होनी चाहिए। अपोजी ान को ज्यादा से ज्यादा टाईम मिलना चाहिए–

चौधरी बंसी लालः ट्रैजरी बैन्चिज वाले तो इलैक्टिड है ही नही, वे तो नौमिनेटिड है। इलैक्टिड तो अपोजी ान वाले ही है (हंसी) (व्यवधान)....।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, हर लैजिस्लेचर मे पार्लियामैंट मे, यही तरीका है कि अपोजी ान वालों को ज्यादा टाईम दिया जाता है। गवर्नमैंट की जो कमियां होती है उनको अपोजी ान वाले बता सकें इसलिए उनको ज्यादा टाईम मिलना चाहिए। .....(व्यवधान).....

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Annual Report of the Haryana Financial Corporation for the year 1973-74 be discussed.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, वेसे तो इस रिपोर्ट के अन्दर कोई आबजैक्ानेबल बात नही है। मैं नही चाहता कि इस रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिटेल मे डिस्क ान

करूं क्योंकि इसमे से जो टाईम बचेगा मैं समझता हूं कि वह दूसरी रिपोर्ट पर डिस्क ान मे काम आएगा। मैं आ ाा करता हूं कि इस वक्त जितना मैं कम समय लूंगा दूसरी रिपोर्ट पर डिस्क ान के सयम मुझे ज्यादा टाईम दिया जाएगां स्पीकर साहअ, 1973.74 मे जो सैक ान्ज हुई है उनके बारे मे रिपोर्ट के पृश्ठ 5 पर लिखा है—

"In 1973-74, the Corporation established a new record by sanctioning a total financial assistance of Rs. 6,42,47,470 (Rupees Six crores forty tow lacs forty seven thousand four hundred and seventy) to 316 units as aganist Rs. 4,56,12,200 (Rupees four crores fifty six lacs twelve thousand and two hundred) to 303 units in the pevious year.

लेकिन स्पीकर साहब इसके साथ ही पेज 11 पर यह लिख दिया गया कि डिस्बर्समैंट 3 करोड़ 50 लाख 80 हजार रूपए हुई और यह रकम 244 यूनिटस को दी हुई है। (इस समय उपाध्यक्षा उदासीन हुई) इससे मालूम होता है कि जितनापैसा सैंक ान हुआ उससे आधा डिसबर्स हुआ। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह इस कार्पोरे ान की कारकर्दगी है। ये पहले तो लोगों को, यूनिटस को डबल सैंक ान कर देते है और डिस्बर्समैंट के वक्त कम देते है, इसका रिजन इस रिपोर्ट मे हनी है। इस तरह से हम बैलैंस ाीट के वक्त कम देते है, इसका रीजन इस रिपोर्ट मे नही है। इस तरह से हम बैलैंस ाीट के वक्त कम देते है, इसका रीजन इस रिपोर्ट मे नही है। इस तरह से हम बैलैंस ाीब को

देखते है तो उसके अन्दर यह सारी जो लायबिलिटी और असैटस साईड दी हुई है उस सब का टोटल जब देखते है तो कोई रूपया नही बचता। मुझे समझ नही आया कि रूपया 3 करोड़ 50 लाख 80 हजार 280 था जो 6 करोड़ 42 लाख 47 हजार 470 रूपया सैक ान करने की क्या जरूरत थी? इस बात का करर्पोरे ान को ध्यान करना चाहिए। इस तरह से चूनिटस सफर करते है। पहले तो यूनिटस को प्रोत्साहन दे दें कि रूपया सैक ान हो गया और 31 मार्च को यह कहना कि इतना रूपया हमारे पास नही है यह ठीक नही है। इसके अन्दर प्रौफिट हुआ है यह यह एक अच्छी बात है क्योंकि रूपया देते है इंट्रैस्ट उसका आता है। मैं एक सुझाव दूंगा कि सरकार इतना ज्यादा टैक्स जनता पर लगाती है। इसके अन्दर रूपए की इनवैस्टमैंट की गई है। मैं यह सजैस्ट करूंगा कि टैक्से ान और लगाए बगैर इस तरीके से कारपोरे ान मे ज्यादा इन्वैस्टमैंट करके सूद के जरिए रूपया ले तो वह ज्यादा बेहतर होगा।

इसके साथ ही साथ स्माल स्केल यूनिटस को जो रूपया दिया जाताह ै मैं आ ा करता हूं कि उसकी ओर कारपोर ान और ज्यादा से ज्यादा देगी। मैं समझता हूं कि मैंने जो एक दो सजै ान दिए है। सरकार इनके इनके ऊपर ध्यान देगी। इसके साथ ही साथ जहां तक लोन देने का ताल्लुक है उसके अन्दर बहुत सी डिफिकल्टीज है। कई बार सिक्योंरिटी का चक्कर रहता है। कर्जा देने का जो तरीका है उसको सिम्पल करने

की जरूरत है। मैं डिटेल मे नही जाता क्योंकि समय कम है। जो समय दिया है वह पूरा नही हो सकता। मैं अपनी ओर से सरकार से कहूंगा कि इसको सिम्पल करने की कोि ा ा करे। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह): मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा फाइनैं ान कार्पोरे ान की 1973–74 की रिपोर्ट डिस्कस हो रही है और मुझे खु ाी है कि चौधरी राम लाल जी ने पहली बार यह तारीफ की है। आम तौर पर हमे ाा वह क्रिटिसाइज करते है। 1967 मे यह कार्पोरे ान बनी थी और उसके बाद से हर साल कार्पोरे ान ने अपने काम मे इम्पूवमैंट दिखाई है जिसका फैक्टस एंड फिगर्ज दिखने से पता लगता है। अभी चौधरी राम लाल ने कहा कि सैक ान ज्यादा कर देते है। लेकिन डिसबर्समैंट थोड़ी की जाती है। उसमे भी कार्पोरे ान के लिए यह प्रौबलम है कि जेसे किसी ने एप्लीके ान दी तो उसको प्रोसैस करने के बाद जब उसकी फार्मैलटीज देखते है कि ठीक है तो पैसा सैक ान कर देते है लेकिन सैक ान के साथ कुछ कंडी ान्ज होती है। कंडी ान्ज को बाद मे देखते है जैसे स्टेट वर्दीनैंस, उसकी जो स्कीम है, उसकी टैक्नीकैलिटी, उसकी प्रौफिटेबिलिटी, ये सार चीजे देखने के बाद सिक्योंरिटी देता है। उसकी टोटल असैटस देखनी पड़ती है। इन सारी बातो मे समय लग जाता है और उसके बाद उसका डिसबर्समैंट भाुरू होता है। इस प्रकार जितनी ऐप्लीके ान्ज सैक ान हुई यह जरूरी नही कि

सब को उतना ही डिसबर्समैंट हो सके। उसमे कई फारमेलिटीज पूरी नही कर सकते। हम सैक ान लिबरली कर देते है लेकिन डिसबर्समैंट करते वक्त हमें फाईनैंस देखना पड़ता है। वैसे हमारी इस कारपोरे ान ने बहुत कोि ा ा की है, सारे रिसोर्सिज टैप किए है। अभी पिछले साल 75 लाख रूपया गवर्नमैंट ने औरदिया हे और रिजर्व बैंक से 75 लाख रूपया दिया है और दूसरे इंस्टीटयू ान्ज से भी रूपया सक्योर करने की कोि ा ा कर रहे है ताकि हरियाणा की इंडस्ट्रीज को मैक्सीमम फायदा हो। स्माल स्केल यूनिटस के बारे मे जो सुझाव आया है, मे एग्री करता हूं। हम कोि ा ा कर रहे है कि कारपोरे ान मे जो डिले होती है उसकी सिम्प्लीफिके ान की जाए और लोगों को इतनी दिक्कत न हों स्माल स्केल यूनिटस के लिए कोि ा ा करेंगे कि ज्यादा से जयादा लोन दे। वैसे अभी मिनिमम लिमिट 10 हजार रूपए हैं अगर कोइ स्माल स्केल यूनिट 10 हजार रूपए तक ऐप्लाई करता है तो कारपोरे ान लोन दे सकती है और मैक्सीमम लिमिट तीस लाख तक की है। तो इस बात पर आइन्दा के लिये चौधरी राम लाल जी ने सरकार का ध्यान दिलाया है और हम इस बात की पूरी कोि ा ा करेंगे कि स्माल स्केल यूनिटस को ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके। इस कारपोरे ान मे जितना काम हुआ है वह बड़ा ही सराहनीय हैं किसी भी दे ा मे, किसी भी स्टेट की कारपोरे ान से हमारी कारपोरे ान पीछे नही हैं सब से आगे है और इसने बहुत अच्छा कार्य किया है जिसके लिये हमे इसके

मैनेजिंग डायरैक्टर, चैयरमैन और स्टाफ को मुबारिकबाद देनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): Madam, I beg to move—

That the Second Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Casts and Scheduled Tribes be taken into consideration.

Deputy Speaker: Motion moved—

That the Second Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Casts and Scheduled Tribes be taken into consideration.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट इस सदन मे पे ा हुई है और इसको मैंने मूव किया है और यह जो कमेटी है यह पिछले दो सालों से काम करती चली आ रही है। मैं उन सम्माननीय सदस्यों को पूरा आदर करता हूं जोकि इस कमेटी के अन्दर है लेकिन मैं पूरे अदब के साथ उन से एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले साल जो रिपोर्ट आई वह सिर्फ 7 सफे की है और इस साल जो रिपोर्ट पे ा की है वह सिर्फ 5 सफे की है।

उसके अन्दर पिछली बार गालिबन ती डिपार्टमैंटस को ही टच किया गया था और इस रिपोर्ट के अन्दर भी दो डिपार्टमैंटस को टच किया गया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले ही गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इस बात की यह सजै ान दी थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण संबंधी समिति बनाई जाए जोकि इन लोगों की भलाई के लिये काम करें ओर तेजी के साथ अस पर काम चालू किया जाए। तब इस सदन के अन्दर यह कमेटी बनाई गई। तो मैं इस कमेटी के सम्माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह जो वर्किंग की स्पीड है बड़ी स्लो है, क्योंकि पहले ही लोग बहुत पिछड़े हुए है उनको नौकिरयों आदि मे ऐवरेज नही मिल रही है और अगर एक ही साल मे केवल दो ही डिपार्टमैंट मे छानबीन कर पायेंगे तो मैं नही समझता कि यह कमैटी जिस मकसद के लिये बनाई गई है वह मकसद भी पूरा होगा या नही और अगर होगा तो कितने सैंकड़ो सालो के अन्दर होगा। इसके साथ साथ पिछली जो रिपोर्ट रखी गई है उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, मेरी नजरों से वह गुजरी है और मैंने देख है कि उस रिपोर्ट के अन्दर कहीं पर भी यह जिक्र नही है कि कितनी बार साल के अन्दर इस कमेटी ने मीटिंगज की। इस तरीके से अगर लैंन्थी प्रोसीजर के साथ काम होगा तो इससे हरिजनों की भलाई होने वाली नही है। पहले साल के अन्दर कमेटी ने जो सरकार को रिकमैंडे ानज की थी उन पर सरकार ने क्या अमल किया है, इस बारे मे दूसरी रिपोर्ट मे कोइ जिक्र नही हैं मैं तो केवल इस नतीजे पर पहुंचा हूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि सरकार

ने इस कमेटी की रिकमैंडे ानज के ऊपर कोई गौर नही किया है, उसके ऊपर कोई अमल नही हुआ है, ऐस मुझे दिखाई देता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बाकी इन रिपोर्टस के अन्दर दो डिपार्टमैंटस को ही टच किया गया हे, उसमे एक पुलिस डिपार्टमैंट हैं पुलिस डिपार्टमैंट मे 7.76 परसैंट कम नौकरियां मिली हुई है। तो इन 27 सालों के अन्दर सरकार हरिजनों के लिये कुछ नही कर पाई। हरिजनों के लिये मकान चाहिए, जिसके लिये हो सकता है योजना बनानी पड़े लेकिन जो काम गवर्नमैंट के अपने हाथ मे है उसमे भी लोगों को पूरा हिस्सा नही मिल पा रहा है ओर जो हमारे पास रिपोर्टस आई है उन से हमें यह पता चलता है कि उन्हे नौकरियों मे भी पूरा हिस्सा नही मिल रहा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, कितने दु:ख की बात है। रिपोर्ट मे लिखा है:—

".....The Committee further recommends that a date bound programme, after considering the said survey report, may be chalked out by theGovernment to improve the existing arrangements for water supply to Harijan Bastis and to make satisfactory arrangements to feed Harijan Bastis by contructing new wells and repairing the old ones whenever necessary."

आ हालत यह हे कि 27 साल के अन्दर भी सरकार हरिजनों की बस्तियों मे पीने के पानी का प्रबन्ध नही कर सकी। इम्पूवमैंट और वैलफेयर की बात तो अलग रही। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर यह भी नही लिखा कि कहां—कहां पानी की

जरूरत है और कहां पर पीने का पानी होना चाहिए। अगर यह रिपोर्ट मे लिखा होता तो सरकार भी उस पर अमल करती।

इससे आगे पोस्टों की रिजर्वे ान के बारे मे लिखा हुआ है:—

"The Committee feel that persons belonging to the Scheduled Castes andScheduled Tribes do not generally come up to the prescribed minimum standard laid down be the Govenment for recruitment to the H.C.S. posts in the State resulting in that the fixd quota of Scheduled Castes for such posts remains unfulfilled....."

श्री अमर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इस पर बोलने के लिये सिर्फ एक घण्टे का टाईम दिया गया है ओर इस पर काफी आनरेबल मैंबर बोलना चाहेंगे क्योंकि भौडयूल्ड कास्ट मैंबर्ज भी इस मे बहुत इंट्रैस्ट रखते है। इसलिये मैं समझता हूं कि टाईम का ध्यान रखा जाए। अगर चौधरी राम लाल जी का टाईम फिक्स न किया गया तो कम से कम एक घण्टे तक तक तो ये बोलते रहैंगे। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि टाईम का खास ध्यान रखा जाए।

Deputy Spaeker: He will speak only for then minutes.

चौधरी राम लाल वधवा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कमेटी ने इतनी ही रिकमैंण्डे ान कर दी।

"...The Committee recommend that the minimum standard in the case of such castes may be suitably relaxed."

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा मिनिमम स्टैण्डर्ड को रिलैक्स करने के बारे मे कमेटी ने गवर्नमैंट को सिफारि ा की । अगर यह अपनी इस बारे मे कोई स्पैसिफिक रिकमैंडे ान कर देती कि क्या रिलैक्से ान होनी चाहिए तो बेहतर होता क्योंकि अगर गवर्नमैंट उस के मुताबिक रिलैक्से ान न करती तो हम कल को कह सकते थे कि गवर्नमैंट ने ऐसा नही किया। बस मे इतना ही कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और साथ ही मे मैं यह प्रार्थना कंरूगा कि मेरे बहुत से भाई चूंकि बोलने के लिये उत्सुक है इसलिए आप उनको बोलने का टाईम दे दीजिए।

चौधरी दलसिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चन्द मिलट ही इसके ऊपर कुद कहना चाहूंगा। इस कमेटी ने दो रिपोर्टस पे ा की हैं एक पहली रिपोर्ट और एक दूसरी रिपोर्ट । इन दोनों रिपोर्टस से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हर आदमी हरिजनों से मुहब्बत रखता हैं आप अखबारों मे देख ले, रेडियों पर सुन ले, या तो हरिजनों की भलाई नजर आती है यह बुराई नजर आती है और हर रोज ये कहते है कि हरिजनो की भलाई होनी चाहिये और यह सरकार भी हरिजनों की भलाई का दम भरती है मगर पिछले 27 सालों मे यह देखने मे आया है कि हरिजनों की जो हालत आज से 27 साल पहले थी वही आज है।

श्री गिरी ा चंन्द्र जो ीः On a point of order. डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी दलसिंह भी इन 27 सालों मे सरकार मे रहे है। वे कितने साल सरकार मे रहे है वह भी गिन लें।

चौधरी दलसिंहः मैं गुजारि ा कर रहा था कि हरिजनों की जो हालत 27 साल पहले थी वही आज है। कितने दुःख की बात है कि हरिजन सारे दे ा के लिये अनाज पैदा करने के लिये काम करते है, सुबह से भााम तक मेहनत करते है, लेकिन खुद भूखे पेट रहते है। आज गरीब हरिजन के पांव मे जूती नही है, उसके तन पर कपड़ा नही है। और पीने के लिये पानी नही है और उनकी बहुत दर्दनाक हालत है। यह सरकार हरिजन से वोट लेती ळे और उसके वोट से यह सरकार बनाते है लेकिन यह सरकार हरिजनों की बात तक नही पूछती है। बड़ी लम्बी चौड़ी स्कीमे बना कर ऐलान करते है कि उनके लिये यह करेंगे वह करेंगे, यह देदेंगे वह देंदेंगे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हरिजनों की हालत मे कोई फर्क नही है। हरिजन बड़ी बड़ी आली ाान कोठियां बनाते है जिन कोठियों मे ये वजीर साहिबान रहते है लेकिन उनके अपने रहने के लिये कोई मकान नही। गरीब हरिजन मजदूर यह सारा अनाज लोड अनलोड करता है लेकिन उसके लिये अनाज नही यह हरिजनों की वफादार सरकार 105 रूपये क्विंटल गंदम खरीद करके आगे दो कदम के फासले पर सस्ते अनाज का फट्टा लगा कर वही गंदम हरिजन को 138 रूपये क्विंटल के भाव पर बेचती हैं इस सरकार की जो बाते है वे कहने

की और है ओर करने की और है। इनकी करनी और कथनी मे बहुत फर्क है। वरना कोई वजह नही कि सालों साल तक इतने बड़े–बड़े प्रोग्राम उनके लिये बनने के बावजूद उनकी हालत वैसी की वैसी रहे और सुधरे नही। 1972 मे इस सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि हरिजनों को तीन महीने के अन्दर अन्दर जमीरन देंगे लेकिन आज तीन साल हो ये किसी को एक खूड जमीन भी नही मिली। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के रास्ते में यह जमीन देने मे किसने रूकावट डाली है? यह जो सरकार की जमीन है, बीड़ की जमीन है, हमें खु ाी होगी अगर सरकार इन गरीब लोगों को इसे देगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पांच लाख लोगो के जमीन के लिये ऐप्लीके ान्ज दी हैं अगर तीन रूपये कम से कम एक ऐप्लीके ान पर खर्चा लगाया जाये तो 15 लाख रूपया तो यह और पांच लाख लोगों की अगर एक दिन की दिहाड़ी पांच रूपये भी गिनी जाये तो 25 लाख रूपया यह और कुल मिला कर 40 लाख रूपये तो इन लोगो की जेब से निकल गये, लेकिन मिला कुछ नही और–

उपाध्यक्षाः आप रिपोर्ट पर ही बोले।

चौधरी दलसिंहः ये सारी चीजें रिपोर्ट मे है जो मैं कह रहा हूं । मैं अर्ज करता हूं कि बजाय हरिजनों को देने के उनके घर से 40 लाख रूपया निकलवा लिया इस सरकार ने। मैं इस सरकार की इस पालिसी को कण्डैम करता हूं । अब मैं आपको

कुछ फिगर्ज बताता हूं। यह जो पहली रिपोर्ट है इस के पेज एक पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के बारे में–

उपाध्यक्षाः इस वक्त पहली रिपोर्ट बंडर डिस्क ान नही, सैकंड रिपोर्ट अंडर डिस्क ान है, आप उस पर बोले।

चौधरी दलसिंहः मैं अर्ज करता हूं कि इस सरकार ने हरिजनों के लिये खास तौर से फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चलाया हुआ है और इनको कहते है कि पहले नसबंदी कराओ फिर जमीन देंगे लेकिन हुआ क्या कि हजारों की नसबंदी तो कर दी लेकिन जमीन एक खूड भी उनको नही दी। यह कमेटी भी भौड्यूल्ड कास्टस की नसबंदी की ही बात कहती है और कहती है कि–

"The Committee feel that the concept of family planning has not caught the imagination of the people in large and those belonging to the weaker section of the society, namely the Scheduled Castes in particular.

The Committee recommend to the Government to take necessary steps without the loss of further time to shift the emphasis from urban to rural areas particularly those inhabited by persons belonging to the Scheduled Casts. The Committee feel that there is little awareness of the impact of population among the Scheduled Castes as a prerequisite for their economic betterment, necessary steps may be taken to bring home to them, through various media, various benefits

accruing to them if they adopt family planning as a way of life as without it their economic growth will be diluted."

यह सरकार ते कहती है कि भौडयूल्ड कास्टस की नसबंदी करो लेकिन यह कमेटी जो उनकी भलाई की बनाई थी वह भी यही बात कहती है कि इनकी नसबंदी करो। मैं कहना चाहता हूं कि इस किस्म की ज्यादती वीकर सैक ान्ज की साथ नही होनी चाहिए–

उपाध्यक्षाः आप दूसरी रिपोर्ट पर ही बोले जो कि अंडर डिस्क ान हैं आप इरैलेवेंट बोल रही है।

चौधरी दलसिंहः अच्छा जी, मैं दूसरी रिपोर्ट पर ही आ जाता हूं। तो मैं अर्ज करता हूं कि सैकंड रिपोर्ट मे पुलिस डिपार्टमैंट के बारे कुछ कफगर्ज दी गई है पेज दो पर । इस मे बताया गया है कि इन्सपैक्टर्ज आफ पुलिस की तादाद 87 है लेकिन हरिजन कोई भी नही है इनमे पी.एस. आइज क्लास तीन 51 और हरिजन सिर्फ पांच है जोकि 9 फीसदी बनते है हालांकि रिजर्वे ान के अनुसार 20 फीसदी होने चाहिए। फिर आप देखे सब इंस्पैक्टर्ज आफ पुलिस क्लास तीन 286 है और इन में हरिजनों के लिये 20 फीसदी रिजर्वे ान कर रखी हैं जो सरकार खुद रूल बना कर उनको तोड़ती है और अपने रूल्ज पर खुद अमल नही करती उससे आप कभी उम्मीद कर सकते है कि वह हरिजनों का भला करेगी? बिल्कुल नही। फिर आप आगे चले। ए. एस. आईज आफ पुलिस क्लास तीन के 435 है और हरिजन सिर्फ

इन मे 11 है जो बीस फीसदी कोई भी नही। यह हालत है जो हरिजनों की सर्विसिज मे हो रही है। महकमा वालो से कमेटी ने इस बारे मे पूछ ताछ की कि यह कमी क्यो है और क्यों नही उनका रिजर्वे ान के अनुसार कोटा पूरा किया तो जवाब मिलता है कि क्वालिफाईड आदमी नही मिलते है। लेकिन इस बारे मे मै। अर्ज करता हूं कि आज से कुद महीने पहले की बात है कि ए.एस. आईज की पोस्टस के लिये इंट्रव्यू हुआ था और कई हरिजन लड़के मैरिट लिस्टर पर है। (घंटी) बस जी, मै जल्दी ही खत्म करता हूं। अम मैं रैवेन्यु डिपार्टमैंट पर आता हूं। इसके बारे मे भी इसी तरह से फिगर्ज दी हुई है। क्लास दो के 16 एम्पलाईज मे हरिजन केवल एक ही है जोकि 6 परसैंट बनता है। क्लास तीन एम्पलाईज की तादाद 303 है जिन मे हरिजन सिर्फ 25 है जोकि आठ परसैंट बनते है बीस परसैंट के मुकाबले मे। इसी तरह आप देखे क्लर्क की परसैंटेज, नीचे के लैवल के क्लास तीन के जो एम्पलाईज है, वे 18 है। जब महकमा वालों से इस बारे मे पूछा गया तो जो जवाब उन्होनें दिया वह इस रिपोर्ट के अन्दर लिखा है:—

"The Departmental representative stated in their written reply that promotion to non-gazetted posts of Deputy Superintendents etc. is made on the basis of seniority cum-fitness and hence no reservation is made."

कहते है कि फिटनैस भी देखेंगे। लेकिन मै पूछता हूं कि जिन लोगो के पास खाने को रोटी नही उनकी फिटनैंस कहां

से होगी ? यह सरकार खुद कहती है कि आज 66 परसैंअ आबादी हिनदुसतान की एक समय रोटी खाती है और 40 परसैंट लोग बिलों पावर्टी लाइन रहते है। तो ऐसे हालात मे इन गरीबों मे फिटनैस कहा से आयेगी ? यह तो सारी बहाने बाजी है। (घंटी) चलो जी मैं और लिस्ट छोड़ देता हूं, चपड़ासियों की बात ही करता हूं, क्योंकि लिस्ट बहुत लम्बी है। यह अपैंडिक्स एक मे आप देखे जमादार हरिजन इनको एक ही मिला, चौकीदार इनको भौडयूल्ड कास्टस का कोई रखने के लिये मिला ही नही। वाटर कैरियर भी इनको कोठ नही मिला। मैं पूछता हूं कि जमादार, चौकीदार और खलासी वगैरा के लिये कौन सी स्पै ाल क्वालिफिके ान की जरूरत थी जो इन पोस्टस के लिये कोई भी हरिजन आपको नही मिला? यह बड़ी अजीब कहानी है, मैं क्या कहूं?

Deputy Speaker: Please wind up, your time is over. It is one hour's discussion only.

चौधरी दलसिंहः मैं नौकरियों के लिए थोड़ी सी सजै ान देना चाहता हूं, थोड़ा सा टाईम दे दें । (घंटी)

Deputy Speaker: No, Please resume your seat. You have taken two minutes more. (Bell).

चौधरी दलसिंहः जब तक हरिजनो की तादाद उनकी रिजर्वे ान के मुताबिक पूरी न हो जब एक दूसरे लोगों को नौकरी पर न लगाया जाए..... (घंटी)

Deputy Speaker: No discussion, time is over.

चौधरी दलसिंहः मेरे साथ क्यों ज्यादती हो रही है..... ....(व्यवधान) (घंटी) मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए चौपाले बनाई जाएं, पीने के पानी का बन्दोबस्त किया जाए और नसबंदी न किया जाए। आपने मुझे टाईम दिया है, इसके लिए धन्यवाद।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ी (यमुनानगर): उपाध्यक्ष महोदया, मेरे जो दोस्त विरोधी पक्ष की तरफ से बोले है, वे इस कमेटी को नही समझ पाए कि यह कमेटी किस मकसद के लिए बनी थी। यह इस लिए बनी थी कि हरिजनों की तकलीफे क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, हरिजन कैसे रहते है, उनके रहने का ढंग क्या है, उनको क्या सहूलते मिलती है, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया हैं कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पे ा की है। कमेटी ने रिपोर्ट मे जो सिफारि ाात की है उस पर सरकार ने आगे कार्यवाही करनी है, वह अपने वक्त की बात है, एक तरकीब है जिस पर गवर्नमैंट ने कार्यवाही करनी है। लेकिन आज हमारे पास वे आंकड़े नही है, किस आधार पर इस वर्ग के लिए भलाई के कार्य कर सकते है। रैवेन्यू मिनिस्टर ने हरिजनों को मकानो के बारे मे, जमीन के बारे मे बताया कि 31 मई तक 8 जिलों मे सौ सौ वर्ग गज जमीन के प्लाट हरिजनों को, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नही है उन के लिये सरकार जमीन मुहैया कर देगी। उसके बाद जब

उनके पास जमीन हो जायेगी तो जाहिर है कि उनके मकान भी बनेंगे। यह सारी चीज हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लिये की जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट, जो डिस्क ान मे आई है, उसका मकसद यही है कि कमेटी ने कारगुजारी की है और अपने सुझाव रखे है जिन की बिना पर सरकार उचित कदम उठाएगी ताकि हरिजन लोगो की जरूरतो को पूरा कर सके। कमेटी की नुक्ताचीनी करने की बात उचित नही है । विरोधी दल ने नुक्ताचीनी करने का धंधा बना लिया है, कोई कंस्ट्रटिव तरीके की बात नही करते। अपोजी ान के कई भाई जो इस पदवी पर रह चुके है, मैं उन से पूछता हूं कि जब वे इस पदवी पर थे और हरिजनों के लिए उनके दिली मे दर्द था तो उस वक्त उन्होंने क्या क्या काम किए थे ? आज यह कारगुजारी की जा रही है कि गवर्नमैंट ने 31 मई तक 8 जिलों मे सौ सौ वर्ग गज के प्लाट हरिजनों को मकान बनाने के लिए देने का निर्णय किया है। जो साहिबान पहले बरसरे इक्तदार थे, चाहे चौधरी चांद राम थे, चाहे चौधरी दलसिंह थे, इनसे पहले चौधरी देवी लाल थे जो बहुत, पुराने पालियामैंटेरियन रह चुके है, पंजाब मे सरदार प्रताप सिंह कैरों के टाईम मे रह चुके है इन सब साहिबान ने हरिजनों के लिए क्या किया ? चौधरी रिजक राम है, ये हरिजनों के नेता है, इन्होंने क्या कुछ किया ? जिस मकसद के लिए रिपोर्ट सदन के सामने रखी गई है उस पर तो इन्होंने कुछ कहा ही नही, एक सियासी अखाड़ा बना दिया.....

चौधरी रिजक रामः On a point of order, Madam. मैं तो एक लफ्ज भी नही बोला है। मेरे बारे मे किस आधार पर बोल रहे है ..... (व्यवधान) मैंने इनके बारे मे कोई बात नही कही। (व्यवधान)

Deputy Speaker: No interruptions. Please resume your seat.

चौधरी रिजक रामः ये पढ़ कर भी आये है यह ऐसे ही बोलना भुरू कर दिया?

चौधरी दलसिंहः क्या यह रिपोर्ट डिस्कस हो रही है या चौधरी देवी लाल या रिजक राम डिस्कस हो रहे है? हमने तो रिपोर्ट को कंडैम ही नही किया, रिपोर्ट की बुराई नही की, आप ऐसे ही बिना आधार बात कर रहे है।

Deputy Speaker: Please resume your seat.

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः सरकार ने ड्रिकिंग वाटर और हरिजन बस्तियो के बारे मे तस्वीर रखी है कि सरकार क्या करने जा रही है, यह सब सो ाल वैल्फेयर मिनिस्टर ने बताया है। चौपाले बनाने के लिए सरकार ने ग्रांट दी है। मैंने पांच हरिजन चौपाले तैयार करवाई है और हर एम.एल.ए. करवा रहा है। अगर ये नही करवा सकते तो यह इनकी कमजोरी है। सरकार के पास ग्रांट है उसको लेकर करवा ले। अगर आप ग्रांट लेकर उसका उचित प्रयोंग नही कर सकते और खुर्दबुर्द कर देते है तो उसके

लिए सरकार जिम्मेवार नही है। हरिजनो को पीने का पानी देने के सिलसिले मे हम मानते है कि हरिजनो को तकलीफ है, पानी का प्रबन्ध होना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे पास आंकड़े न हो कि क्या होना चाहिए, कित बुनियाद पर होना चाहिए, पानी न मिलने के क्या रिजन है, उनकी क्या दिक्कते है तब तक कोई कदम उठाया नही जा सकता और यह कमेटी इसी मकसद के लिए बनाई गई थी। मैं इससे ज्यादा इस रिपोर्ट पर नही बोलना चाहता और कमेटी ने जो कुछ किया है वह बहुत अच्छे तरीके से किया है।

चौधरी चांद राम (बबैन अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूं कि हरिजनों की भलाई करने के लिए गवर्नमैंट नाकामयाब रही है। जो डयूटी कमेटी को आयद थी, उसके आंकड़े इस रिपोर्ट मे दिए है। मैं इन आंकड़ों को पढ़ने मैं हाउस का टाईम जाया नही करना चाहता, लेकिन मै समझता हूं कि जो सुझाव इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे दिए है, कम से कम गवर्नमैंट उन सुझावों को जरूर मान लेगी, क्योंकि इस कमेटी के चेयरमैन राव निहाल सिंह है, जो मेरे दोस्त है, कांग्रेस के प्रधान है। इस कमेटी के मैंबरों मे से एक मैंबर चौधरी पीर चंद को छोड़कर बाकी 8 मैंबर जो हे, वे या तो भाासक पार्टी के है, या भाासक दल के समर्थक है। अगर ये सिफारि ाात माल ली जाएं, तो मैं समझता हूं कि इस कमेटी के बनने का जो मन ाा था, वह रिपोर्ट हो जाएगा। भाडयूल्ड कास्टस के बारे मे जहां तक इस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, वह रिपोर्ट एक तरह से गवर्नमैंट के ऊपर

नो–कन्फीडैंस है। जहां तक भाडयूल्ड कास्टस की वैल्फेयर का ताल्लुक है, जैसा कि उन्होने कहा कि यह निर्णय पहली गवर्नमैंट ने भी नही लिया था, यह ठीक है, लेकिन अगर नही लिया था, तो यह हमारे खून मे कमी है, हमारे सिस्टम मे कमी है, क्योंकि पिछले 27 सालों से हरिजनो के लिए कांस्टीच्यू ान मे प्रोवीजन है, प्रिएम्बल मे लिखा हुआ है कि सब को समानता देंगे, वीकर सैक ान के लिए यह करेंगे, वह करेंगे खोस तौर पर नौकरियों के बारे मे लिखा है कि वि ोश कदम उठाए जाएंगे और आबादी के लिहाज से नौकरियों की परसैंटेज पूरी करेंगे। डिप्टी स्पीकर सहिबा, आप हैरान होंगी कि रिजर्वे ान आफ प्रमो ान का मामला था। 12–9–63 को ज्वांयट पंजाब मे पंजाब गवर्नमैंट ने एक हुक्म किया था, बड़ा डिटेल्ड आर्डर था जिस मे यह लिखा था कि पहली वकेंसी भाडयूल्उ कास्ट को दीी जाएगी। प्रमो ान मे क्लास (I) क्लास (II) क्लास (III) और क्लास (IV) मे जो प्रमो ान होगी, उसमे पहली वकैंसी भाडयूल्ड कास्ट को दी जाएगी। कुदरती बात है कि इस आर्डर से कुछ भाई ऐग्रीव्ड हुए और उन्होंने हाई कोर्ट मे अपील कर दी, तो वह हुक्म रद्द होने से जो ऐम्प्लाई अफैक्टिड था, जिसके लिखाफ यह फैसला हुआ, वह हरियाणा मे ऐलोकेट हो गया। हरियाणा गवर्नमैंट 12.9.63 के हुक्म को वैलिड करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने 18.12. 1970 को फैसला दिया कि पहली वकेंसी भाडयूल्ड कास्ट को दी जा सकती इसमे कोई अनकांस्टीच्यू ानल बात नही है, गैर कानूनी बात नही है। इसमे यह भी लिखा है कि क्लास (I) औरक्लास (II)

मै reservation in promotion देनी चाहिए। 12.9.63 का आर्डर हैं यह आर्डर वैलिड करार दिया गया है, परन्तु यह सरकार मानने के लिए तैयार नही। अजीब बात है। हरियाणा गवर्नमैंट की अपील सुप्रीम कोर्ट मे हाई कोर्ट चण्डीगढ़ के खिलाफ एक्सैप्ट होता है, मंजूर हाती है, लेकिन हरियाणा गवर्नमैंअ ने आज तक उस 12.9. 63 के हुक्म को बहाल नही किया, रेस्टोर नही किया, हालांकि यहां सदन मे गवर्नमैंट बार बार यह कहती रही है कि हम क्लास (I) और क्लास (II) मे रिजर्वे ान करेंगे। दूसरे मैंबर भी हरिजनों के वोट लेकर आते है। कांस्टीच्यु ान की भापथ खाते है कि कांस्टीच्यु ान के फेथफुल रहेंगे। तो जो गवर्नमैंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नही हो, वह गवर्नमैंट नही रहनी चाहिए। वह गवर्नमैंट रहने के काबिल नही हैं आप अन्दाजा लगाइए 18.12.70 से जंजाब मे हुक्म लागू कर दिए। पिछली तारीख से लागू किए है। जब यहां पंजाब मे 1966 मे श्री धर्मवीर गवर्नर थे, तो उन्होंने 12.9.63 के आर्डर को विद होल्ड किया था। उस वक्त राश्ट्रपति राज था, और हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हो रहा था। श्री धर्मबीर गवर्नर पापुलर गवर्नमैंट के फैसले को कैसे रद्द कर सकते है, चाहे वे राश्ट्रपति की नुमाइंदगी करते है? इस आर्डर की फाईल मौजूद है, तो वे इसको चेंज नही कर सकते, यह फैसला पापुलर गवर्नमैंट का है। एक आदमी, जो राश्ट्रपति का एजैंट है, वह भी नही कर सकतां इसके बाद हरियाणा पंजाब बन गया। हम यहां हरियाणा मे आए, फिर दोबारा फैसल ा किया गया। ब्यूरोक्रेसीकी वजह से यह फैसला इम्पलीमैंट

नही हो सका। सैंट्रल गवर्नमैंट ने क्लास (I) मे रिजर्वे ान बहाल कर दी है। आज सैंट्रल गवर्नमैंट मे पहली बकैंसी हरिजनों को दी गई है। क्लास (I) मे प्रमो ान मे रिजर्वे ान है, लेकिन हरियाणा गवर्नमैंट ने क्या किया है? सैंट्रल गवर्नमैंट की हिदायत होने के बावजूद भी, नही मानते। मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल के जवाब मे कहा गया कि हमारे कोई ऐसी हिदायत नही है। सैंट्रल गवर्नमैंट के सरकुलर आते है। बुकलैंट छपी हुई है, सर्विसिज के मामले मे। जहां पर बार बार यह किया जा रहा है वहां कैसे उनकी भलाई हो कसती है। यहां एक लफ्ज लिख दिया जाता है कि सिनियारिटी कम फिटनैस के हिसाब से प्रमो ान होगी। यह एक लीगल फ्ला है। यह एक चाल है। जिस प्रकार लैंडलैस, भूमि सुधार कानून मे कोई छिद्र छोड़ दिया गया, इसी तरह से हमारी रिक्रूटिंग म ाीनरी की ओर से कोई उम्मीद नही की जा सकती है। किसी ने किसी का हक काटा जाएगा और किसी को दिया जाएगा। ऐसी म ाीनरी पर कैसे छोड़ा जा सकता है? इलैक्टिड रेप्रिजैंटैटिव पर यह छोड़ना चाहिए। 17.12.1973 को जब हरिजन संघर्श समिति ने एजीटे ान बन्द की, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने अंग्रेजी मे स्टेटमैंअ जारी की। उसके लास्ट पैरे मे ये लफ्ज है–

"In addition to this, the Chief Minister will appoint an ad-hoc Committee to study and formulate measures for establishment of letter understanding (amongst all) on matters referred to in the memorandum earlier submitted to the Chief Minister by the haryana Harijan Sangarash Samiti."

17.12.73 को जो उन्होंने स्टैटमैंट दी उसमे नौकरियों मे हरिजनो को रिजर्वे ान की भी मांग थी। इसमे जमीन के मामले मे, हरिजनों की मजदूरी आदि के बारे मे कुल मिला करके दस मांगे थी। एक कमेटी बनाई गई थी, और उसके चेयरमैंन चौधरी फूल चंद है। फिर इस कमेटी से दूसरीकमेटी को वह मामला रैफर हुआ। उसकमेटी ने कुछ रिपोर्ट दे दी, कुछ नही दी। लेकिन आज यह रिपोर्ट हमारे सामने हैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कहना चाहता हूं कि रिक्रूटिंग एजेंसी का, चाहे वे अफसर है, चाहे एस.एस.एस. बोर्ड है, चाहे पब्लिक सर्विस कमी ान है, यह फर्ज है कि हरिजनो को पूरी रिजर्वे ान मिले। पब्लिक सर्विस कमी ान की रिपोर्ट आपके पास हैं 180—190 पोस्टस रिजर्व की गई। उसमे से दस पोस्टस हरिजनों को मिली है। कमी ान केवल 10 पोस्टस दे सका। तो इससे आप अन्दाजा लगाइए कि हरिजनों को किस तरह से पूरी नौकरियां मिलेंगी? जो रिक्रूटिंग अफसर है या प्रमो ान देने वाले है, जब तक वे पीनेलाईज नही होंगे, उनके खिलाफ एक ान नही लेंगे, यह उन को सजा नही देंगे तब तक पूरी रिजर्वे ान नही मिल सकती।

पुलिस डिपार्टमैंट ने लिखा है कि हरिजन उम्मीद्वार सिपाही अवेलेबल नही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं इसमे चैलेंज की बात नही करता, लेकिन मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सात दिन का नोटिस निकाल दीजिए, आप कितने ही हरिजन लड़के ले लीजिएं आपको हजारे लड़के मिलेंगे। हजारों लड़के

बेरोजगार फिरते है। देखना तो यह है कि रिक्रूट करने वाले आपके अफसर भी ठीक है या नही।

जींद के एस.पी. ने पुलिस में 17–18 सिपाही भर्ती किए, लेकिन हरिजन लड़का एक भी नही लिया। यह लिखकर भेज दिया कि मेरे पास एक भी हरिजन लड़का नही आयां जब तक अफसरो को डर नही होगा, उनको ऊपर से यह हिदायत नही होगी, तब तक परसैंटेज पूरी नही हो सकती। कमेटी ने खुद लिखा है कि जब डिपार्टमैंट वाले देते हैं जैसे 100 स्वीपर ले लिए, तो 22 हरिजन दिखा देते है और कहते है कि 122 हरिजन ले लिए हैं यह कितना मजाक है। जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। क्या आज कोई ब्राह्मण, खत्री, जाट स्वीपर का काम करने के लिए तैयार है? क्या एक घंटे भर के लिए तैयार है? कोई नही करेगा। कोई घंटे भर के लिए इस गंद को उठाने के लिए तैयार नही है? कोई तैयार नही होगा।

श्री गिरी ा चंद्र जो ीः On a pointof order, Madam,क्या स्वीपर की पोस्ट कोई रामदासिया लेने को तैयार है?

चौधरी चांद रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं उस दिन का स्वागत करूंगा जब स्वीकर का काम कोई ब्राह्मण या जो ी साहब का कोई रि तेदार करने के लिए तैयार होगा मुझे उस दिन बड़ी खु ी होगी। उस दिन स्वीपर की तनखाह 100 रूपए नही होगी। तो 500 रूपए और हजार रूपए स्वीपर की तनख्वाह होगी।

आप हैरान होंगे कि इस हाउस मे बार बार यह कहा गया कि चमार को धानक को हक ज्यादा मिल गए।

उपाध्यक्षाः आपका टाईम हो गया।

चौधरी चांद रामः मैं आपसे रिजर्वे ान के बारे मे अर्ज कर रहा था। मैं इस गवर्नमैंट से कहना चाहता हूं कि एच.सी.एस. जुडि ियरी मे जो सब जज इस साल भर्ती किए गए उनमे कोई हरिजन जुडि ियरी मे नही आया। आप देखिए कमी ान के अंदर कोई भी मैंबर नही है। पहले परिजन लड़कों को पास होने के लिए 35 परसैंट नंबर लेने पड़ते थे। फिर इन्होने 45 परसैंट कर दिये। यानी यह फैसला किया गया कि मिनिमम 45 परसैंट मार्क्स होने चाहिए। फिर इंटरव्यू के टाईम पर 55 परसैंट करांए कि वह भी सिलैक्ट नही हुआ। जुडि ियरी मे कोई हरिजन लड़का नही लिया गया। वाल्मीकियों के साथ भी ऐसा ही करते है। वाल्मीकि अफसर का केस मौजूद है, जिसको 55 साल की उर्म मे रिटायर किया गया।

उपाध्यक्षाः आपका टाईम हो गया।

चौधरी चांद रामः अच्छा जी, अब मैं खत्म ही कर रहा हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कमेटी, महज यह देखने के लिए बनाई गई थी कि हरिजनों को आर्थिक स्थिति कैसे ऊपर उठाई जा सकती है, सर्विसिज मे उनके वकार को कैसे कायम रखा जा

सकता है और रिक्रूटमैंट मे उनकी परसैंटेज कैसे पूरी हो सकती है। – (घंटी)– अच्छा जी, मैं बैठ जाता हूं।

श्री अमर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस के सामने रिपोर्ट आफ दी कमेटी आन दी वैल्फेयर आफ भाडयूल्ड कास्टस एंउ भाडयूल्ड ट्राईब्ज अंडर डिस्क ान है और इसके बारे मे बहुत सारी बाते हाउस मे आई है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक कमेटी के चेयरमैंन का सवाल है, मैंबरान का सवाल है, यह नौ मैंबरो की कमेटी थी, जो आज से दो साल पहले बनी थी।

सारी बातों की छानबीन करके फिर गवर्नमैंट को यह कमेटी रिपोर्ट करे और टाईम बाउन्उ प्रोग्राम बनाकर सरकार को हरिजनों को अप–लिफ्ट करने के लिये कहे ताकि उनकी आर्थिक हालात को सुधारा जाये, इस कमेटी का मं ाा यह था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक कमेटी का ताल्लुक है, फर्स्ट रिपोर्ट मे इसने डिपार्टमैंटस को ऐग्जामिन किया है ट्रान्सपोर्ट और ऐजुके ान। सैकंड रिपोर्ट मे भी पुलिस और रैवेन्यू, दो डिपार्टमैंटस को ऐग्जामिन किया है। इस कमेटी ने अब तक दो साल मे सिर्फ चार डिपार्टमैंटस को ही ऐग्जामिन किया है। मेरी सबमि ान यह है कि मुझे इस कमेटी की इंटेग्रिटी पर कोइ भाक नही है कि यह कमेटी हरिजनों की मदद मे न हो या चेयरमैन साहब किसी तरह कोई लैकूना छोड़े, बल्कि हमे पूरी आ ाा है और पूरी उम्मीद है कि वे पूरी छानबीन के साथ इस कमेटी के काम को मुकम्मल करेंगे। मेरी अर्ज यह है कि इसकी काम की

रफ्तार ढीली है। रफ्तार तेज होनी चाहिए ताकि सारे डिपार्टमैंट को ऐग्जामिन करने के बाद एक खाका हाउस के सामने आये कि इस तरह की हरिजनों की प्रौब्लम्ज है और उन प्रौब्लम्ज को इस ढंग से हल किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमे कोर्ठ दो राय नही है कि हरिजनों में से चौधरी चांद राम जी काफी पावर मे रहे है। हमे चौधरी चांद राम जी का जिक्र करते हुए बड़ी खु ाी है। हरिजनों के मसलों पर वे अब तो ज्यादा जोर दे रहे है लेकिन उस वक्त जब हम इनसे मिलते थे तो इनसे यही कहते थे कि जब तक हरिजनों की अप–लिफ्ट के लिये टाईम बाउंड प्रोग्राम नही बनाया जाता, उस वक्त तक हमारी प्रौब्लम हल नही हो सकती। मैं इस बारे मे इस हद तक जाने के लिये भी तैयार हूं कि हरिजनों को सर्विसिज मे जो परसैंटेज देनी है, उस परसैंटेज को पूरा करने के बार, हरिजनों को सर्विसिज मे जो परसैंटेज देनी है, उस परसैंटेज को पूरा करने के बाद, हरिजनों की हालत को सुधारने के बाद अगर रिजर्वे ान को खत्म भी कर दिया जये तो इसमे कोई एतराज नही है। हमारे माथे पर एक कलंक लगा हुआ है। आज हर देहाती और हर भाहरी यह कहता है कि हरिजनों की तरक्की हो रही है। मैं समझता हूं कि इनकी अप–लिफ्ट के लिये एक टाईम बाउंड प्रोग्राम बनना चाहिए। हरियाणा मे जो हरिजनों की हालत है, वह बाकी सूबों के हरिजनो की हालत से कुछ ठीक है। वहां तो हालत और भी बदतर हैं आप राजस्थान मे देखिए यू.पी. मे देखिये, उड़ीसा मे देखिये, बिहार मे देखिये। मैंने काफी स्टेटस मे घूम कर देखा है। यहां के हरिजन

तो फिर भी उसके कुछ सम्मानित है और सम्मान से आ जा सकते हैं कोई उनको चैंलेंज नही कर सकता। उनकी आर्थिक हालत दूसरे सूबो के मुकाबले मे कुछ ठीक है लेकिन उतनी अच्छी नही है। इस लिये मेरा इस कमेटी के चेयरमैन को सऔर सरकार को यह सुझाव है कि एक टाईम बाउंड प्रोग्राम बनाकर इनकी आर्थिक हालत को सुधारा जाये। जमीन पर तो सिर्फ लड़ने वाली बात रह गयी है। जो जमीन का नाम लेकर उनको साथ रखता है चाहे वह हरिजन लीडर है या कोई है, इस तरह से तो उनको पीछे धकेलने वाली बात है। सरकार से हम यह चखहते है कि जो फालतू जमीन पड़ी हुई है, चाहे वह कस्टोडियन की जमीन है, पी.डब्ल्यू.डी. की या इरीगे ान की या जो लैंड सीलिंग ऐक्ट के तहत सरप्लस जमीन आयेगी, उसको एक प्रोग्राम बनाकर जल्दी से जल्दी बांटा जाये ताकि जमीन वाला मसला भी हल हो जाये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरिजनो की आर्थिक हालत कैसे सुधर सकती है, इसके बारे मे मेरा एक सुझाव है। लोअर सरकल के अन्दर जहां कहीं भी हरिजनों की सोसाइटियां बनी, वह फेल हुई। इसलिये मेरी यह गुजारि ा है कि स्माल भौड बनाकर, स्माल यूनिट बनाकर, जैसे फाईनैंि ायल कारपोरे ान स्माल यूनिटस जो गांव गांव मे हरिजनों के बने, उनको चलाने के लिये मार्किटिंग का इंतजाम करे, उनके सैंटर भाहरों मे खोले जाये ताकि सब लोगो को काम मिल सके। इसी आधार पर सरकार ने कई जगह काम भुरू किया है, गरीब को थोड़ा सा ऊपर लाना चाहते है और अमीर को थोड़ा सा नीचे के स्तर पर लाना चाहते है ताकि बीच मे लाकर एक ऐसा

रास्ता बन जाये जो समाजवाद का रास्ता हो। समाजवार के लिये गरीबी को हटाया जाये। गरीबी भी तभी हट सकती है जब हर गरीब आदमी को काम मिलेगा। जब तक काम नही मिलेगा, मह बेरोजगार रहेगा। जब तक वह बेरोजगार रहेगा, गरीबी बनी रहेगी, गरीबी दूर नही हो सकती। इसलिये मेरी आपके द्वारा यह गुजारि ा है कि आर्थिक हालत सुधारने के लिये स्माल यूनिटस बनाकर हरिजनों को काम दिया जाये ताकि उनकी हालत सुधर जाये। जहां तक रिक्रूटमैंट का सवाल है, यह ठीक है कि कुछ आई.ए.एस., आई.पी.एस. हरियाणा मे है लेकिन इस कमेटी ने जो पुलिस और रैवैन्यू डिपार्टमैंटस ऐग्जामिन किये है, उनकी कोई बड़ी साउंड फिगर्ज रे ाो की नही है। इस की रिपोर्ट के पेज दो पर बहुत सारी कैटेगरीज की फिगर्ज दी हुई है। क्लास II क्लास III और क्लास IV मे भी रिजर्वे ान पूरी नही है। इस बारे मे गवर्नमैंट की तरफ से हिदायतें जारी हो। ताकि जो भी डिपार्टमैंट एग्जामिन हुए है वे ती, चार या छः महीने के अन्दर उनकी टोटल रिक्रूटमैंट करके डैफि ान्सी को पूरा करे। स्पीकर साहब, एक दफा ज्वांयट पंजाब मे स्वीपर्ज की तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक बिल जेरे बहस था। (घंटी) मैं सिर्फ एक या दो मिनट और दूंगा। उनकी तनख्वाह 80 रूपए थी ओर 10 रूपये और बढ़ाने की बात थी। लेट ऐक्स–चीफ मिनिस्टर सरदार लछमन सिंह गिल उस समय डिप्टी लीडर आफ अपोजी ान होते थे। उस वक्त उन्होंने उसकी अपोजी ान की कि किसी स्वीपर की तनख्वाह न बढ़ायी जाये क्योंकि एक स्वीपर के घर मे चार मैंबर होते ह। चारो मैंबरों

को अस्सी अस्सी रूपये मिलते है इसलिये उनकी तनख्वाह नही बढ़ायी जानी चाहिए। उनहोंने इस तरह से उस बिल का विरोध किया था। स्पीकर साह, मैंने उस वक्त जवाब दिया था। किसी भी कास्ट हिन्दू को जो उस वक्त मैंबर होता था, 300 रूपये मिलते थे, मैंने उन्हें यह चैलेंज किया था ऑन दी फ्लोर आफ दी हाउस कि अगर सरदार लछमन सिंह गिल की फैमिली का कोई भी मैंबर स्वीपर का काम करने के लिये तैयार हो तो जो मुझे तीन सौ रूपये मिलते है, मेरा कोई सोर्स ाअफ इंकम नही है, वह उस को दे दिए जाएं, इसके बारे मे मैं स्पीकर को लिखकर दे दूंगा। वह स्वीपर का काम करके देखे। यह ऐसा घृणात्मक काम है जो स्वीपर करता है कि उसे दूसरा कोई कर नही सकता। आज के जमाने से पहले कबीर और संत रविदास के जमाने मे जो हरिजनों की स्थिति थी, वह तो आ नही सकती। आज के युग मे पैदा हुआ व्यक्ति इन बातो मे यकीन नही रख सकता और न ही वह इन बातो को सच मान सकसता है। लेकिन आर्थिक हालत को सुधारने के लिये कोई न कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना होगा। इसलिये मेरी गुजारि ा यह है, आपके द्वारा कमेटी के चेयरमैन साहब से ओर सरकार से कि इस ओर अधिकर ध्यान दिया जाये औरटाईम बाउंड प्रोग्राम बनाकर उनकी हालत मे सुधार किया जाये, जैसे हरिजनों को प्लाटस देने की बात हैं जिन फैमिलीज के पास प्लाट नही है, गांव गांव मे सक्रूटिनी कराकर, एक टाईम बाउन्ड प्रोग्राम अनाकर उन्हे जल्दी से जल्दी प्लाट दिये जाये। उनकी हालत सुधारने के लिए काम धन्धा दिया जाये और सर्विसिज मे सिक्योर किया जाए।

यही मेरी सबमि ान है और इससे सरकार मजबूत होगी क्योकि यह ऐसा वर्ग है जो यह चाहता है कि जो समाजवादी ढांचा खुर्दबुर्द करने के लिये, हरिजनों की भलाई के लिये तरह तरह से नारे लगाते है, हरिजनो को बहकाने की बाते करते है उससे हरिजनों को नुक्सान होगा। (घंटी) हरिजनों के लिये जो प्रेजैंट डैमोक्रेटिक सैट–अप है इससे ज्यादा अच्छा सैट–अप नही हो सकता। जो बैकवर्ड क्लासिज है, जो डाउन–ट्रौडन है, सरकार ने कोई त्रुटि है। इन सब बातेा को ध्यान मे रखकर सारी बातो को एग्जामिन किया जाए और फिर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आए और उसके बाद उसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट किया जाए। धन्यवाद।

समाज कल्याण मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सदन मे हरिजनों की भलाई के बारे मे चर्चा हो रही है। सरकार ने इस बात को महसूस किया कि हरिजनों की आर्थिक हालत को सुधारा जाए। हरिजनों की भलाई किस तरह से हो सकती है और हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के जो लोग है उनको किस तरह से ऊंचा उठाया जाए। इसी बात को मद्देनजर रखकर एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सरकार को दी है, सरकार इसके ऊपर हर बात को बहुत गहराई से सोचेगी और जो भी ठीक बात होगी उसको इम्पलीमैंट करने की पूरी कोि ा ा करेगी। कुछेक सदस्यों ने ठीक बाते कही है। श्री अमर सिंह जी ने ठीक बात कही है लेकिन चौधरी दल सिंह

कुछ और तरीके से बात कह गए कि हरिजनों की हालत जो आज से 27 साल पहले थी वही आज है। यह उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बात कही है। आई.ए.एस., आई.पी.एस. अफसरों की बात तो दूर रही, कोई हैड कांस्टेबल भी मुि कल से दिखाई देता था। आज सर्विसिज के अन्दर सरकार ने हर जगह पूरे स्थानों पर हरिजनों के लिये रिजर्वे ान दी है और बहुत कुछ हरिजनों के लिए किया है लेकिन अभी भी हम महसूस करते है कि जितना होना चाहिए उतना नही हो पाया है और उसके लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है इसमे जो अच्छे सुझाव दिए है, उनको जल्दी ही इम्पलीमैंट करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कुछेक सदस्यों ने जैसे चौधरी चांद राम ने हरिजनों को जमीन देने की बात कही है कि हरिजनों को जमीन देकर उनकी आर्थिक हालत को सुधारा जाए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह उनकी मुनासिब बात नही है क्योंकि प्रान्त के अन्दर उतनी जमीन नही है कि सब हरिजनों को का त के लिए जमीन मिल सके। हरिजनों को अपने रोजगार की तरफ और धंधो की तरफ ध्यान देना होगा तभी उनकी हालत मे सुधार आ सकता है। उसके लिए सरकार ने हरिजन कल्याण निगम की स्थापना की हैं हरियाणा फाइनैं ाल कारपोरे ान बनाई गई है। जिन बैंकों का राश्ट्रीयकरण किया गया है वे भी कर्जा देते है। इसलिए मेरा कहना है कि हरिजनों को अपने दूसरे धंधो की तरफ ध्यान देना चाहिए। जमीन सरकार के पास कम है और आठ दस साल के बाद जिन लोगो के पास धरती है उन लोगो के लिए भी

और कोई धंधा तला ा करना पड़ेगा क्योकि जिस तेजी से हमारे दे ा की आबादी बढ़ रही है आज से दस साल के बाद उन लोगो को वह कम पड़ेगे और उनके लिए कोई ताल्लुक है जैसा कि अभी पंडित चिरंजी लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार वही सरकार है, जो, नरौरा के अंदर जो फैसला किया गया कि जिस हरिजन के पास रहने के लिए कमान हनी है, उसे रहने के लिए मकान की जगह दी जाए, उसको पूरा करने जा रही है। जब इ तमाल अराजी हुआ था, उस वक्त हरिजनों को रहने के लिए जगह दी गई थी कोई ऐसा हरिजन नही था जिसको रहने के लिए मकान की जगह न दी गई हो लेकिन आज उसकी बीस बाईस साल हो गए, इस अर्से के अन्दर एक एक हरिजन के चार चार बच्चे हो गए, वह जवान हो गए, तो इस सरकार ने उनको अलग से प्लाट देने की व्यवस्था की है। हमने स्टेट के अन्दर डैटा इकट्ठा किया है। 70 हजार फैमिलिज ऐसी हे जिनके पास मकान नही है हालांकि उनके फादर के पास मकान है लेकिन बच्चे बालिग हो गए है उनको मकान देना जरूरी है। जैसा कि पंडित चिरंजी लाल जी ने बताया, हम जून तक सारी स्टेट मे हर फैमिली को 100 वर्ग गज का एक एक प्लाट देने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय हरियाणा पहली स्टेट है जिसने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमैंअ करने की कोि ा ा की है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार प्री–मैट्रिक क्लासिज के लिए आठ रूपया वजीफा हर बच्चे को देती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणापहली स्टेट है जहां आठ रूपया वजीफा दिया जाता है,

बाकी स्टेटों मे कम दिया जाता है। हरियाणा ने पिछले साल 35 लाख रूपया वजीफे के तौर पर दिया है.....

चौधरी चांद रामः On a point of order, Sir, स्पीकर साहब, मैंबर तो बोल सकते है कमेटी की रिपार्ट पर, परन्तु मिनिस्टर किस बात पर बोल सकते है? सर्विसिज का इसके अन्दर जिक्र आया है। सर्विसिज की कमी कैसे पूरी होगी?

चौधरी भजन लालः आप सुनिए तो सही । वह भी मैं बताता हूं। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, पोस्ट मैट्रिक के लिए हमने पिछले साल कोई 37 लाख रूपया हरिजन बच्चों को दिया है। यानी जितनी फैसिलिटीज सरकार ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को दे सकती है वह दी है और दी जा रही है।

जहां तक रिजर्वे ान का ताल्लुक है इसमे कोई भाक नही कि कुदेक महकमे है जिनमे थोड़ी कमी रही है लेकिन इसमे महकमे का कसूर नही है जिस तरह पूलिस के महकमे मे कुछ ऐसे फिजिकल टैक्ट होते है जिनमे वह आदमी पूरे नही उतरते। हरिजनों के लिए छूट भी दी हुई है लेकिन छूट देने के बावजूद भी हरिजन पूरे नही उतरते। लेकिन उस कमी को हम जल्दी ही पूरा करने जा रहे है। जैसी कि इस कमी को दूर किया जाए। इसके साथ ही कुछ रैवेन्यू डिपार्टमैंट के बारे मे कहा गया कि इसमे भी कमी है उसकम क्लास (I) का जहां तक ताल्लुक है रैवेन्यू डिपार्टमैंट मे अपने डिपार्टमैंट का आदमी क्लास (I) नही

होता। डिप्टी कमी नर जो आई.ए.एस. होता है वह रैवेन्यू का अकेला हनी है। रैवेन्यू का डी.सी. रैवेन्यू का अकेला नही है लेकिन फिर भी जहां कमी है उस कमी को दूर करने की चेश्टा करेंगे और इसी उद्दे य को सामने रखकर इस कमेटी की स्थापना की गई थी। कमेटी ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है और जो सुझाव दिए है उनको बहुत जल्दी लागू करने की कोि ा ा की जाएगी। सरकार की ओर से मैं कमेटी का धन्यवाद करता हूं। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं।

(iii) लोक लेखा समिति का वर्श 1974–75 का आठवाँ प्रतिवेदन

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): Sir, I beg to move—

That theEighth Report of the Public Accounts Committee for the year 1974-75 be taken into consideration.

Mr. Speaker: Motion moved—

That theEighth Report of the Public Accounts Committee for the year 1974-75 be taken into consideration.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, यह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो पब्लिक अकांउटस कमेटी की सदन मे प्रस्तुत हुई है। रिपोर्ट के ऊपर भी लिख है–

"Report on the Report the Comptroller and Auditor Genral of India for the year 1972-73 in so far as it relates to the Haryana Electricity Board."

स्पीकर साहब 1972–73 की कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल आफ रिपोर्ट सदन की टेबल पर रखी गई थी ओर उस समय भी इसको डिसकस करने के लिए नोटिस दिया था लेकिन उस समय लीडर आफ दी हाउस ने यह प्रस्ताव किया था कि इसे पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के सामने भेज देना चाहिए। स्पीकर साहब, वह रिपोर्ट पी.ए.सी. के सामने आई। उसका महत्व इसलिये है कि उस समय हम तो सदन के सदस्य नही थे लेकिन चन्द साल पहले कुछ पार्लियामैंट के सदस्यों ने और कुछ असैम्बली के सदस्यों ने (ाोर एवं विघ्न) हरियाणा सरकार के विरूद्ध आरोपों का एक मैमोरैंडम दिया था। उस पर यह मामला आडिटर जनरल को भेजा गया।

Mr. Speaker: You are discussiong the Reprot of the Public Accounts Committee. You should not go out of that Report. You can discuss what is there in the Report and what is there in the recommendations of the Committee.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: How that Report came into picture, I have to explain all that.

Mr. Speaker: No, that I cannot allow.

चौधरी राम लाल वधवा: तो स्पीकर साहब, यह आडिटर जनरल के पास रिपोर्ट क्यों गई ? पी.ए.सी. के पास क्यों गई ?

अगर इस के बारे मे मैं सदन के सामने कुछ न रख पाऊंगा तो इस रिपोर्ट के बारे मे क्या कहूंगा ? रिपोर्ट के बारे मे यह कहना है कि आखिर वह वहां पर ऐग्जामीने ान के लिये गई है, उन्होंने ऐग्जामिन किया (ाोर एवं विघ्न)।

श्री के.एन. गुलाटीः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये खुद भी पी.ए.सी. के मैंबर है। अगर यह कुछ कहना चाहते थे तो वहां पर सब कुछ कह सकते थे। यहां तो उनका डिस्कस करने का कोई मतलब ही नही है। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवाः गुलाटी साहब, सही तो डिफिकल्टी है। अगर मैं उस कमेटी का मैंबर होता तो फिर मुझे यहां कहने की जरूरत ही क्या थी ?

Mr. Speaker: You should try to confine yourself to the Report be for the House.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मै कोई नुक्ताचीनी की बिना पर कुछ नही कह रहा। मुझे पर्सनल किसी के बारे मे कुछ कहने की रूचि नही है। मैं तो एक फैक्ट को सदन के सामने रख रहा था कि एक मैमोरेंडम भारत सरकार को भेजा गया।.....

Mr. Speaker: Order please. Please siscuss the Report which is before the House.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, रिपोर्ट ही तो डिस्कस करने लगा हूं।

Mr. Speaker: Order please. That is not the Report.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, रिपोर्ट के अन्दर एक बात पी.ए.सी. ने लिखी है जिसका पी.ए.सी. के पास कोई रैफरैंस नही था और न कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल ने ही कोई रैफरैंस दिया था। अगर आप चाहते है तो मैं आपकी इंफर्मे ान के लिये उसे पहले ही पढ़ देता हूं। उसके बीच मे पेज 7 के ऊपर इन्होंने लिखा है:—

"In this connection, the Committee would like to mention that the Haryana State Electricity Board is an autonomous body and all decisions relating to the procurement and purchase of materials are taken by it. The State Governemnt is not is any way directly or indirectly involved in any of the purchase transactions."

तो, स्पीकर साहब, मेरी समझ मे नही आया कि पी.ए. सी. को यह लिखने की क्यों आव यकता पड़ी ? मेरे तो सभी सम्मानित सदस्य है, मै उनके बारे मे कुछ नही कहना चाहता, न ही कहना चाहिये। मुझे उनका पूरा आदर है और फिर जिन मैंबर्ज ने यह रिपोर्ट लिखल है, स्पीकर साहब (विध्न)

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। पी.ए.सी. इस आगस्ट हाउस की एक इलैक्टिड

कमेटी है और उस आगस्ट हाउस के मेरे सम्मालित सदस्य मैंबर भी है। क्या यह मुनासिव होगा कि उनके बारे मे ऐस्प ार्न किया जाए ?

Mr. Speaker: No. he can not.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं तो पहले ही कर रहा हूं कि मैं पी.ए.सी के मैंबर्ज का पूरा सम्मान करता हूं। मुझे उनका पूरा अदब है। मैं उनके ऊपर कुछ नही कहूंगा, लेकिन जो रिपार्ट हमारे सामन इस सदन मे आई है उस पर तो मुझे इख्तलाक हो सकता है और वह तो मैं सदन के सामने रख सकता हूं। तो स्पीकर साहब, इस कमेटी के जो सदस्य है, चौधरी ई वर सिंह जी, श्री गिरी ा चन्द्र जो ी, श्री गुलाब सिंह जी जैन, श्री ओम प्रका ा गर्ग, चौधरी फूल चंद जी मुलाना, श्री प्रेम सुख दास जी, श्री सुरजीत सिंह जी मान, ये सभी कांग्रेस के सदस्य है। श्री जोगी राम जी और श्री अमर सिंह जी, एक इंडिपैंडैंट और दूसरे वि ााल हरियाणा पार्टी से ताल्लुक रखते है। मैं सदन के नोटिस मे यह लाना चाहता हूं कि अखिल भारतीय जो पार्टियां है और इस सदन मे भी है, उनका कोई सदसय इस कमेटी का मैंबर नही था.....(विघ्न)

Mr. Speaker: Order please. You should not discuss the constitution of the Committee, their conduct and actions of the Members of the Committee. The Committee is elected by the House. You must respect the wishes of the House.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं कुछ नही कह रहा हूं। मैंने तो यह बताया है कि पी.ए.सी. में उनका कोई सदस्य नही था। मैंने इतनी बात बताई है। स्पीकर साहब, मैं पूरे अदब और आदर के साथ उन सम्मानित सदस्यों का आदर रखते हुए बोलूंगा। बिल्कुल और किसी किस्म की बात नही होगी। कम्पट्रालर एंड आडिटर जनरल से, भारत सरकार ने बिजली बोर्ड के बारे मे जो ि ाकायतें थी, हरियाणा सरकार के बारे मे जो ि ाकायते थी, उन का आडिट करवाया जिसके बारे मे उस रिपोर्ट मे भी लिखा हुआ है। पी.ए.सी. ने इंट्रोडक ान के अन्दर पैरा 2 मे लिखा है:

"*2. A special audit of some of the transactions of the Haryana State Electricity Board had been conducted during 1973 by the Comptroller and Auditor General of India at the request of the State Government.

सिंचाई एंव बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): हां, भारत सरकर ने स्टेट गवर्नमैंट की रिकवैस्ट पर ऐसा किया।

Mr. Speaker: This is at the requuest of the State Government

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, ये बोलते है इसलिये मुझे यह वाजे करना पड़ता है और जब वाजे करता हूं तो मुझे रोक दिया जाता है (ाोर)

श्री बनारसी दास गुप्त: आप गलत बोलते है।

चौधरी राम लाल वधवा: जानते वे भी है, स्पीकर साहब, अगर ये कहते है कि मेरी जवान से न निकले तो मैं नही निकालूंगा, लेकिन इसको सारा दे ा जानता है आखिर यह रिपोर्ट आडिटर जनरल के पास क्यों गई ? इस रिपोर्ट को वहां भेजने की क्या जरूरत थी ?

Mr. Speaker: In that respect you can mention. But you cannot discuss directly how the Report of the Auditor General came.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: But, Sir.....

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): On a point of order, Sir, You have allowed only ten minutes to each Member, and the ten minutes are over.

Mr. Speaker: The time limit has been fixed by the House.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरे सारे अपोजी ान के भाई यह चाहते है कि मैं अकेला ही उनकी तरफ से बोलूं।

Mr. Speaker: The time limit has been fixed by the House.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मैं भी बोलूंगा।

चौधरी राम लाल वधवा: बात यह है कि अपोजी ान ने यह तय किया है कि मैं अकेला ही इन सब की तरफ से बोलूंगा।

एक आवाजः ये अगर अकेला बोलें तो हम सारा टाईम इन्हे दे देंगे।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, मैं थोड़ा बोलूंगा और ज्यादा बोलेंगे। मैं सिर्फ सात मिनट ही बोलूगा, आप बाकी इन्हे सारा टाईम बोलने दे।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मुझे कोई ज्यादा बोलेन का भौक नही है। मैं तो केवल फैक्टस ही बताऊंगा और वह बता करके बैठ जाऊंगा। तो सपीकर साहब–

श्री के.एन. गुलाटीः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि क्या इन्होने सारे मैंबर्ज का ठेका ले रख है ? यदि ये उन सभी मैंबर्ज के दस्तखत किये हुए दिख दे कि किस किस ने इन्हे बोलने के लिये इजाजत दी है तो फिर ठीक है, नही तो सभी मैंबर्ज को थोड़ा थोड़ा बोलने का समय दिया जाए, यह हमारी सबमि ान है।

चौधरी राम लाल वधवाः तो स्पीकर साहब, मैं पीछे कह रहा था कि आखिर यह रिपोर्ट आडिटर जनरल के पास क्यों गई अगर इस के बारे मे–

Mr. Speaker: You are discussing the Reprot of the Public Accounts Committee as it is before the House and not why and how the matter went to the Auditor General. The

House is not discussing the Report of the Auditor General (Interruptions). The House is discussion the Report of the Public Accounts Committee.

Chaudhir Ram Lal Wadhwa: But every para of the report has been mentioned in the Public Accounts Committee. (Noise) and I am competent to refer the facts mentioned in that Report.

स्पीकर साहब, मैं तो केवल इतना ही कहता हूं:–

लाख हों पाबन्दियां आयद मेरे अफकार पर

लाख हो इस बेवसर कानून के पहरे मगर

यह निजामे जिन्दगी जब तक बदन पाता नही

नरम हो सकती नही, मेरी नवाये आपको

तो स्पीकर साहब, मैं अर्ज करता हू। सब से पहले रिपोर्ट के अन्दर जो पैरा मैंने पढ़कर सुनाया है, मैं नही समझ पाया कि सम्माननीय सदस्यों को यह बात लिखने की वि ोश आव यकता क्या थी, न तो हाउस ने रैफरैंस दिया था कि गवर्नमैंट का इस मे कितना कंसर्न है या क्या नही है। आडिटर जनरल की रिपोर्ट जो थी, उससे उन्होंने देखना था। यह पेरा उन्होने दिया है लेकिन मै यह कहूंगा कि जहां पी.ए.सी. ने जो कुछ लिखा है मुझे उससे इख्तलाफ है और मैं पूरी फोर्स के साथ कहूंगा कि इसकी सारी सारी जिम्मैवारी उस स्टेट की सरकार पर आती है चाहे उसके अन्दर कोई औटोनोमस बाडी काम करती है

चाहे कोई दूसरा अदारा उस मे काम करता है। मैं उसके बारे मे यह कहना चाहूंगा कि पी.ए.सी. की रिपोर्ट पढ़कर मै जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उसका थोड़े से भाब्दों के अन्दर मैं ान करूंगा कि पी.ए.सी. इसकी खुद तसल्ली नही कर पाई, इसका उल्लेख मैं बाद मे करूंगा लेकिन यह एक औटोनिमस अदारा है और सरकार का इससे कोई संबंध नही हैं मैं पहले इस मसले को लेता हूं और पूरे अदब के साथ कहना चाहूंगा कि डैमोक्रेटिक ढांचे के अन्दर अब तो कांस्टिच्यू ान बना हुआ है, मैं उस कांस्टिच्यू ान के अंदर स्टेट गवर्नमैंट के अंदर जितने अदारे काम करते है और फिर कौंसिल आफ मिनिसटर्ज जो बनी हुई है और उस कौंसिल आफ मिनिस्टर्ज के अंदर जिसके पास जो विभाग दिया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती हे और जहां तक मुझे पता है उस वक्त इरीगे ान एंड पावर का विभाग मुख्य मंत्री जी के पास था। इस बारे मे उनकी डबल जिम्मेदारी थी, एक तो बतौर विभाग के मंत्री के और दूसरे मुख्य मंत्री होने के नाते से भी। फिर कोई भी औटोनोमस बाडी है, उसकी जो फारमे ान होती है उसके अन्दर गवर्नमैंट का लाजमी तौर पर कंट्रोल होता है। इसी बिजली बोर्ड मे आप देखे गवर्नमैंट का करोड़ों रूपया लगा हुआ है, गवर्नमैंट ने करोड़ों रूपये का कर्ज दिया हुआ और करोड़ो रूपये के कर्जे की सिक्योरिटी गवर्नमैंअ स्टैंड करती है, लेकिन इसके बावजूद पी.ए. सी. कहती है कि सरकार का उस के साथ कोई संबंध ही नही है। मैं कहता हूं कि सरकार पूरे तौर पर उससे संबंधित है और इस जिम्मेदारी से किसी प्रकार भी बच नही सकती। रूरल

इलैक्ट्रिफिके ान का क्रैडिट लेना हो और सारे भारत मे इस बात का भाोर मचाना हो कि हरियाणा की सरकार ही सारे भारत मे ऐसी सरकार है जिसने सैंट परसैंअ रूरल इलैक्ट्रिफिके ान कर दी है तो यह जरा पीछे नही हटते। खूब प्रचार होता है कि हरियाणा सरकार ने यह काम किया और हरियाणा के मुख्य मंत्री ने यह काम किया ओर कमाल कर दिखाया लेकिन जब यहां पर किसी प्रकार की इरैंगुलैरिटी की बात आती है, घपलेबाजी की और भ्रश्टाचार की बात आती है तो वहां यह क्रैडिट लेने वाली सरकार पीछे हट जाती है और कह देती है कि यह तो औटोनोमस बाडी है, उसके काम की जिम्मेदारी दूसरो के कंधों पर डालती है। कोई भी अदारा आखिर एडमिनिस्ट्रे ान का एक अंग होता है, लेकिन जो कुछ यह सरकार कहती है क्या उससे हम यह समझ ले कि हर काम के लिये सरकार एक कारपोरे ान बना देती है, अदारा बना देती है और सरकार ऊपर बैठी है लेकिन सरकार कहती है कि ये औटानोमस बाडीज है सरकार की कोई इनकी जिम्मेदारी नही है? अगर उन अदारों मे सरकार के करोड़ो का घपला हो जाये तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नही है तो फिर मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को यहां बैठने का कोई अधिकार नही है.....

श्री बनारसी दास गुप्तः On a point of order, Sir, स्पीकर साहब, मै जानना चाहता हूं कि क्या मेरे साथी मैंबर इन डायरैक्टली पी.ए.सी. को क्रिटिसाईज नही कर रहे है?

चौधरी राम लाल वधवाः मैं क्रिटिसाई कहां कर रहा हूं । यह तो इख्तलाफ है जो मैं बता रहा हूं कि उन्होने यह लिखा है और मेरी राय मे यह नही है या तो आप यह कहे कि यह रिपोर्ट डिसकस ही नही हो सकती है, मै बैठ जाता हूं। आखिर एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के अन्दर जो पैराज पी.ए.सी. ने लिखे है उनके बरे मे मैं अपने विचार रख रहा हूं। मै उन पर एस्प र्ान नही कर रहा हूं मैं तो अपने व्यूज उस पर ऐक्सप्रैस कर रहा हूं। मैने यह नही कहा कि यह बात कैसे और क्यों लिखी है लेकिन मै अपना व्यू प्वायंट तो सदन के सामने रख जाता हूं (विघ्न)

श्री गिरी ा चंद जो ीः जब यह डिसीजन हो गया कि–

"Discussionon the report of the Public Accounts Committee has been recomended as a special case and it would not from recedent for future."

कायदे के मुताबिक पब्लिक अकाउंटस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर कभी डिस्क ान नही हुई। यह जो आज डिसक ान रखी गई है यह एज ऐ स्पै ाल केस है लेकिन आज जो आपने रियायत दे दी, उसका फायदा लेकर यह मनमानी हरकत कर रहे है। सीधी सी बात है और मैं आप से प्रोटैक ान चाहूंगा कि जिस चीज को एज ऐ स्पै ाल केस हाउस के सामने डिस्क ान के लिये रख है उसकी इज्जत का भी सवाल है उसको देखा जाये।

चौधरी राम लाल वधवा: आप मुझे गाईड कर दो कि मैं क्या बोलूं ? लिख कर दे दो मैं वही बोल दूंगा। स्पीकर साहब, अब तक जो मैं बोला हूं उसमे मैंने किसी सम्मानित सदस्य पर ऐस्प र्सन नही किया है.....

Mr. Speaker: There are many limitations.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इस संबध मे मेरी एक छोटी सी सबमि ान है। हमारे यहां यह कनवैन ान नही है कि पी.ए.सी. की रिपोर्ट को डिस्कस किया जाये। जहां तक मैं सोचता हूं और जानता हूं यह पहली रिपोर्ट है जो सदन मे डिस्कस की जा रही है लेकिन लोक सभा मे पी.ए.सी. की रिपोर्ट को कभी कभी डिस्कस किया जाता है। कभी भी उस के खिलाफ कोई मैंबर वहां नही बोलता है। अगर गवर्नमैंट के खिलाफ कोई कनक्लूजन पी.ए.सी. का है तो उस पर मैंबर साहिबान नुक्ताचीनी करते है, कहते है कि पी.ए.सी. का यह कनक्लूजन है गवर्नमैंट इस को इम्पलीमैंट नही करती या गवर्नमैंट को यहां दोशी ठहराया गया है। वहां मैंबर साहिबान क्रिटिसाईज करते है सरकार को लेकिन पी.ए.सी. की जो फाईंडिंगज होती है, कनकलूजनज होते है उनको लोक सभा के अंदर कभी आज तक क्रिटिसाईज नही किया है, यह प्रथा है, परम्परा है आप डिवेटस मंगा कर देख सकते है।

Mr. Speaker: Generally, not only the reprot of the Public Accounts Committee but the reports of all the Financial Committees are not discussed on the floor of the House. This has baeen the practiice and this is the convention even. in the

Lok Sabha for the last 20 or 25 years and if at all it is discussed, it is discussed when there is a disagreement between the Committee and the Government. But this time this was the agreement of the House when Sh. Ram Lal gave this motion, the leader of the House also agreed and the Business Advisosry Committee recommended it. It was adopted by the House. Then it became the order of the House. Therefore, as a special case, this discussion is being held. There are many limitations for this discussion. Only the recommendations of the Public Accounts Committee should be discussed.

Chaudhri Chand Ram: May I say something by way of clarificaiton? The real fact is that when this report of the Comptroller and Auditor General of India was placed before this House, in fact, the demand was that this should be discussed. But at that time the Chief Minister or any other Minister on behalf of the Government assured that let this be examined by the Public Accounts Committee and then this report alongwigh that report will be discussed in the House. This was, in fact, the decision taken earlier.

Mr. Speaker: The position about that report was given by me in my previous ruling at that time. The report of the Comptroller and Auditor Genral is never discussed in the House. That is for the Public Accounts Committee to examine. That is a critical analysis of the expenditure done by various bodies. That is for the guidance of the Public Accounts Committee to recommend certain actions.

Chaudhri Chand Ram: Let that record be examined. The proceeding of the day which took place in the House should be examined Let us find out the position.

Mr. Speaker: That is whay the leader of the House has agreed for the discussion. (Interruptions)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यही बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। जब आडिटर जनरल की रिपोर्ट इस हाउस मे पे ा हुई थी औइ इसके अन्दर उन्होंने पी.ए.सी. ने खुद मैं ान किया इंट्रोडक ान मे और उसके अन्दर उन्होने लिखा है–

"In a sitting of the Haryana Vidhan Sabha helf on the 17th january, 1975, on a question raised by a member on the floor of the House that the Report of the Comptroller and Auditor Genral of India for 1972-73 already presented to the House be discussed, the Leaser of the House had requested the Public Accounts Committee to take up the examination of these paragraphs (8.6 to 8.15 of the Audit report) immediately and to give its Report by the 15th March, 1975."

और उसके साथ हो यह अ ाोरैंस दी गई थी कि यह रिपोर्ट पी.ए.सी. की ऐग्जामिने ान के बाद हाउस मे डिसक ान के लिये लाई जायेगी। अब अगर हम ने सिर्फ यही कहना है कि पी.ए.सी. ने जो भी इस बारे मे लिख दिया है वह सारे का सारा बिल्कुल ठीक है तो फिर डिसक ान का कोई फयदा नही है। (विघ्न) अब आडीटर जनरल की रिपोर्ट इसके साथ अटैच्ड है। (विघ्न)

Mr. Speaker: If there was any assurance, it was about the report of the Public Accounts Commitee.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: No, Sir. The report of the Comptroller and Auditor Genral will come with that report. That is part of the report of the P.A.C.

Mr. Speaker: I remember I gave a definite ruling on that point that the report of the Comptroller and Auditor General cannot be discussed.

Chaudhri Chand Ram: Relevant record of the proceedings may be consulted. We shall abide by those proceedings. (Interruptions)

श्री बनारसी दास गुप्तः स्पीकर साहब, मेरी एक सबमि ान है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कभी आडिटर जनरल की रिपोर्ट आज तक किसी हाउस मे डिसकस नही हुई आडिटर जनरल की रिपोर्ट को हमे ाा पब्लिक अकाउंटस कमेटी ऐग्जामिन करती है और उस का ऐग्जामिने ान करने के बाद कुछ कनक्लूजनज लेती है कि सरकार ने कहां काम करने मे त्रुटि की, कहां ज्यादा खर्च किया और कहां नाजायज खर्च कियां उसी चीज के ऊपर डिसक ान हो सकती है। अगर आज हम पब्लिक अकांउटस कमेटी को क्रिटिीसाईज करने लगे तो पब्लिक अकाउंटस कमेटी तो इस हाउस का एक भाग है, इस सदन द्वारा इलैक्टिड बाडी है और अगर हम इसे क्रिटिसाईज करते है जिसकी कभी इस सदन के अन्दर इजाजत नही दी जानी चाहिये।

चौधरी राम लाल वधवाः इस मे दो डिफरेंट बाते आ गई है। एक तरफ तो जनाब खुद फरमा रहे है कि in the special circumstances this Report has come in the House. क्यो आई थी इसकी बैकग्राउंड आप भी जानते है, सदन भी जानता है और हम भी जानते है। इसीलिए लीडर आफ दी हाउस ने मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि अगर इस रिपोर्ट के ऊपर मैंबरों को डाउट है तो ठीक है, पब्लिक अकाउंटस कमेटी से ऐग्जामिन करवाने के बाद हाउस मे रख देंगे। इसीलिए आडिअर जनरल की रिपोर्ट आई थी और इसके ऊपर पी.ए.सी. ने लिखा है। मैं सबसे पहले भाुरू भाुरू मे यही बात जनाब के नोटिस मे लाया था। इसके अन्दर लिखा है—

"Report on the Report of the Comptroller and Auditor Genral of India." Audit Report is part of the Public Accounts Committee Reprot. एक्सक्लूसिवली पी.ए.सी. ने उसी को ऐग्जामिन किया है। अब उसके अन्दर कुद कन्क्लूजन आया है, कुछ छोड़ दिया गया है, इसके ऊपर मेरे कुछ व्यूज है वरना यह रिपोर्ट इस सदन मे डिसक ान के लिए अलाउड न होती, मुझे इस पर कहने का अधिकर न होता। लेकिन पी.ए.सी. की रिपोर्ट पर डिसक ान अलाऊ हुई है। मै यह कह सकता हूं कि जो आबवर्जे ान किए है वे आबजर्वेशन मेरी राज मे ठीक नही है, अदरवाईज मै क्या कहूं कि पी.ए.सी. ने जो निर्णय दिया कि आडिटर जनरल ने जो लिखा है वह गलत था, क्लीन चिट दे दूं

और कह दूं कि यह ठीक है, मैं किसी कीमत पर इस बात से सहमत नही हूं। (Noise & interrupitons)

Mr. Speaker: Order please.

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः स्पीकर साहब, आडिटर जनरल के बारे मे जो बाते कही गई है वे ऐक्सपंज की जाए। Auditor Genral could not be discussed over here.

चौधरी राम लाल वधवाः आडिटर जनरल रिपोर्ट को मै कह रहा हूं कि .....(व्यवधान)

Mr. Speaker: About this fact I have already viven my ruling that the Report of Auditor General is never discussed. It is for the guidance and for the examinaiton of the Public Accounts Committee, that is a critical examination of the expenditure done by the Government or the Body concerened and that Report is sent to the Public Accounts Committee for their recommendations. What they recommend, what action should be taken or what action should not be taken? At that time it was, I remember, said by the Leader of the House that it is referred to the Public Accounts Committee and the Report of the Public Accounts Committee will be presented by 15th March or something like that. Neither the leader of the House nor any member can say that this reprot will be discussed because it cannot be discussed in the Hosue.

चौधरी चांद राम : आपका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि कोई मैंबर कह नही सकता, यह बिल्कुज बजा है लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ करताहूं कि किसी मैंबर ने कहा नही क्योंकि

वह बात तो कही है। कहने को तो डिसक ान होती रही। आप प्रोसीडिंग निकलवा कर देख ले, चीफ मिनिस्टर ने कहा ह। ठीक है, पी.ए.सी. की रिपोर्ट अब तक डिसकस नही हुई है। उन्होंने यह कहा कि पी.ए.सी. की रिपोर्ट ही डिसकस नही होगी बल्कि आडिटर जनरल की रिपोर्ट भी डिसकस होगी। यह कही नही है रूल्ज मे कि डिस्कस न हो, न ही कांस्टिटच्यू ान मे है कि नही होगी। इसमे आपकी मर्जी की बात है। कमेटी की और रिपोर्टस भी आ सकती है। ज्वांयट पंजाब मे भौडयूल्ड कास्टस कमि नर की रिपोर्ट डिसकस हुआ करती थी लेकिन भौडयूल्ड कास्टस कमि नर की रिपोर्ट अब डिसकस नही हो, क्योंकि उन्होने कह कि हमारा प्रोवीजन नही है। लेकिन आडिटर जनरल के बारे मे यह कहां लिखा है कि डिसकस नही होगी ? यह तो स्पीकर की मर्जी है, सिडसकस हो भी सकती है नही भी हो सकती। यह हाउस की कनवीनियेन्स की बात हैं इसके अलावा प्रासीडिंग की बात है, प्रोसीडिंग मे लिखा है और चीफ मिनिस्टर ने अ योरैंस दी थी कि जहां पी.ए.सी. की रिपोर्ट डिसकस होगी उसके साथ ही ए.जी. की रिपोर्ट भी डिसकस हो जाएगी। मुझे वे लफ्ज याह है ''उसके साथ में'' डिसकस होगी। राम लाल जी ने कुछ कहा थाा और चीफ मिनिस्टर ने अ योरैंस दी थी।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, my submission is that if I cannot differ with the observations given by the P.A.C. and I cannot say further that the conclusions of the Public

Accounts Committee are not correct, what is the use of my discussion the report is the House?

Mr. Speaker: You can discuss the recommendations of the Public Accounts Committee.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: If I cannot differ then what can I say? I want guidance from you.

Mr. Speaker: You can discuss recommendations of the Public Accounts Committee.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: What can I say on this? मैं क्या कहूं ? डिसकस करके क्या कहूं ?

Mr. Speaker: Either you agree or disagree.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: I am dis agreeing and giving reasons for that.

चौधरी चांद रामः क्या डिसक ान का मतलब यही है कि हां मे हां मिलाओ ? (व्यवधान)।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, I am disagreeing with the Report and giving reasons for that. Then what can I say in the House?

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Well the Hon. Member is mixing two Reports. You should not try to mix up the Report of the C&A.G and Report of the P.A.C. These are two separate Reports. Here you are discussing the Report of the Public Accounts Committee and not the Report of the Auditor General. This is the position.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, I agree are two Reports. But this Report of the Public Accounts Committee is specifically on the Report of the Comptroller and Auditor General.

Chaudhri Ishwar Singh: On a point of order, Sir. The audit by C&A.G. is a Central subject and it canot be discussed in this House. (Interruptions)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Why? it was referred to the Public Accounts Committee and this has been placed on the table of the House. It is a report relating to the Haryana State and not about the Government of India.

Mr. Speaker: Pleaser reffer to page 126 of the "Practice & Procedure of Parliament" by kaul and Shakdher. I have given my ruling on previous occasion. My ruling finds suport from this. This reads—

"The reports of the Comptroller and Auditor Genral relating to the accounts of the Union are submitted to the President, who causes them to be laid before Parliament. Similarly in the case of States, he submits his reports to the Governor of the State, who causes them to be laid before the Legislature of the State.

The audit reports of the Comptroller and Auditor Genral stand automatically referred to the Committee on Public Accounts. These from the basis of investigation by the Committee which submits its reprots there on to Parliament.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Then what happens in the Parliament?

Mr. Speaker: In Parliament the Reports of the financial Committees are very seldom discussed. This it at page 706 of the 'Practice and Procedure of parliament' by Kaul and Shakdher.

चौधरी चांद रामः सैल्डम कहां, यह तो एक बार हो रही है।

Mr. Speaker: Please refer to page 706 of the "Paractice and Procedure of parliament" by Kaul and Shakdhar, which read—

"Although it is open to Lok Sabha to discuss reports of th Committee such discussion is seldom held, but members may make use of the Committee's reports in their speeches during the discussion on the budget, demands for grants etc. However if there is a specific issue over which there is a divergence of opinion between the Committee and the Government or a Minister that issue can be brought befor that House and discussed on a mition, the discussion being confined to the remarks, obervations and commants of the Committee, and neither the motion nor a substitute motion thereto is put to vote of the House."

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, यह तो बड़ी क्लीयर बात है। यही बात मै कह रहा हूं।

Mr. Speaker: Again at page 654 of this publication it is stated—

"By convention, the Reports of the following Committees are not discussed:-

1. Public Accounts Committee;

2. Estimates Committee;

3. Committee on Public Undertakings;

4. Committee on Subordancte Legislation;

5. Committee on Governments Assurances; and

6. Committee on Petitions.

A discussion may be allowed to be raised in the House in respect of a Reprot of these Committes only if there is a serious disagreemer between the Committee and the Government on a specific issue. Such a situation has arisen only once since 1947."

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Then, Sir, why my motionhas been accepted? What is the use of admittion of my motion for discussion?

Mr Speaker: This is now the order. (Interruptions) This has now become the order of the House.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: What is the use when there is no disagreement?

Mr. Speaker: Order please. This is allowed as a special case, because the Business Advisory Committee recommended for its discussion and the whole House has adopted it. It has become the order of the House. (Interruptions)

चौधरी राम लाल वधवा: अब क्या होगा जी ? हमे बता दीजिए कि अब फाईनल क्या होगा if there is not difference between the Government and the Public Accounts Committee?

Mr. Speaker: I say you can discuss the recommendations of the Public Accounts Committee.

Chaudhri Chand Ram: What are the exact words that we can say in the Public Accounts Committee to the extent there is difference between the Government and the Public Accounts Committee and not more than that.

चौधरी चांद राम : इस पर तो गवर्नमैंट का कोई ऐक ान ही नही आया। इसलिए इस डिसकसन को पोस्टपोन ही कर दो।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: We are allowed to have discussion when there is no difference between the views of the Public Accounts Committee and the Government. We assume that there is no differene between the Government and Public Accounts Committee and that is why this Report has been allowed for discussion in the House. (Interruptions)

Chaudhri Chand Ram: Let this Report be first considered by the Government.

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय जो आपने अभी हवाला पढ़ कर सुनाया उससे यह बात स्पश्ट हो जाती है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Order please, Order please.

श्री बनारसी दास गुप्तः स्पीकर साहब, एक सैंकिंड के लिए मेरी प्रार्थना है कि यह जो हवाला पढकर आपने सुनाया इससे यह बात बिल्कुल स्पश्ट हो जाती है। अगर गवर्नमैंट सदन मे यह घोशणा कर देती है कि इस रिपोर्ट को हम इन टोटो ऐक्सैप्ट करते है तो इस पर डिसक ान करने के लिए कोई बात रह ही नही जाती है।

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट को यहां पे ा करने की क्यों जरूरत पे ा आयी? अब सवाल तो यह है कि यहां पे ा करने के बाद आपने डिसक ान के लिए इजाजत दे दी। इसकी बैकग्राउंड क्या है? यह सारी बात हाउस के सामने आनी चाहिए। इसकी बैकग्राउंड तो हयी है कि आडिटर जनरल ने यह रिपोर्ट दी है बिजली बोर्ड के खिलाफ।

Mr. Speaker: Order please, Order please.

चौधरी देवी लालः 122 एम.पीज. ने और इस हाउस के मैंबरान जिनमे आपके तीन मिनिस्टर भी है।

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी देवी लालः * * * * * * *

Mr. Speaker: Order please, this is no point of order.

चौधरी देवी लालः * * * * * * *

Mr. Speaker: Order please, this is no point of order.

श्री बनारसी लाल गुप्तः * * * * *

*

श्री अध्यक्षः आप बैठिए।

श्री बनारसी लाल गुप्तः हम कोई बात इस तरह से नही सुनेंगे। कोई भी मैंबर बोले तो वह आपकी इजाजत से बोले। हम इस तरह से नही करने देंगे। (Interrupiton by Chaudhri Devi Lal)

Mr. Speaker: As the hon. Member is speaking without my permission, all the remarks will be expunged.

*श्री अध्यक्ष के आदे ाानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, मैं तो आपकी इजाजत से खड़ा हुआ हूं।

Mr. Speaker: No, you are speaking without my permission.

चौधरी देवी लालः * * * * * *

*

Mr. Speaker: Please resume your seat.

श्री बनारसी लाल गुप्तः इनकी आदत ऐडी से चोटी तक बिगड़ी हुई है। ये अपनी आदत तो सुधारें।

Mr. Speaker: Order please (Interruptions) Order please. (Interruption) Please resume your seat. The hon. member should not speak without my permission.

चौधरी देवी लालः on a point of Order, Sir, मैं आपकी परमि ान से खड़ा हुआ हूं। मैं अर्ज कर रहा थां आप मेरी अर्ज सुनिए। (विघ्न)

Mr. Speaker: This is no point of Order.

चौधरी चांद रामः आपने प्वांयट आफ आर्डर तो सुना ही नही? तो आप कैसे कह रहे है———— (व्यवधान)

Mr. Speaker: I have heard it and I have given my ruling.

Chaudhri Chand Ram: He has again risen for permission to raise a point of order.

चौधरी देवी लालः मैं अपनी बात कह ही रहा हूं।

Mr. Speaker: Please resume your seat.

चौधरी देवी लालः आडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी है वह पब्लिक अकाउंटस कमेटी के सामने आयी। वह रिपोर्ट यहां पर डिसकस हो रही है। अगर आप उस पर डिसक ान की इजाजत नही देते है, तो ऐसी हालत मे हमारे सामने रास्ता क्या रहा जाता है?

श्री अध्यक्षः यह प्वांयट आफ आर्डर कैसे हुआ? Order please.

चौधरी देवी लालः हमारे सामने स्पीकर साहब, रास्ता ही क्या रहा जाता है?

Mr. Speaker: This is no point of Order. This has been repeatedly said and I have given my ruling that you can discuss the Report of the Public Accounts Committee i.e. only the recommendations made by theCommittee.

*श्री अध्यक्ष के आदे ाानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मेरी बड़ी हम्बल सबमि ान है। मैं रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि लिडर आफ दी हाउस ने इसे डिसकस करने की बात कही थी।

Mr. Speaker: And this is the assurance last time given by the Leader of the House. The Assurance given by the Leader of the House was in these words:-

''डैमोक्रेसी के इतिहास मे आज तक अकाउंटैंअ जनरल को रिपोर्ट सदन मे डिसकस नही हुई। पब्लिक अकांउंटस कमेटी इसे एग्जामिन करेगी। मैं आपके द्वारा पब्लिक अकाउंटस कमेटी से प्रार्थना करूंगा कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो केसिज है उनको 15 मार्च से पहले पहले खत्म करने की कोि ा ा करें और उनकी रिपोर्ट सदन के सामने आए। मैं आपके जरिए सदन को वि वास

दिलाना चाहता हूं कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने काम मे किसी चीज को खरीद मे या परचेज मे अगर किसी आदमी का कोई कसूर होगा तो सरकार उसे माफ नही करेगी, सजा देगी।''

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, अब बिल्कुल जो कुछ उन्होंने कहा है यही बात मैंने अर्ज की थी। आडिटर जनरल की रिपोर्ट आयी। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड की जो भी ि ाकायते है। उनको पी.ए.सी. ऐग्जामिन करके रिपोर्ट हाउस मे रखेगी। तो इसका मतलब क्या है। बिजली बोर्ड के बारे मे जो भी ि ाकायतें है, पी.ए.सी. उनके बारे मे जो कुछ कहेगी उसके बाद हम उसे हाउस मे रखेंगे ताकि हाउस उस पर डिसक ान कर सके। तो मेरी हम्बल सबमि ान यह है.....(व्यवधान)

Mr. Speaker: I have read out the exact words what were said in the House and I have given my ruling.

चौधरी राम लाल वधवा: ऐग्जैक्ट वर्डज यही है।

Mr. Speaker: Even if any Member says or expresses his views that a certain subject can be discussed and the Chair gives a ruling that it cannot be discussed how you can come to the conclusion that the report or that subject must be discussed?

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि .....(ाोर) एक मिनट मुझे तो करने दे।

Chaudhri Chand Ram: Mr. Speaker, Sir, the Chief Minister in your presence assured that it would be discussed along with the Public Accounts Committee Report. (Interruptions and noise)

Mr. Speaker: Order please. I have given my ruling. This has been verified from the record (Interruptions).

Chaudhri Chand Ram: You kindly decide what should a member say on the Public Accounts Committee Report. Now you have allowed the discussion to take place. Kindly guide us what sould be the exact words whether in appreciation or disaproval, what should we say? If a Member wants to express any opinion different from the Public Accounts Committee Report, what should he say?

Mr. Speaker: I have already ruled that you can discuss the recommendations of the Public Accounts Committee.

State Minister for Irrigation and Power: (Sh. Harmohinder Singh Chatha): And where there is a difference of opinion.

Chaudhri Chand Ram: But the Report has not been considered by the Government. (Interruptions and noise).

श्री बनारसी दास गुप्तः स्पीकर साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब आपने एक बार इजाजत दे दी कि इसको डिसकस कीजिए, फिर उसके बाद आप यह ुरमा रहे है कि अगर गवर्नमैंट और पी.ए.सी. मे मतभेद हो जिस आईटम पर, उसके बारे मे कह सकते है। अब गवर्नमैंट ने इस रिपोर्ट को

कंसिडर किया नही, तो क्या हमारी हमारी गलती है? इस बारे मे अफिस देखता या आप देखते या बिजनैस एडवाइजरी कमेटी देखती। अब वह फैसला हो गया कि इस रिोर्ट पर डिस्क ान हों यह हाउस का फैसला हैं अत उस सूरत मे जो पी.ए.सी. की रिपोर्ट है उसी पर कह सकते है। अब बताइये हमारे सामने, क्या रास्ता है? हम इसके सर्मन मे तो कह नही सकते। अपोजी ान के मैंबर क्या कहेंगे जब कि हालात दूसरे है यानी 12 करोड़ के करीब कुरप ान हुई है। आडिटर जनरल की रिपोर्ट हैं (ाोर) (विघ्न)

चौधरी देवी लालः आप अब चमकते क्यों हो?

Mr. Speaker: Order please. Is it a point of order? (Interruptions) It is not a point of order.

चौधरी चांद रामः सर सुन तो लीजिए। मैं प्रोसीजर की बात कह रहा था.....

Mr. Speaker: Order please. You are an old parliamentarian. Do not adopt such methods. This is not a point of order that you try to make a speech.

चौधरी दलसिंहः जनाब मेरी एक सबमि ान हैं गुजारि ा यह है कि हमारे साथियों का ख्याल यह है कि जो आडिटर जनरल की रिपोर्ट है यह ठीक है और दूसरे साथियों का ख्याल यह है कि वह गलत है। इनकी हाउस मे मैजोरिटी हैं फिर डरने की क्या बात है? हमारे साथी जो कुछ कहना चाहते है, कह

लेने दे। अगर यह गलत भी कहते है तो सुन तो ले। Let us discuss the report. What is the harm in it? There is not harm.

श्री बनारसी दास गुप्तः स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि पहले यह बात कही जा चुकी है कि आडिटर जनरल की रिपोर्ट सभी सदन मे डिस्कस हुई। आपने भी अभी पढ़कर सुनाया। पी.ए.सी. को रिपोर्ट भी लोक सभा मे कभी कभी डिस्कस हुई है। मैंने लोक सभा का सवाल आपके सामने रखां लोक सभीा की कोई प्रोसीडिंग्ज मंगवा कर देख लीजिये। जब भी वहां कोई पब्लिक आकउंटस कमेटी की रिपोर्ट डिस्कस हुई है तो सदन के मैंबरों के द्वारा इलैक्ट होती है। अगर कोई मैंबर उसको क्रिटिसाईज करता है। इसका मतलब यह हे कि वह अपने आपको क्रिटिसाईज करता है, सदन को क्रिटिसाईज करता है। इस डिसक ान के अंदर सिर्फ वही बाते कही जा सकती है जहां पी.ए. सी. कोई ऐसा निश्कर्श या कोई ऐसा कन्कलूजन निकालती है कि उसकी रिपोर्ट गवर्नमैंट के खिलाफ हो, उसने रिपोर्ट दी हो कि खर्चा नजायज हुआ है। तो उस पर डिसक ान हो सकती है या जहां गवर्नमैंट का और कमेटी का मतभेद हो। आपने अभी अभी हवाला पढ़कर सुनाया। आपकी रूलिंग भी आयी कि जहां गवर्नमैंट और पी.ए.सी. मे डिस एग्रीमैंट हो, उन बातों पर डिसक ान हो सकती है। अगर कहीं डिसएग्रीमैंट हो तो डिस्क ान हो जाये अनयथा डिस्क ान की कोई बात हो नही।.....(व्यवधान).....

.

चौधरी चांद रामः मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। जैसे बनारसी दास जी ने कहा कि जहां डिफ्रैंस आफ आपीनियन होगा... .....(व्यवधान)....

Mr. Speaker: Order please.

(At this stage Chaudhri Chand Ram resumed his seat)

Shri Om Parkash Garg: On a point of order, sir.

Mr. Speaker: Shri Garg.

चौधरी चांद रामः आज किसको इजाजत दे रहे है?

Mr. Speaker: Sh. Garg. You resumed your seat of your own accord. Now again you are standing. Please resume your seat.

श्री ओम प्रका ा गर्गः मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि पब्लिक अकाउंटस कमेटी को इस हाउस ने इलैक्ट किया है और आडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है, उसको इस पब्लिक अकाउंटस कमेटी ने, जिसको हम सब ने इलैक्ट किया है, ऐग्जामिन किया है। उसमे अपोजी ान के और रूलिंग पार्टी, दोनों के मैंबर भाामिल थे। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अकाउंटैंट जनरल को भी साथ बिठाकर ऐग्जामिन किया है। अगर उसे ऐग्जामिन करने के बाद कोई गलत चीज मालूम हुई है तो उस पर मेरे भाई बहस कर लें वरना इनको बहस करने का कोई अधिकार नही रहता। रही यह बात कि जो यह कहते है कि हम तो यहां

सुधारे और आपने जमीर को सुधारे। तीाी वह दूसरों की आदत को सुधार सकते है अगर अपनी आदत को पहले सुधारेंगे।..... (व्यवधान).....

Mr. Speaker: No point of order now. Sh. Ram Lal may please continue.

Chaudhri Chand Ram: How can you say like that? How can you say "No point of order now' ?

Mr. Speaker: How can you say like this? There have been many points of order without any meaning.

Chaudhri Chand Ram: Even then you cannot say "No point of order." This is the basic right of a hon. member.

Mr. Speaker: When a point of order is reaised to abuse the right, I can centainly ask the member to resume his seat.

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): मिस्टर चांद राम, आप तो हाउस मे स्पीकर को ही डिक्टेट करने लगे। कुछ तो डीसैंसी होनी चाहिए।

Chaudhdri Ram Lal Wadhwa: Under the rules if any member raises a point of order he has a right to raise that and he cannot be prevented from it.

श्रीमती चंद्रावती: जनाब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं कई बार उठा चुकी हूं। मैं आपकी रूलिंग चाहंगी। मैं तो यह जनाब के ध्यान मे लाना चाह रही थी और इस पर आपकी रूलिंग

भी चाहूंगी कि हमारे सामने पी.ए.सी. की रिपोर्ट डिस्क ान के लिये है जिसकी आपने इजाजत दी है। लेकिन पी.ए.सी की जो रिपोर्ट है वह कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल की रिपोर्ट के ऊपर है। तो ये दोनो ही इंटर लिंक्ड हैं अगर वह डिसकस होगी तो चाहे हम प्रेज करें या क्रिटिसिजम करें लेकिन क्या हम उनको सैपरेट कर सकते है, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहती हूं, जनाब।

Mr. Speaker: Certainly. I have already given my ruling. I will not allow any point of order to be raised on this issue. I have already given my ruling on this. These are two definite reports and the report before the house for discussion is the report of the Public Accounts Committee.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना हे कि पब्लिक अकाउंटस कमेटी की रिपोर्ट डिस्क ान के लिये हमारे पास आयी, जिसे जनाब ने अलाऊ किया है। मै इसमे से ही पढ़कर बनाना चाहता हूं। मुझे सुनकर यह बनाया जाये कि जब पी.ए.सी. ही किसी कनक्लूजन पर नही पहंच सकी तो क्या उनके बारे मे हमे कुछ कहने का अधिकर है यह नही है ? मैं वह पढ़ देता हूं।

At page 21 of the P.A.C. Report, it is stated—

"The Committee would further like that the final position relating to the shortages of Rs. 4,545 observed at the Palwal stores and action taken against the defaulting officials be intimated to them at an early date....." (विघ्न)

स्पीकर साहब, सारी राम लाईट जला जलाकर आंखों मे काटी है। कुछ तो बोलने के लिये इजाजत दे दीजिये। कुद तो कह लें।

Then at page 23, it is stated—

"The Committee would like that the findings of the Vigilance Departement be intimated to them and follow up action in the light of their findings finalised as quickly as possible."

I am reading the observations of the P.A.C. अब यह जो केस विजीलैंस को गया हुआ है इसमे करोड़ो रूपये का बिजली बोर्ड का घपला हुआ है। पी.ए.सी. ने उस पर कोई फाईंडिंग नही दी।

Now I caome to page 28 of the Report, wherein it is stated—

"However, the Committee would like to know the final decision taken by Government on the replies received from the Board in regard to certain questions on which clarifications had been sought. The Committee would also like to have details of the cases in which the Board has earned profit in similar circum, stances as promised during oral evidence. The Committee would further like to be informed is working satisfactorily....."

इसका मतलब यह है कि पहला प्रोसीजर था, वह सैटिसफैक्टरी नही था इसलिये कमेटी उनसे यह मांग कर रही है

कि आप यह बताओ कि क्या अब वह सैटिसफैक्टरी हो गया है ? उसके बाद पेज 31 का फर्स्ट पैरा है, उकी फोर्थ लाईन है:—

"Hovever, the Committee would like to know about the final decision as to whether the order originally placed on Haryana Conductors is to be revived or not..."

हरियाणा कंडक्टर्ज का सब से सीरियस केस इस बिजली बोर्ड की रिपोर्ट मे हैं इसके बारे मे कहा गया है कि कोई प्रोसीजन फौलो नही किया गया और बिजली बोर्ड ने अंधा धुंध जो मर्जी मे आया, किया। इसके बाद इसी पेज पर कमेटी ने यह लिखा है:—

"The Committee also note the statement of the Board that they had since intoduced new purchase procedudre and streamlined it so as to avoid delay in correspondence. The Committee would like the new procedure to be reviewed periodically and further improvements brought about in the light of the practical experience gained."

कमेटी यह सजै ान दे रही है कि यह किया करो। * * * * * * * * जबकि यह चीज आडिटर जनरल की रिपोर्ट मे है इसलिये स्पीकर साहब, आप हमे यह बताइये कि हम इसके ऊपर बोल सकते है यह नही बोल सकते ? Page 32 reads—

"The Committee would recommend that in future risk purchase action whould be taken weel in time whenever there is likelibood of any delay in supplies,"

यह सारा सप्लाई का जिक्र था। करोंड़ों रूपए का सप्लाई के अंदर घपला हुआ है और * * * * * *

हम क्लीन चिट दे रहे है–

*अध्यक्ष महोदय के आदे ाानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

Mr. Speaker: Order please. No aspersions on the conduct of the Members of the Committee.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैंने तो कहा है कि मेरी अर्ज यह है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं सम्मानित सदस्यों.....

श्री बनारसी दास गुप्तः स्पीकर साहब, चौधरी राम लाल ने जो कुछ कहा है वह कमेटी के ऊपर ऐसप ार्न है। यह चीज प्रोसिडिंग्ज से ऐक्सपंज कर दी जाए।

Mr. Speaker: Yes.

चौधरी राम लाल वधवाः निकाल दो जी (विघ्न) मैं किसी सदस्य के या पी.ए.सी. के विरूद्ध कोई ऐसी बात नही कह रहा हूं–

Mr. Speaker: Order please. The Members of the P.A.C. are members of this House like your self. Therefore any aspersions on their conduct, on the constitution of the

Committee, on their actions is against the Rules and that should not be.

Sh. Girish Chander Joshi: Casting of aspersions upon P.A.C. is casting aspersions on the entire House and not the Members alone.

Mr. Speaker: This has already been expunged.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, I am not casting aspersions on anyone. I am only mentioning the facts of the Report with which I differ and that is my right. स्पीकर साहब, मैंने सारी रात लगाई है। एक एक लफ्ज बारीकी के साथ पढ़ा है। दोनों रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। कम से कम उतना तो मुझे कहने दीजिए।

Chaudhri Ishwar Singh: On a point of order, Sir. Mr. Ram lal should know that for every para reasons have been given. In every para whetever has been discussed by the P.A. C. and recommendations made by the P.A.C. have been reasoned out. He should read carefully the whole Report.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह कहते है कि सारी पढ़ो। फिर तो सारी रात बैठे रहो। मैं तो कनकलूजन बता रहा हूं इनसे मुझे इख्तलाफ है।

Mr. Speaker: Order please. You have taken sufficiently long time. You are speaking for the last 40/45 minutes. Please wind up. There are other members of the House who want to speak.

चौधरी राम लाल वधवाः अब इस तरीके से सारी बता दूं। पेज 34 पर यही कुछ लिखा है, पेज पर यही है, पेज 60 पर यही है, पेज 120,133 पर, 137 पर, 152, 156, 176, 179, 183, 194, 199, 200, 203, 210, 214 और 215 पर यही कुछ लिखा है। सारी रिपोर्ट का फाईनल कनक्लूजन यही है, उनकी फाईडिग्ज यही है। स्पीकर साहब मैं एक बात की प्रार्थना करना चाहता हूं अगर मुझे इसके अन्दर बैकग्राउंड जनरल ने आडिट किया। जब मुझे यह भी बताने की इजाजत नही–

Mr. Speaker: Order please. I have already given the ruling that you are discussing the P.A.C. Report and not the Report of the Auditor General.

बहिर्गमन

चौधरी राम लाल वधवाः तो स्पीकर साहब, मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर यहां कोई बात कहने का भी अधिकर नही हैं और इतना भी अधिकार नही है कि पी.ए.सी. की रिपोर्ट के अंदर जो पैराज और पी.ए.सी. एक बात कहती है, आडिटर जनरल एक बात कहता है और आडिटर जनरल के उनके ऊपर अपनी फाईडिंग्ज दी, अगर हम डिफर नही कर सकते, क्रिटिसाईज नही कर सकते तो मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट को डिसकस करने का कोई फायदा नही है। जिस स्पिरिट के साथ यहां यह रिपोर्ट लाई गई है आज उस स्पिरिट के अंदर हमे परमि ान नही मिल रही है। जब यह हम यहां बोलने लग रहे है तो कहते है कि यह

डिसकस नही हो सकती। हमें इसको डिसकस करने से वंचित किया जा रहा है। तो, स्पीकर साहब, कम से कम मैं तैयार नही हूं। मैं प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करता हूं और मैं यही कहूंगा कि यह घपलेबाजी है और सरकार उसके लिए वाहिद जिम्मेदार है।

श्री बनारसी दास गुप्तः घपलेबाजी वाले सारे भाब्द ऐक्सपंज कर दिए जायें (ाोर)।

(इस समय सर्वश्री राम लाल वधवा, पीर चंद, दलसिंह, गणपत राय, ि ाव राम वर्मा और हर स्वरूप बूरा सदन से उठकर चले गए और चौधरी चांद राम बोलने के लिए खेड़े हुए।)

श्री के.एन.गुलाटीः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर.....

Mr. Speaker: Let him say something.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मैं बोलने से पहले आपकी रूलिंग चाहता हूं जिससे आप मुझे न रोके। इसमे लिखा है कि–

"The Committee pointed out that the State Government was not in any of the purchase transactions."

ये लफ्ज कमेटी ने लिख दिए है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कमेटी ने तो यह लिख दिया लेकिन मैं रिपोर्ट के बारे मे क्या कहूं कि गवर्नमैंट ठीक है या ठीक नही है। क्योंकि मैं

नैचुरली कहूंगा कि गवर्नमैंट इन्वालव्ड है इन परचेजिज मे। तो आप यह कहेंगे कि मैं पी.ए.सी. की रिपोट्र के खिलाफ जा रहा हूं। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। गवर्नमैंट ने इस रिपोर्ट को एग्जामिन नही किया, गवर्नमैंट ने अपना डिफरैंस आफ आपीनियन जाहिर नही किया। बोलने से पहले मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

चौधरी चांद राम : क्या जी ? इस प्वायंट पर तो आपकी रूलिंग आई नही जी।

चौधरी चांद राम : वही तो बात है। इसी बात पर तो आपकी रूलिंग आनी चाहिए। डिस्सेंट तो है ही नही। बनारसी दास गुप्त ने यह कहा कि गवर्नमैंट और पी.ए.सी. के अंदर डिफरैंस हो तो रैफर किया जा सकता है और आपने भी कहा है कि पी.ए.सी. से गवर्नमैंट डिफर करते है तो डिसकस हो सकती है। गवर्नमैंट कमेटी से डिफर नही करती। डिस्सेट तो है ही नही, मैं क्या बोलूं ? There is no disssenting opinion of the Government/

श्री अध्यक्षः श्री गुलाब सिंह जैन।

चौधरी चांद राम : अगर मै नही बोल सकता तो मैं वाक आउट करता हूं।

चौधरी देवी लाल : हरियाणा को खूब लूटो और खाओ———

(इस समय चौधरी चांद राम और चौधरी देवी लाल सदन से उठकर चले गए।)

लोक लेखा समिति का वर्श 1974–75 का आठवां प्रतिवेदन

(पुनरारम्भ)

श्री गुलाब सिंह जैनः अध्यक्ष महोदय, पब्लिक अकाउन्टस कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है। अपोजी ान के माननीय सदस्यों के कुछ इरैंवेवेंट डिस्क ान उठाने की कोि ा ा की और कुछ ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि अब एक स्कूल खोलना पड़ेगा यह समझाने के लिए कि वह क्या बोल सकते है और क्या नही बोल सकते। जैसा कि कि आपने अपनी रूलिंग मे बताया है कि पी.ए.सी. की रिकमैंडे ान के बारे मे जिस प्वांयट पर गवर्नमैंट डिफर करती है। उस प्वायंट पर डिस्क ान की जा सकती है और उसकी तरफ गवर्नमैंट की तवज्जूह दिला सकते है। यह नही कहा जा सकता कि इस रिपोर्ट मे पी.ए.सी. ने क्लीयर चिअ देने की कोि ा ा की है। स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहता हूं कि पी.ए.सी. की कमेटी कम मैं भी एक मैंबर हूं। हमारे सामने जब आडिटर जनरल की रिपोर्ट आई उसको इलैबोरेटली इस कमेटी ने ऐग्जामिन किया। एक एक पैरे के बारे मे बिजली बोर्ड के अधिकारियों और गवर्नमैंट के अधिकारियों से हमने स्पश्टीकरण लियें उनके ऐक्सपलेने ान भी कंसिडर करने के बाद एक एक पैराग्राफ के बारे मे इस कमेटी ने अलग अलग अपनी

फाईडिंगज दी है। स्पीकर साहब कमेटी के सामने यह बात उस अहमीयत के साि थी कि गवर्नमैंअ का रूपया जोकि पब्लिक मनी है उसका कहीं पर मिस यूज तो नही हुआ। स्पीकर साहब, अगर हमारे सम्माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को, जैसा कि उन्होंने कहा है कि सारी रात पढ़ते रहे, पढ़ा तो मैंन भी सारी रात नही तो कई घंटे तक जरूर पढ़ा है और उसमे अगर वह इस बात को भ्रुरू मे देखते है तो कमेटीने यह क्लीस करने की कोि ा ा की है कि किन हालात के अंदर कुछ इरैंगुलैरेटीज, जो कमेटी ने पाइ वे इस बिजली बोर्ड से हुई है। कुछ स्पे ाल सर्कमस्टांसिज थे जिनके दौरान जो पीरियड था जिसके अंदर यह ऐग्जामिने ान था जबकि बिजली बोर्ड ने काम किया। स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट मे वाजे किया गया है कि हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया। क्योंकि उन्होंने यह सवाल किया कि औटोनोमस बाड़ी का मतलब क्या हुआ, मैं उनको यह मतलब भी बतलाना चाहता हू, हालांकि यह स्कूल तो नही है। आनरेबल मैंबर को यह मालूम होना चाहिये था कि औटानोमस बाडी के बारे मे.....

Mr. Speaker: Order please. Don't discuss the back ground please.

श्री गुलाब सिंह जैनः बैक ग्राउंड नही, मैं तो जो उन्होंने सवाल किया था उसका जवाब देने की कोि ाश कर रहा हूं। तो स्पीकर साहब, बिजली बोर्ड एक ओटोनोमस बाडी है और गवर्नमैंट ब्राड पालिसीज ले–डाऊन करती है और उन ब्राउ

पालिसीज की ऐग्जीक्यू ान जो ह, हर इंडिपैंडेंट अदारे को, औटोनोमस अदारे को पूरा करना होता है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया कि हमको सैंअ परसैंट इलैक्ट्रिफिके ान करना है हालांकि गवर्नमैंट आफ इंडिया के प्लानिंग कमि ान का यह सुझाव था कि कुल 500 गांव इलैक्ट्रिफाई करने है। तो उसके अगेन्सट बिजली बोर्ड के जिम्मे सरकार ने जो काम सौंपा, वह 3200 से अधिक गांव इलैक्ट्रिफाई करने का था। इलैक्ट्रिफिके ान के लिये सारा ढांचा खड़ा करना था, सामान खरीदना था और रिपोर्ट मे पी.ए.सी. ने क्लीयर किया है कि परचेज का जो सिस्टम था जोकि हरियाणा बिजली बोर्ड ने इनहैरिट किया वह कहां से ? वह पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से और उस सिस्टम कोई जबकि हम वर्किंग करके देख न लेते, एकदम उसको डिफैक्टिव नही हिा जा सकता। अगर उस सिस्टम को बदल देते तो हमारे माननीय सदस्य यह कहते कि पंजाब बिजली बोर्ड ने जो यह परचेज का सिस्टम अडाप्ट किया हुआ था, हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ओवर नाईट चेंज कर दिया। दूसरी पोजी ान जो इस मे क्लीयर की है, जो गवर्नमैंअ ने पी.ए.सी. के सामने प्लेस की और पी.ए.सी. ने उस को कंसिडर करने के बाद ड्यू डेट देकर उसका कनक्लूजन निकाला और वह यह कि जिस वक्त इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वह पहला प्रोसीजन अडाप्ट किया था वह कोई गलत नही किया था। At that time it was buyer's market. स्पीकर साहब, मैं अपने सम्मानीय सदस्यों को यह बतलानाचाहता हूं कि यह जो तिजारत का मामला है, उस मे बायर्ज और सैलर्ज मारकिटस दोनों का एक बड़ा भारी

क्लै ा चलता है और दोनों के सर्कमस्टांसिज बदलने से सारे हालात बदल जाते है। उसके सारे तरीके और तौर बदल जाते है। बायर्ज मार्किट के अंदर परचेजर्ज का हाथ ऊपर होता है और परचेजरऐसी कंडी ानज इम्पोज करना चाहता है जिसके तहत उसको फायदा रहे। जब गुडज की प्राईसिज डाऊन जा रही हो तो परचेजर अपना हाथ ऊपर रखना चाहता है। मैंने उस प्रोसीजर को स्टडी किया है, जो उस वक्त पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बनाया और हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अडाप्ट किया, उसको फालो किया। उस वक्त भी जो प्रोसीजर बनाया गया था वह भी कोई कंट्रैक्टर या सप्लायर्ज के फायदा के लिये नही था बल्कि उन से मैक्सीमम फायदा उठाने के लिये वह प्रोसीजर अडाप्ट किया गया। उस प्रोसीजर के मुताबिक हालात यह थे कि अगर बायर्ज मार्किट रहती जो हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसी पोजी ान मे प्लेस हुआ जिसकी वजह से कि आज यह सारा क्रिटिसीजम है, वह हालात टी उसको फेस न करने पड़ते लेकिन टाईम बाउंड प्रोग्राम था एक साल के अन्दर हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को सैंट परसैंट गांवों को इलैक्ट्रिफाई करना था और यह वक्त की बात है और टाईम पर it became a Sellers Market. चीजों की कमी हो गई। रा–मैटीरियल की, गुडज की प्राईसिज ऊपर जाने लगी। प्राईसिज ही ऊपर नही जाने लगी बल्कि अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई। स्पीकर साहब, मैं सदन का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहूंगां यह जो रिपोर्ट अंडर डिस्क ान है इसमे जो पैराग्राफस् रैफर हुए है वे इस बात से संबन्धित है कि जो

कण्डक्टर्ज की पोल्ज की, मीटर्ज की, ट्रांसफारमर्ज की, वायर की, केबल की और इन्सूलेटर्ज की परचेजिज की गई वे ठीक ढंग से की गई है या नही। स्पीकर साहब, मैं मानता हूं कि कई जगहों पर रूल्ज आफ प्रोसीजर को अडाप्ट नही किया गया लेकिन कुद हालात ऐसे थे, और अगर उनको फौलो किया जाता तो सामान मिलने मे बहुत ज्यादा दिक्कत होती। अगर डिले होती तो बिजली बोर्ड पूरा नही कर सकता था।.....(विघ्न)

Mr. Speaker: Order please, No interruptions please.

श्री गुलाब सिंह जैनः चौधरी रिजक राम जी, हिसाब मे मो आप मुझे मात कैसे दे सकते हो ? स्पीकर साहब अब मै सदन का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि इस रिपोर्ट मे परचेजिज के बारे मे पी.ए.सी. ने कंसिडर करके एक फर्म को आर्डर दिया उसने अपना इंडेंट दिया, उसके बाद वह फर्म बैक आऊट कर गई। जिस वक्त हमारे सामने यह बात आई तो हमे भी यह बात बड़ी अजीब लगी कि यह कैसे हो सकता था। लेकिन जब गवर्नमैंट का ऐक्सप्लेने ान आया, जब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ऐक्सप्लेन किया तो हमने यह देखा कि कसूर हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का नही है लेकिन वह प्रोसीजर ही कुछ इस तरीके का था कि सबसे पहले रिक्वायरमैंटस का फैसला हुआ, उसके लिये ऐडवरटाईज किया गया, फर्मो ने अपने इंडेंट दिये और अब प्रोसीजर खुद चेंज क्यो करना पड़ा, अभी इस रिपोर्ट मे भी लिखा है और चौधरी राम लाल जी ने भी बोलते हुए कहा है कि उस प्रोसीजर को बदला।

जब पी.ए.सी. की रिपोर्ट से पहले ही इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह महसूस किया कि पहले जो रूल्ज आफ प्रोसीजन आफ परचेज थे उनके मुताबिक that was framed according to the market conditions when it was a buyers market अब चूंकि सैलर्ज मार्किट हो गई थी तो उस रूल आफ प्रोसीजर को चेंज किया और पी.ए.सी. ने कुरैक्टली कहा कि भई पहले एक रूल था उसके मुताबिक हालात ठीक नही पाये अब आपने प्रोसिजर चेंज किया है उसका पीरियडीकली ऐग्जामिने ान किया जाए, कहीं ऐसा न हो कि फिर कहीं हम गलती खा जाए। तो इसलिये मै समझता हूं कि पी.ए.सी. ने कोइ गलत तो नही कहा। आफटर आल पी.स.सी. जो है, उसको फंक ान क्या है ? वह रिकमैंड करती है और रिक्मैंडे ान के अनुसार सुझााव भी देती है, पी.ए.सी. का यह फंक ान है, अगर मैं गलती पर नही तो वह सुझाव पी.ए.सी. ने देने की कोि ा ा की है, गवर्नमैंट को भी और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी। इसके अलावा स्पीकर साहब यदि एक फर्म को आर्डर दिया जाता है और वह फर्म माल को सप्लाई नही करती, तो बोर्ड उसके खिलाफ लीगली ऐक ान नही ले सकता था क्योंकि कन्ट्रैक्अ उसके साथ ऐंटर नही हो सकता था। कन्ट्रैक्ट एंटर तब होता था जबकि बोर्ड उसके टैंडर को कनसिडर करने के बाद ऐक्सपैटैंस लैटर इ ू कर दे । That was the thing. मेरे माननीय सदस्य भाायद यह समझते है कि क्योंकि उस फर्म ने टैंडर ने दिया इसलिए अगर उसने माल सप्लाई नही किया तो वह जिम्मेदार है। पर वह लीगली जिम्मेवार नही है। हमने इस प्वांयट

को बड़ी डिटेल के साथ आडिटर जनरल से भी डिस्कस किया है और हमने देखा है कि बिजली बोर्ड जो हे क्या वह उस फर्म के खिलाफ कोई लीगली एक ान लिया है। हमारे सामने वे फैक्टस आये है, हमने अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उन फर्मो के साथ बिजनैस बंद किया और उनको ब्लैक लिस्ट किया है। इसके बार एक और आबजैक ान हमारे माननीय सदस्य ने उठाया। यह कह दिया कि विजिलैंस की रिपोर्ट आ जाएगी तब तक वेट करे। तो क्या विजिलैंस की रिपोर्ट से पहले पी.ए.सी. गवर्नमैंट को यह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोई ऐक ान रिकमैंड कर सकती है ? इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड या सरकार तब तक किसी के खिलाफ ऐक ान नही ले सकते जब तक उसकी रिपोर्ट न आ जाए। इससे बढ़कर गवर्नमैंट की और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो गुड इंटै ान्ज है, उनका सबूत और क्या हो सकता है। The matter has been referred to the Vigilance Department. किसी को भी सेव करने की गवर्नमैंट की ख्वाहि ा नही है और यह बात तो सदन के सामने हैं इस सदन को हमारे मुख्य मंत्री साहब ने पहले ही यह आ वासन दे रखा है कि जहां पर कसूर पाया जाएगा उस को सजा दी जाएगी और कसूर साबित करना है विजिलैंस डिपार्टमैंट वालो ने, जिनसे जयादा और काई होता नही है।

दूसरे अगर पब्लिक अकाउंटस कमेटी किसी को कसूरवार पाती, तो मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि

कमेटी के मैंबरान को किसी को भील्ड करने की जरूरत नही थी, आखिर हम पब्लिक मनी को के कस्टोडियन है, पब्लिक के इंट्रैस्टस के मुहाफिज है, इसलिये जहां पब्लिक मनी को सैफगार्ड करने का ताल्लुक था उस बारे मे हमने किसी इण्डिविजुअल एम्पलाई को नही देखना था और न हम ने देखा है। पब्लिक अकाउंटस कमेटी के सामने एक ही मोटो था कि यह जो टाईम बाउंड काम हुआ है यह किस प्रकार से हुआ है, इस मे क्या किसी की मैलाफाइडी थी या नही, कोताही थी या नही और पब्लिक मनी को ठीक प्रकार से यूटिलाईज किया गया है या नही। जब हम ने यह बात देखनी थी तो जहां अच्छा और बुरी को बुरा कहना ही चाहिये। अपोजी ान वालो की भाायद यह इच्छा जरूर थी कि काम करने वालों को किसी न किसी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाये। जहां हम ने कोई कमी पाई उसे प्वांयट आउट भी किया है औरउस बारे मे हाउस की रिपोर्ट की है। कमेटी ने डिसपै ानेट ऐग्जामिने ान किया है और बात को डिसपै ानेट ढंग से देखा है, ऐग्जामिन किया हैं जहां जो काम नही करना चाहिए था उसके बारे मे हम ने साफ तौर पर कहा है कि वह नही करना चाहिये था ओर जहा की कोई गलती देखी है उसे प्वायंट आउट किया है और उसे हाउस के सामन `रखा है और उस बारे मे सरकार को सुझाव भी दिये हे कि कैसे होना चाहिये। हर कमेटी चाहे वह पब्लिक अकाउंटस कमेटी हो हो यह दूसरी कोई कमेटी हो वह गवर्नमैंअ उको सजै ान्ज देती है और वह गवर्नमैंट की गाईडैंस के लिये होती है ताकि आइंदा के लिये गवर्नमैंट उनको फालो करें

और पिछली भूलों को सुधारा जाये। यह जो आडिटर जनरल की रिपोर्ट थी इसे पब्लिक अकाउंटस कमेटी ने बहुत अच्छी तरह हर पैराग्राफ को देखा है, ऐग्जामिन किया है, बड़ी डिटेल के साथ माइन्यूटली ऐग्जामिन किया है, सारी ऐवीडैंस लेकर कन्सिडर करने के बाद डयू डिलिबरे ान के बाद अपने कनक्लूजन्ज ड्रा किये है और किसी भी प्वायंट को अनटच्ड नही छोड़ा है। अगर कोई गलती नही पाई गई, तो बिला वजह किसी को हैंग करने के लिये भी हम कमेटी मे नही बैठे थे। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भाुक्रिया अदा करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

अमर सिंह (बवानी खेड़ा अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, हाउस के सामने eighth reprot of the Public Accounts Committee, 1974-74 अंडर डिसक ान हैं स्पीकर साहब, आपकी रूलिंग के बावजूद भी इस बारे मे काफी एतराज चलते रहे और वे एतराजात उठाये गये जो कि विधान सभी के एक्सपीरियेंस्ड लैजिस्लेटर्ज को उठाने नही चाहिये थे, लेकिन खैर यह जो आडिटर जनरल आफ इन्डिया की स्पै ान रिपोर्ट आई थी जो कि पब्लिक अकाउंटस कमेटी को रैफर की गई थी ऐग्जामिने ान के लिये इस बारे मे बहुत भाोर मचाया गया और बहुत एतराजात प्रैस मे भी और पार्लियामैंट मे भी अपोजी ान की तरफ से और इस सदन मे भी बहुत कुछ कहा गया इतना भारी भाोर सुन कर मैं भी समझाता था कि पता नही क्या बात है और इस मे क्या कुछ है, लेकिन मैंने पब्लिक अकांउटस कमेटी का मैंबर होने के नाते इस

सारी रिपोर्ट को बहुत मान्यूटली ऐग्जामिन किया है। मैं समझता हूं कि बजाये इस बात को एप्रि ियेट करने के कि हरियाणा हिन्दुस्तान मे पहली स्टेट है कि जहां सरकार ने रूरल एरिया की सुध ली और सारे के सारे 6671 गांवों मे उनका सुधार करने के लिये, उनका विकास करने के लिये बिजली पहुंचाई, इस चीज को कंडेंम करने की भरपूर कोि ा ा की। जब यह रिपोर्ट आई थी तो हम समझते थे कि पता नही इस मे क्या है जो इतना भाोर मचाया जा रहा है लेकिन जब हम ने बतौर पी.ए.सी. का मैंबर होने के नाते इसे स्टडी किया और सारी ऐवीडैंस, सारा रिकार्ड देखा जो हम सोचते थे कि कोई भी ऐसी चीज इस मे सामने नही आती जिस तरह के एतराज हम प्रैस मे और अपोजी ान के भाईयौं की जबानी सुनते थे। मुझे तो ज्यादा हैरानी प्रैस के रोल से है। जम्हूरियत मे प्रैस का बड़ा अहम रोल होता हैं यह फार्थ एस्टेट कही जाती है। इस का बड़ा कंस्ट्रक्टिव रो होता है लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि प्रैस डिस्ट्रक्टिव रोल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। अगर मैं विधान सभी मे कोई कंस्ट्रक्टिव बात कहूं तो उसका नाम नही आयेगा लेकिन अगर कोई दस गालियां दे दे तो पहले सफा पर ना आयेगा। इसी किस्म का रवैया प्रैस ने इस रिपोर्ट के बारे मे भी रखा है और इसे बगैर बात समझे सोचे, बहुत उछाला है, सही तस्वीर को पे ा नही किया है। अभी मेरे साथी चौधरी राम लाल जी, मूवर अफ दी मो ान बोले है औरउन्होंने बहुत सारी बाते कही है, पब्लिक अकाउंटस कमेटी के कनक्लूजनज के बारे मे रैफरेंस भी दिये है, रिपोर्ट के पेज भी

काउंट करके बजाये हे और दूसरी बहुत सारी बिला वजह बाते कही है, लेकिन सिवाये एक ही बात के कि घपलेबाजी हुई है कोठ बात नही कही। उनके मुंह पर एक ही बात घपलेबाजी–घपलेबाजी रही और वह कुछ भी कन्क्रीट नही बता सके और न ही यह बता सके कि कहां पर किस बात मे घपलेबाजी हुई है। कंडक्टर्ज, पोल्ज, इन्सूलेटर्ज, केबल्ज, वगैरह की परचेज के बारे मे एकतराज हुआ था और इस मामला को हम ने बड़ी डिटेल के साथ ऐग्जामिन किया है और हमारे सामने कोई ऐसी बात नही आई जिससे किसी अफसर और परचेज कमेटी की जिसकी मारफत यह सामान खरीदा गया मैलाफाइडी इन्टैं ान जाहिर हुई हों यह टाईम आउंड क्रै ा प्रोग्राम था ओर उसकी मद्देनजर रख कर परचेज कमेटी ने परचेज आर्डर जारी किये लेकि टैंडर देने वाले बाद मे बैकआउट कर गये ज्यादा पैसा कमाने के लिये या ज्यादा रेट लेने के लिये मुकर गये और कई केसिज मे ऐसा हुआ कि जितना माल सप्लाई करने के लिये उनके साथ कंट्रैक्ट हुआ था उतना वे दे नही पाते थे। ऐसे हालात मे बोर्ड ने उन फर्मो को ब्लैक लिस्ट करके दूसरी फर्मज से आर्डर देकर माल मंगाया है ताकि काम इलैक्ट्रिफिके ान का जो है वह न रूके। इसमे दो राये नही कि रूरल इलैक्ट्रिफिके ान का काम टाईम बाउंड था क्योंकि दे ा मे जो अनाज की कमी की बजाये इस प्रैस ने और इन पोजी ान के भाइयों ने डिस्ट्रिक्टिव रोल प्ले किया है और सही चीज को गलत रंग में पे ा करने की कोि ाश की हैं पार्लियामैंट

मे एम.पीज. ने रोजाना एक ही डिस्क ान रखी कि जो हरियाणा मे इलैक्ट्रिफिके ान हुई है सैंट परसैंट.....

Mr. Speaker: Order please. No mention about Parliament.

श्री अमर सिंहः अच्छा जी, मैं इस बात को छोड़ता हूं। स्पीकर साहब मैं गुजारि ा करना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल जी बहुत पुराने पार्लियामैंटेरियन है 1962 मे जब वह मैंबर थे उस वक्त मैं विधान सभी का मैंबर था वहां कम्पोजिट पंजाब मे । उस वक्त हरियाणा की क्या हालत भी यह किसी को भूली हुई नही है। उस वक्त और उसके बाद भी जब हरियाणा बना गया तो यह हालत थी कि हरियाणा के सिसाये जैसे बड़े बड़े गांव जो दस दस और पंद्रह पंद्रह हजार की आबादी के है वे बिजली के एक एक लट्टू के लिये तरसतेथे, छोटे गांव की तो बात ही छोड़ दो। इतनी इतनी भारी आबादी वाले गांवो मे बिजली का नामोनि ाान नही था। आज आप देखे हरियाणा के हर झोंपड़े मे जहां कहीं वह है बिजली के लट्टू जलते है। तो बजाये इसके कि इस चीज की सराहना की जाये यह कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों कर दिया वैसा क्यों नही किया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पी.ए.सी. के सामने सारी एवीडैंस ऐग्जामिन किया है। हमारे सामने यह बात भी आढ कि जब हरियाणा बना तो 26 हजार टयूबवैल्ज हरियाणा मे थे लेकिन आज एक लाख 33 हजार टयूबवैल्ज हरियाणा के अंदर है और कोई झोंपड़ा हरियाणा मे ऐसा नही, जहां बिजली का

लट्टू न जलता हो। आखिर यह बिजली कैसे लगी और कैसे गांव गांव मे पहूंची ? कोई जादू से नही पहंची काम करने से पहुंची है और काम भी कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते है। चौधरी रिजक राम जी जिक्र रहे थे इस बारे मे तो मैंने कहा चौधरी साहब, जिस वक्त हरियाणा बना था उस वक्त आप मिनिस्ट्री मे थे। हमारा पावर मे 54 परसैंट भोयर बनता था लेकिन 39 परसैंट बिजली हमे मिली और वह इस लिये कि कहा गया कि हम इससे ज्यादा कन्ज्यूम नही कर सकते और उस वक्त हमारी कन्जम्प ान थोड़ी थी। हम बिजली को इस्तेमाल भी कैसे करते, क्योंकि हमारे गांव मे रूरल ऐरिया मे इलैक्ट्रिफिके ान थी नही, एग्रीकल्चर फील्ड मे हम बहुत पीछे थे, कोई बिजली के कनैक ान्ज नही थे क्योंकि हमे साधन ही प्रोवाइड नही किये जाते थे। इस लिये हमारी हालत ऐसी थी कि हम इंडस्ट्री और ऐग्रीकल्चर दोनो मे पीछे थे। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमने कमेटी के अन्दर इस रिपोर्ट को बहुत डिटेल मे ऐग्जामिन किया और यह जो पोल्ज, केबल्ज, कंडक्टर्ज, वगैरह के बारे मे इन भाईयों की तरु से बहुत भाोला मचता था कि साहब यह हो गया वह हो गया इस बारे मे हमने कमेटी मे बोर्ड के चेयरमैंन को दूसरे मैंबरान को फाईनैंस वगैरह के को और गवर्नमैंट की तरफ से पावर के सैक्रेटरी को बहुत माइन्यूटली डिटेल के साथ क्रिटिकली ऐग्जामिन किया और हमने पूरी कोि ा ा की कि किसी अफसर की मैलाफाइडी इंटैं ान पकड़ी जाये और इस किस्म की बात पकड़ी जाये कि किसी ने नाजायज फायदा उठाने की

कोि ाश की हो, लेकिन कोई ऐसी बात नही पाई गई। जहां तक लैप्सिज का ताल्लुक है जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि लैप्सिज जरूर हुए है क्योंकि टाईम बाउंड प्रोग्राम थां एक फम्र के साथ ऐग्रीमैंट हो गया लेकिन फर्म के मैनेजर मैटीरियल सप्लाई करने से बैक आउट हो गए, वह कंटैक्अ पूरा करने के लिए तैयार ही नही हुआं अगर किसी दूसरे कंट्रैक्टर को आर्डर रिप्लेस ने करते तो हमारा काम सफर करता । चौधरी चांद राम जी जिक्र कर रहे थे कि बोलने नही देते और इस बिना पर वाक आउट कर देते हैं मैं सुबर एक इंसटांस बताता हूं। चौधरी दल सिंह जी कहने लगे कि चौधरी चांद राम जी ने एस्टीमेट कमेटी की मैंबरि ाप के लिए फार्म भर दिए है। उन्होंने एक फार्म तो ठीक भर दिया लेकिन दूसरे पर दस्तखत नही किए। जब लिस्ट आई तो कहने लगे कि मैं जरूर मैंबर बनूंगा। इस पर चौधरी दलसिंह ने कहा कि दस्तखत तो आपने किए ही नही है। ये तो इतने अपसैट और डीरेल्ड हो गए है कि कोई काम ध्यान से नही कर सकते। एक दफा कलकत्ता जा रहे थे। रास्ते मे घबरा गए और कहने लगे कि मैं रेल मे जा रहा हूं या पैदल जा रहा हूं। मैंने कहा कि जब आपको यह भी पता नही कि रेल मे जा रे हो या पैदल जा रहे हो तो मैं आपको क्या कहूं। चौधरी देवी लाल जी ने इनको इतना भचीड़ दिया है कि ये हमे ाा कन्फयूल्ड रहते है। जब हम इनको कहते थे कि आप चीफ मिनिस्टिर बनेंगे तो बात नही करते थे। हाउस मे 6–7 मैंबर है जिन मे एक ही चौधरी चांद राम देहाती हरिजन है बाकी सब चौधरी है। (व्यवधान) कहीं ऐसा न हो कि

लखनऊ असैम्बली की तरह लाबी मे पीटने का नम्बर इनका आ जाए (व्यवधान)। स्पीकर साहब, मैं सदन का ज्यादा समय न लेता हुआ यही कहना चाहता हूं कि प्रैस अपना सही पार्ट प्ले नही कर रही। मैं प्रैस की मुखालफत नही करता। मुझे आपत्ति इस बात की है कि प्रैस गलत न्यूज उठाकर छापती है। प्रैस दे ा को सुधारने मे बहुत कंस्ट्रक्टि रोल अदा कर सकती है लेकिन यह कंस्ट्रक्टिव की बजाये डिस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रही है। जो अच्दी बान है, कांस्ट्रक्टिव बात है उसका कतई नाम नही लेतीं गाली देने वाला प्रोग्राम हो तो अंगूठे जैसे हरफ छापते हैं कोई अच्छा काम हो और उसकी कोई तारफ करे तो हते है कि यह तो सरकार की तारीफ कर रहा है, हम इसका नाम नही देंगे। इस तरह की ओपीनियन प्रेस की है जो आपत्तिजनक बात है। स्पीकर साहब, दो रिसोर्सिज है एक प्रैस और दूसरा अपोजी ान। अपोजी ान और प्रैस का कांस्ट्रक्टिव रोल पर चल रही है और न प्रैस कांस्ट्रक्टिव रोल पर चल रही है। मैंने ऐज ए मैंबर आडिटर जनरल की रिपोर्ट को ऐग्जामिन किया है, रिपोर्ट के सारे फैक्टस को देखा है। यह तो भलाई के काम मे बुराई देने वाली बात है कि हम यह कहे कि कोई काम नही हुआ। मैं चौधरी राम लाल जी से पूछ रहा हूं कि घपलेबाजी की डिसक्रिप् ान क्या है, वे मुझे बता दे। स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा हूं मैंबर आफ कमेटी होने के नाते कि बोर्ड का काम बड़ा सराहनीय है और सरकार ने बड़ा चमत्कार दिखाया है कि थोड़े से अर्से मे गांव गांव मे लट्टू चमका दिए है। ठीक है बिजली की कमी है, चाहे वह पानी की वजह से है, चाहे बिजली

का फैलाब ज्यादा होने की वजह है जिसकी तजह से बिजली की कमी पूरी नही हो रही। इसलिए मेरी गुजारि ा है कि कमेटी ने जो छानबीन की है, वह डिटेल मे की है और इस काम मे कोई कसर नही छोड़ी।

श्री के.एन.गुलाटी (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, मैं दो चार मिनट लूंगा। मै आपकी मारफत कहना चाहता हूं कि चंद भाई खमखाह हाउस का वक्त जाया करते है, इसकी बैकग्राउंड मे असल मोटो कुछ और ही होता है जो हमारे भाई चौधरी चांद राम ने क्लीयर कर दिया है कि हम तो खिलाफ ही बोलेंगे, हक मे नही बोलेंगे। ये वाक आउट करते है सिर्फ अखबारों मे नाम देने के लिए। इस बात को तो आप ही सुलझा सकते है। चौधरी राम लाल जी ने एक भोर कहा था कि मुझ पर पाबन्दी लगा दी है। इसके जवाब मे मैं यह भोर कहना चाहता हूं–

सच्चाई छुप नही सकती बनावट के उसूलो से,

कि खु ाबू आ नही सकती कभी कागज के फूलों से।

चौधरी राम लाल जी कागज के फूल है, उनसे खु ाबू कहां आएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। दो आनरेबल मैंबरों अप– ाब्द कहे यह गलत बात कहे तो मैं कहूंगा कि वह ऐफिडैविट दे दे और उस बात को साबित कर दे। अगर ऐफिडैविट नही दे सकता तो ऐसी बात हाउस मे न कही जाएं मैं अनुभव करता हूं कि हमारे सामने बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। मै महसूस करता

हूं कि आजकल फाइनैंस की कमी होने के बावजूद इंट्रैस्ट का रेट बढ़ जाने के बावजूद हमारी स्टेट ने काफी तरक्की की है, जैसे कि देहात मे बिजल रोड़ज, कैनालज, टयूबवैल्ज, होस्पिटलज, स्कूल्ज, मिल्क प्लांटस बस–अड्डे थर्मल प्लांटस वगैरह के कामों मे काबलेतारीफ तरक्की हुई है। अनाज के मामले मे नुमायां तरक्की की है, जहां हम अपना खर्चा पूरा करते है वहां दे ा के दूसरे भागों को भी अनाज भेजते है। इसके अलावा एम.एल.एज. को भी फैसिलिटी मिजती है। जितनी फैसिलिटी यहा एम.एल.एज. को मिलती है उतनी दूसरी किसी स्टेट के एम.एल.एज. को नही मिलती। मैं कहना चाहता हूं कि जो सही काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जहां नुक्स की बात हो वहां सुझाव देने चाहिए। इस मे कोई भाक नही कि आबादी बढ़ गई है जिसकी वजह से पावर और इरीगे ान मे कुछ रूकावट आई है। हमें इस बात की खु ाी है कि सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए थर्मल प्लांट लगा रही है। बड़े बड़े प्राजैक्ट हमारे सामने आ हरे है। सारी हरियाणा सरकार, हरियाणा को चार चांद लगाने की तरफ लगी हुई है। गुड़गांव के अन्दर एक अस्पताल का उद्घाटन कियाहमारे सैंटर के मिनिस्टर श्री दीक्षित ने। उन्होंने अपने मुखरबिंद से अनाउंस किया कि यू.पी. का इतना बड़ा सूबा है, वहां पर भी इतने प्राजैक्ट नही है जितने कि हरियाणा मे है। आप देखें, आज हरियाणा का नाम कितना ऊंचा है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भाई खामखाह बोलते है। स्पीकर साहब, पिछले दिनों एस्टीमेटस

कमेटी बम्बई और गोआ की तरफ टूर पर गई थी जिस मे मै भी गया था। वहां कई लोगों से मिलें (व्यवधान).....

Mr. Speaker: Order please.

श्री के.एन.गुलाटी: उन्होंने हमारे हरियाणा की तारीफ की और कहा कि जितनी डिवैल्पमैंट हरियाणा मे हुई है उतनी किसी सूबे मे हनी हुई और हमारे सामने हरियाणा एक मिसाल हैं स्पीकर साहब, यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। डिवैल्पमैंट के काम मे जो कमियां है, हमारा फर्ज है कि सरकार को बताएं और सरकार उन कमियों को पूरा करेगी।

चौधरी मेहर चंद (बड़ोपल): स्पीकर साहब, मैं पब्लिक अकाउंटस कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा नही करना चाहता, न ही बोलन चाहता था लेकिन यहां बिजली बोर्ड का मसला ऐसा मसला आ गया जिससे मेरे भारीर मे भी बिजली आ गई। बिजली बार्ड पर डिसक ान है इसलिए मैं दो चार बाते जयर कहूंगा। मुझे अपोजी ान की बाते सुनकर बड़ी हैरानी होती है। मैं यह जान कर हैरान हूं कि बिजली बोर्ड ने, सरकार ने यह अच्छा काम क्यों किया और यह गुनाह के जिम्मेदार क्यों बने ? मुझे समझ नही आती कि अच्छा काम करने पर बुराई क्यों हो रही है क्योंकि इन्होंने अच्छा नही कहा। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड ने क्या किया और बिजली बोर्ड पहले था और अब क्या है।

''वतन को दल्हन के रंग दे दिये तूने

खारों मे गुलो के रंग भर दिये तूने''

बिजली बोर्ड ने वह काम करके दिखलाया जो कहीं भी नही हुआ। ये छोटी छोटी बाते करते हैं फिर यहां हाउस मे कहते है कि पब्लिक अकाउंटस कमेटी ने कलीन चिट दे दी। यह बात बिल्कुल गलत है कि क्लीन चिट दी है। किसी हद तक Entire clean chit नही दी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऐक ान भी सजैक्ट किया है। मैं तो यह कहूंगा कि इस रिपोर्ट पर, का ा कि वे यहां हाउस मे होते तो मैं उनको बताता कि किस चीज पर उनको बोलना चाहिए था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने क्या लिखा है कि यह ऐक ान रिक्वायर्ट है। उनको चाहिए था कि इसके लिए प्रैस करते तो यह ऐक ान गलत है । मैं यह कहता हूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऐक ान सजैक्ट किया वहां गवर्नमैंट को ऐक ान लेना चाहिए। पता नही, बदकिस्मती से जब से मैं इस हाउस मे आया हूं मुझे समझ नही आता कि पोल्ज की बड़ी चर्चा है। पता नही पोल्ज मे क्या घपला हो गया, क्या बीमारी है, किस के ऊपर पोल पड़ गये ? यहां पेज 14 पर पोजी ान क्लीयर कर दी है।

"In view of the position explained by the Board in regard to the reports relating to defectivepoles despatched by the fir, the Committee consider that no further action is necessary in the matter."

कमेटी बिल्कुल सैटिस्फाईड थी। कोई डिफैक्टिव पोल सप्लाई नही किये गये। दूसरे यहां यह भी कहा गया कि जो पंजाब मे साल रिजैक्ट किया गया था वहा हरियाणा ने ले लिया। कितनी गलत ब्यानी की गई, गलत स्टेटमैंट देते है ? ये कहीं बाहर स्टेटमैंट दे और हमारे कुछ आदमी इन के खिलाफ दावा करें तो इनको सजा भी हो सकती है, जेल मे भी जा सकते है, हर्जाना भी पड़ सकता है। कमेटी यह रिपोर्ट देती है–

"The Committee also find that thee was no evidence to show hat he lots rejected by the Punjab State Electricity Board were offered by the firm to the Haryana State Electricity Board."

ये कहते है कि परचेज कर ली। पता नही कि परचेज करने से क्या गुना हो गया ? क्या इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड परचेज नही करता ? कितनी गलत ब्यानी से ये काम लेते है ? सब से बड़ी बात जो बिजली बोर्ड ने की है जिस पर मुझे बड़ा गर्व है क्योंकि मैं भी एक किसान का लड़का हूं, सारी हरियाणा गवर्नमैंट के डिपार्टमैंट को एक तरफ ले लीजिए और एक तरफ बिजली बोर्ड को ले लीजिए, अकेले बिजली बोर्ड ने ज्यादा काम किया है। जितना बिजली देने से इरीगे ान मे इजाफा हुआ है। इतना किसी भी दूसरे साधन से नही हुआ। मैं आपको फिगज्र देता हूं and I stand by these figures like a rock. बिजली बोर्ड हरियाणा ने इरीगे ान मे काफी इजाफा किया है। आज जो ग्रौस इरीगेटिड एरिया है वह 15 लाख एकड़ है। तीन लाख एकड़ वैसा है और

ऐन्रजाईजड टयूबवैल्ज से 12 लाख एकड़ का इजाफा हुआ है in terms of production इससे आप हिसाब लगाईये कितनी आमदनी हरियाणा बिजली बोर्ड ने हरियाणा प्रदे ा की बढ़ाई है।

इसके अलावा एक दो बाते और है। यह जो क्रिटिसिजम है इसके बारे मे मैं महसूस करता हूं This is flogging a dead horse कोई ऐसी बात ही नही थीं बात का बखेडा बना दिया। खेदा पहाड़ निकला चूहा, वही बात इन्होंने की हैं इस रिपोर्ट के कनक्लूजन की मैं दाद देती हूं। जहां पर ऐक ान रिक्वायर्ड था वहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हैजीटेट नही किया है। कोई यहां कहता है कि गवर्नमैंट की मैनयूवर्ड चीज थी, गवर्नमैंट जो चाहे कर दे। ऐसी बात नही है। मे बाते सुनता हूं। यह गलत बयानी है। जहां ऐसी बात होती है वहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किस को फांसी रिकमैंड कर दे, गवर्नमैंट को फांसी दे दीजिए । यह बात गलत हैं

इसके अलावा बोर्ड ने एक बात और भी रिक्मैंड की है। जहां उन्होंने यूटेब्ल एक ान सजैक्ट किया है वहां उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी रिमैंडे ान पर फौरन ऐक ान लिया जाये। एक और बड़ी बात बोर्ड ने की है, वह यह है और, स्पीकर साहब, हरेक मानीय सदस्य मानेगा भी कि जहां पर नया काम होता है, जहां प्रोग्राम जल्दी मे ऐग्जीक्यूट होता हो, अगर ऐसी कोई बात है तो इसमे बिजली बोर्ड का क्या कसूर है ? मैं तो चहता हूं कि जो बिजली बोर्ड के चेयरमैंन थे उनको दाद देनी चाहिए। उसने

कमाल कर दिया। मैं भी उस टाईम पर बिजली बोर्ड का मैंबर था। वह दिन रात सोया नही। उसको एक ही ध्यान होता था कि सैंटर गवर्नमैंट के जो आर्डर है उनकी कम्पलायेन्स की जाये और चीफ मिनिस्टर हरियाणा को चार चान्द लगा दे। उसके दिल मे हर वक्त यही भावना थी और कोई भावन नही थी। उसके मुताल्लिक यह कहना कि घपला कर दिया, वह कर दिया, यह कर दिया यह बिल्कुल गलत बात हैं हां, इतनी बात जरूर है, स्पीकर साहब, मैं ज्यादा नही कहूंगा क्योंकि मेरी सेहत अलाऊ नही करती। मैं ज्यादा कुछ नही कहना चाहता हूं। एक बात जरूर है और यह हकीकत से कही दूर है। वह क्यों है? किसी भले आदमी ने ठीक ही कहा हे–

''नुक्ता ची हर भली भौ मे बुराई देख लेता है,

चमन मे भी निगाहें जाग पड़ती है गिलाजत पर।।''

बस इतना ही कह कर मैं खत्म करता हूं।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है इसे हरियाणा स्टेट बिजली बार्ड और हरियाणा सरकार इन टोटो एक्सैप्ट करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट मे सभी बाते विस्तारपूर्वक आ गई है। मेरे कुछ विरोधी भाईयों ने कुछ कहने की कोि ा ा की लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बहुत साफ किया है। एक पैर

मे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बिजली बोर्ड पर ऐलीगे ान के बारे मे लिखा है:—

"In this connection, the Committee would like to mention that the Haryana State Electricity Board is an autonomous body and all decisions relating to the procurement and purchase of materials are taken by it. The State Government is not in any way directly or indirectly involved in any of the purchase transactions."

स्पीकर साहब, जहां बिजली बोर्ड पर इल्जाम लगाते है कि इन्होंने ठीक ढंग से चीजे नही खरीदी या प्रोजीजर सही फालो नही किया गया, उसके बारे मे मैं आपके जरिए इस सदन को बताना चाहूंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साफ लिखा है:—

"The Committe observe that most of the audit observations have arisen in respect of decisions taken in pursuance of the purchase procedure in gogue at that time which was stated to have been inherited from the Punjab State Electricity Board."

तो हमारे बोर्ड मे भ्ाुरू मे वही रहा है जैसा कमेटी ने कहा है। आगे कमेटी ने एक जगह कहा है:—

"..It would be incorrect to assume that the materials required by the Board could have been procured from certain firms at the prices initially quoted by them had the orders been placed on those firms instoad of the firms on whom orders where actually placed, and consequently there was any avoidable extra expenditure or loss..."

तो कमेटी ने यह बात बहुत साफ कद दी । स्पीकर साहब, जिस समय हमने यह फैसला किया कि हम गांधी सैंटिनरी तक हण्डर्ड परसैंट विलेजिज की इलैक्ट्रिफिके ान करेंगे तो उस समय हमने एक फैसला किया कि बोर्ड मे फाईनैंस मैंबर एक अहम स्थान रखता है।

फाईनैंस मैंबर हमने कम्प्ट्रालर एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया से लिख कर एक सीनियर अकाउंटैंट जनरल को लिया। जिस समय उनको कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया ने नौमिनेट करके भेजा तो उस मैंबर की तनख्वाह हमारे चेयरमैंन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बिजली बोर्ड से ज्यादा थी। रूल्ज के हिसाब से किसी आदमी की तनख्वाह उससे ज्यादा हो नही सकती लेकिन हमने रूल्ज अमैंड किये इसलिये कि फाइनैंस के बारे मे राय देने वाला आदमी इंडिपैंडेंट हो। रूल्ज अमैंड करके हमने एक सीनियर अकाउंटैंट जनरल को आन डैपूटे ान लिया और वह साउथ का रहने वाला हैं स्पीकर साहब, मैं यह कहे बगैर नही रह सकता कि हमारे बिजली बोर्ड के पुराने चेयरमैंन श्री पी. एन. साहनी, जिन्होंने यह काम किया, उनकी जितनी तारीफ की जाये, थोड़ी है। कोई भी आदमी इतने थोड़े अर्से मे इतना ज्यादा काम नही कर सकता। अगर किसी आदमी को आप साधन भी दे दे। किसी आदमी को आप पूरा पैसा भी दे दे। सब कुछ दे दे लेकिन इस सब के बावजूद हरेक आदमी इसे नही कर सकता। इसते काम को आर्गेनाईज करना और इतनी तेजी सके काम करना

एक बहुत बड़ी बात हैं इसलिये मैं बार बार उस भाख्स की तारीफ कंरूगा जिसने हरियाणा प्रांत के लिये इतना भारी काम किया और गांव गांव तक रो ानी पहुंचायी। स्पीकर साहब, अगर गांव गांव तक बिजली न पहुंचती तो अनाज के मामले मे हमारी यह पोजी ान न होती जो आज है। किसी साल मे जब अच्छी से अच्छी फसल हरियाणा प्रान्त मे हुई और अच्छी से अच्छी बारि ा हरियाणा प्रान्त मे हुई तब भी हरियाणा प्रांत हमे ाा सैन्ट्रल पूल से अनाज लेता रहा। अनाज मे डैफिसिट रहा जबकि अच्छी से अच्छी बारि ा होती थी और अच्छी से अच्छी फसल होती थी। जब गांव गांव तक बिजली पहुंच गयी, टयूबवैल लग गये तो यह जो पिछले दो तीन साल गुजरे है और खास तौर पर यह छप्पना कहते थे, उनको भी भूल जाते । लेकिन आज इतने कहत के बावजूद भी, हरियाणा अगर सैंटर को पूल मे कुछ देता है तो गेहूं, चावल, पलसिज और दूसरी चीजे मिलाकर 10 लाख टन से ज्यादा देता है। यह सब बिजली का नतीजा है। स्पीकर साहब, मै आपको क्या बताऊं कि इस इलैक्ट्रिफिके ान कहा हरियाणा प्रान्त की ऐग्रिकल्चरल प्रोडक ान पर कितना असर पड़ा है। हमारे यहां हाई यील्डिंग वैराइटीज का सीड पहले बिल्कुल इस्तेमाल नही होता था। यह बिजली बोर्ड की वजह से इस्तेमाल हुआ और इसकी वजह से कामयाब हुआ और बिजली बोर्ड की वजह से टयूबवैल्ज की एनरजाइजै ान की वजह से, औगमैंटे ान टयूबैवेल्ज की वजह से हमारी आबपा ाी बढ़ी। उसके अन्दर एरिया भी ज्यादा आया

और पर एकड़ यील्ड भी बढ़ी। मैं आपको फीगर्ज भी बताता हूं। स्पीकर साहब, रिपोर्ट मे यह लिखा है:—

"Consequently, the net area irrigated by tubewells had increased considerably as wouldbw evident from the following figures."

स्पीकर साहब, 1968—69 मे टयूबवैल्ज से जमीन सैराब होती थी दो लाख 35 हजार हैक्टेयर्ज। 1968—70 मे यह हो गयी तीन लाख 40 हजार हैक्टेयर्ज। 1970—71 मे यह हो गई चार लाख 25 हजार हैक्टेयर्ज। 1971—72 मे यह हो गई 5 लाख 37 हजार हैक्टेयर्ज और 1972—73 मे यह हो गई 6 लाख 2 हजार हैक्टेयर्ज। 1973—74 मे जो ऐस्टिमेटिड है, वह 6 लाख 80 हजार हैक्टेयर्ज है। तो आप अंदाजा लगाईये, कहां दो लाख 35 हजार हैक्टेयर्ज और कहां 6 लाख 80 हजार हैक्टेयर्ज। बिजली बोर्ड के चेयरमैंन की, मैंबरों की और उनके स्टाफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हिन्दुस्तान मे हमारी सबसे पहली स्टेट है जिसने कि गांव गांव तक बिजली पहुंचाई । जो आज ये लोग कहते है कि पैसा ज्यादा खर्च हो गया, मैं इस बस को आगे चल कर डील करूंगा। जिस समय हमने यह इलैक्ट्रिफिके ान की, उस सतय हमे रकम 6 प्रति ान इंट्रैस्ट पर मिलती थी और आज अगर हम बैंक के पास लेने जाये तो हमे पैसा मिलना है 14 प्रति ात ब्याज पर। कितने ही रूपयों का तो ब्याज ब्याज मे ही फर्क पड़ जाता । इसके अलावा बिलली बोर्ड ने, स्पीकर साहब, बहुत से केसिज मे, जिनको पब्लिक अकांउटस कमेटी ने कैं ान किया है

लोगों से रिकवरी की है 3 लाख 9 हजार 715 रूपये की। जिन लोगों ने माल सप्लाई किया था उनकी पेमैंट हैल्ड अप की है 8 लाख 39 हजार 482 रूपये की। जो सिक्योरिटी डिपाजिट उन्होने दे रखे थे। इसके अलावा वह और बैंक गारंटी जो उंहोने दे रखी थी वह 16 लाख 9869 रूपये थी। यानी अगर किसी ने कोई गड़बड़ करने की कोि ा ा की तो बोर्ड ने उसको माफ नही किया। इसी तरह से बोर्ड ने उस फर्म से 3 लाख 92 हजार 185 रूपये वसूल किये। इस तरह से बोर्ड ने किसी जगह कोई गफलत नही की। एक बात यह कही जाती है कि बोर्ड ने स्कीम सबमिट नही की। जहां तक स्कीम का सवाल है, स्पीकर साहब, स्कीम बनाई जाती है पावर जनरे ान के लिए और हाई पावर की ट्रांसमी ान लाईज के लिये। हमारा यह जो रूरल इलैक्ट्रिफिके ान था, यह तो पाव की डिस्ट्रिब्यू ान थी। आज अगर हम एक जगह से या एक लाईन मे से चार गांवो को बिजली अलग दे तो क्या हम उसके लिये अलग स्कीम बनाये ? अगर किसी जगह 50 टयूबवैल्ज को बिजली दे तो क्या उसकी अलग स्कीम बनाये, अगर ऐसी एक एक स्कीम के लिए बोर्ड गवर्नमैंट के पास आने लगे ता काम नही चलेगा। स्कीम बनाने की जरूरत है पावर जनरे ान के लिये और हाई ट्रांसमी ान लाईज के लियें पावर की डिस्ट्रिब्यू ान के लिए स्कीम बनाने की जरूरत नही हैं एक बात, स्पीकर साहब, में आपके जरिये सदन को बताना चाहूंगा कि मार्च, 1968 मे हरियाणा मे 1251 गांवों मे बिजली थी और 27579 टयूबैवेल थे। पहले बिजली जो हरियाणा प्रांत मे खर्च

होती थी, वह दो लाख 92 हजार मिलियन यनिट थी। हमारी पर कैपिटा कंजम्प ान 57 यूनिट थीं गांवों की जो फिगर थी वह 28 नवम्बर 1970 को बढ़कर 6669 गांव हो गयी। इस तरह गांवों को बिजल चली गयी ओर इनमे से भी सिर्फ 1903 गांव 1969–70 मे इलैक्ट्रिफाई हुई थे। और जून 1970 से लेकर नवम्बर 1970 तक 3 हजार 302 गांवो को बिजली चली गयी। देखिये, कितनी भारी स्पीड से काम हुआ है और फिर आखिरी 15 दिनों मे तो सौ गांवो को रोज बिजली लगायी गयी। इसलिये मै तो यह कहूंगा कि चेयरमैंन बिजली बोर्ड ने बिजली की तरह ही काम करके दिखाया। इससे ज्यादा खु ाकिस्मती हरियाणा प्रांत की हो नही सकती कि इसको इतना अच्छा बिजली बोर्ड मिला हो, इतना अच्छा चेयरमैंन इसको मिला हो और इतने अच्छे मुलाजिम इसको मिले हो। स्पीकर साहब, आज हमारी हालत यह है कि 1971 तक हमने 58866 टयूबवैल्ज को कुनैक ान्ज दिये थे और इस वक्त उनकी तादाद और भी ज्यादा है। आज जो हमारी पावर कंजमप ान है वह है 7 मिलियन यूनिट। कहां तो पहले 2.52 मिलियन यूनिट और कहां अब 7 मिनियन यूनिट। हमारी पर कैपिटा पावर कन्जम्प ान 57 यूनिट थी जो अब बढ़कर 132 यूनिट हो गयी। दूसरी स्टेटो के मुकाबले अगर खर्चे का हिसाब लगाये कि किसी स्टेट मे रूरल इलैक्ट्रिफिके ान से टयूबवैल एनरजाईज करनने से कितना खर्च हुआ है और हरियाणा मे कितना हुआ है तो पता लगेगा कि हमारे यहां खर्च कम है। हरियाणा मे हमने विलजिज इलैक्ट्रिफाई किए वे है 5205 और पम्पिंग सैटस को बिजली दी गई वे है 71 उहजार

246 और टोटल खर्चा हुआ 29 करोड़ 73 लाख। यह जो 44 करोड़ रूपया कहा जाता है यह 1966 से 1972 तक के पीरियड का कुद मिलाकर है। क्रै ा प्रोग्राम का जो खर्चा है वह 29 करोड़ 73 लाख रूपए का है। यह आडिट का निकाला हुआ है हमारा निकाना हुआ नही है। 5205 गांव इलैक्ट्रिफाई किए, 71 हजार 246 पम्पिंग सैटस को बिजली दी और टोटल खर्चा हुआ 29 करोड़ 73 लाख रूपया। गुजरात मे 2 हजार 236 गांव इलैक्ट्रिफाई किए, 52 हजार 832 पम्पिंग सैटस को बिजली दी और खर्चा 34 करोड़ 26 लाख। पंजाब मे 2 हजार 482 गांवो को बिजली दी, 65 हजार 581 टयूबवैल्ज को बिजली दी और खर्चा 30 करोड़ 31 लाखं राजस्थान मे एक हजार 108 गांवों को इलैक्ट्रिफाई किया, 28 हजार 234 टयूबवैल्ज को बिजली दी और खर्चा 17 करोड़ 27 लाखं इस तरह से परसैंटेज मे हमारा सब से कम खर्चा हुआ हैं अब यह कैसे कहा जा सकता है कि यहां कोई गड़बड़ हुई है। इन अपोजी ान के भाईयों को हस्द है कि इतना काम क्यो हो गया। स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम बिजली के बारे मे कह रहे थे। अगर हम यह इन्फास्ट्रक्चर तैयार नही करते तो जिस समय पंजाब और हरियाणा अलहदा हुए तो उस समय पावर मे हमारा हिस्सा होना चाहिए था कोट 55 परसैंट सु कुछ कम यादी 54.7 प्रति ात और हमे पावर मिली 39.50 परसैंट क्योंकि इन्फास्ट्रक्चर नही थी ओर अगर इन्फास्ट्रक्चर तेयार नही करते तो ब्यास रावी का पानी अब से पहले आ जाना चाहिए था लेकिन अनअवायडैबल सर्कमस्टांसिकज की वजह से नही आया और अगर हमारे पास

पावर आ जाती तो हमारे पास खर्च करने को जगह नही होती। कुद तो पहले दे बैठे और कुछ अब दे देते।

स्पीकर साहब, पब्लिक अकाउंटस कमेटी ने गवर्नमैंट को और इलैक्ट्रसिटी बोर्ड को कम्पलीमेंटस पे किए है–

"Keeping the overall posiiton in view, the Committee would like to compliment the State Government and the Haryana State Electricly Board for making Hryana the firs State in the country to achieve 100 % rural electrificaiton in such a short time while simulataneously carrying out the programme for tubewell energization in spite of numerous difficulties and bottlenecks."

स्पीकर साहब, हमारा बिजली बोर्ड जहां क्रैश प्रोग्राम मे विलेजिज को इलैक्ट्रिफाई करने में लगा रहा वहां साथ ही साथ जो नार्मल ट्यबवैल्ज का ऐनरजाईज करने का प्रोग्राम था उसको भी हमने छोड़ा नहीं। इसी तरह से 1972–73 में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने अक्तूबर में हमें 10 हजार ट्यबवैल्ज का टारगैट अंडर ऐमरजेंसी ऐग्रीकलचरल प्रोडक ान प्रोग्राम मार्च तक पूरा करने को कहा और हमने यह टारगैट 31 मार्च, तक 10 हजार ट्यबवैल्ज लगाकर पूरा कर दिया। हिन्दुस्तान में किसी स्टेट ने परा नहीं किया, सिर्फ हरियाणा ने किया (थम्पिंग)। स्पीकर साहब, मेन प्वायंट जो आडिट में आया वह है परचेज आफ ऐक्सैस मैटीरियल, ऐक्सट्रा एक्सपैंडीचर आन परचेज आफ मैटीरियल एंड परचेज आफ डिफैक्टिव मैटीरियल। स्पीकर साहब, हां तक ऐक्सैस मैटीरियल के

खरीदने का सवाल है वह तो मैं सदन को आपके जरिए बताना चाहूंगा कि बोर्ड ने एक कमेटी बना दी थी जिसमें चीफ इंजीनियर कंट्रोलर आफ स्टोर्ज और एम.सी. उसके मैम्बर बनाए। इस कमेटी का काम था सामान की जरूरत बताना। जितनी रिक्वायरमैंट थी उस रिक्वायारमेंट के हिसाब से उन्होंने सामान खरीदा। जिस समय यह कै ा प्रोग्राम खत्म हो गया और कै ा प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद दिसम्बर 1970 से 31 मार्च, 1971 तक बोर्ड ने 7 हजार 472 ट्यबवैल्ज को कुनैक ान दिरया और रूप्या सामान के ऊपर ही खर्च किया गया। सामान था तो हमने कनैक ान दिए और इनवैटरी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो थी वह 1968–69 में 8 करोड़ 34 लाख रूपए की थी और 1972–73 मैं यानी 30 जून, 1973 को घटकर यह तीन करोड़ रूपये की रह गई। अगर ऐक्सैस सामान खरीदा होता तो 8 करोड़ 34 लाख न होकर दस–बीस करोड़ हो गया होता। सारे विलेजिज को इलैक्ट्रिफाई किया, बाकी दूसरे कनैक ान्ज दे दिए क्योंकि साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कनैक ान्ज भी दिए, डोमैस्टिक कनैक ान्ज भी दिए, सब तरह के कनैक ान्ज देते रहे, उसके बाद इनवैन्टरी तीन करोड़ रूपए की रही तो ऐक्सैस सामान खरीदने का सवाल ही नहीं रहा। जहां तक ऐक्सैस ऐक्सपेंडीचर का सवाल है यह हाइपोथेटीकल एसैसमैंट है। इस बारे में मैं तीन चार स्टेटों की फिगर बता चुका हूं हमारी फिगर्ज किसी भी स्टेट के मुकाबले कम्पैरेटिवली नीचे हैं, ऊंची नहीं हैं। आज हालत यह है सामान की कि अगर हम सामान खरीदना चाहें, हमारे पास तीन हजार ट्यबवैल्ज के लिए पोल तो है लेकिन

कंडक्टर्ज नहीं है क्योंकि ऐल्यूमीनियम की कमी है। अगर कंडक्टर्ज आज मिल जाएं तो हम तीन हजार ट्यबवैल्ज को कनैक ान दे सकते हैं। आज हमें सामान नहीं मिलता और स्पीकर साहब, अगर आज हम स्टेट को इलैक्ट्रिफाई करते तो 29 साढ़े 29 करोड़ की बजाये दो–तीन गुणा ज्यादा खर्चा करते। ये ऐप्रि ाियेट तो नहीं करते उलटा क्रिटिसाईज करते हैं।

स्पीकर साहिब, एक सवाल रहा परचेज में डिफैक्टिव मैटीरियल का। डिफैक्टिव मैटीरियल का जहां तक सवाल हैं उसमें रिकवरी की गई है, पेमैंट होल्ड की गई है, गारन्टी रोक दी गई सिविल सूट करके वसूली की गई है और स्पीकर साहब, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 2 लाख 80 हजार पोल खरीदे और जिसमें सिर्फ 812 पोल्ज डिफैक्टिव मिले और उनके damages भी suppliers से वसूल किए गए। जिसके बारे में ये कहते हैं कि डिफैक्टिव मैटीरियल खरीदा गया। कोई डिफैक्टिव मैटीरियल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने नहीं लिया। स्पीकर साहब, जहां तक कीमत की बात आती है श्री गुलाब सिंह जी बता रहे थे कि एक वक्त तो वायर्ज मार्किट था और जब मार्किट में सभी लोग आने लगे तो सैलर्ज मार्किट हो गया। तो उस समय बोर्ड को जहां तहां चीज मिली लेकर स्टेट का काम पूरा किया और बगैर ऐक्सट्रा पैसे दिए किया। यह जो नुक्ताचीनी करते हैं, गलत नुक्ताचीनी करते हैं।

स्पीकर साहब, एक और चीज कहना चाहूंगा कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने जहां कहीं जो भी सुझाव गवर्नमैंट को दिए

है या इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिए हैं उनको पूरी तरह इम्प्लीमैंट करेंगे। देा केसिज विजिलेंस के पास है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी वह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी को दी जाएगी। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को हम throughly implement करेंगे। पब्लिक अकांउन्ट्स कमेटी के जो आबजरवे ान्ज हैं उन सब को पूरा करेंगे ओर साथ के साथ स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये इस सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे भाई जो अपोजी ान पार्टी के सदस्यगण हैं, वे चाहे कितनी ही नुक्ताचीनी करें पर बोर्ड अपना काम तेजी से करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। स्पीकर साहब, पिछले दिनों हमारे पास पावर की भाार्टेज रही। अब इस कमी को पूरा रकने के लिए पानीपत मे 110—110 मैगावाट के दो थर्मल—प्लांट लगाने के लिए जल्दी से जल्दी काम किया जा रहा है ओर उसको बहुत जल्दी ही इम्प्लीमैंट करने की कोि ा ा की जा रही है ताकि प्रदे ा के अन्दर पैदावार बढ़े, ऐग्रीकल्चर की प्रोडक ान बढ़े। इसी तरह से फरीदाबाद में पहले से ही 60 मैगावाट का एक थर्मल प्लांट चालू हो चुका है, और दूसरा अति भीघ्र चालू करना चाहते हैं। इसलिए अपोजी ान कितनी ही नुक्ताचीनी करती रहे, हमारा बोर्ड, जितने भी काम हैं उनको करने में कोई कोताही नहीं करेगा, हमारे काम करने के तरीकों में कोई फर्क नहीं आएगा। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

18.25 बजे

Mr. Speaker: The House stand adjourned sine die.

(The Sabha then adjourned sine die).